लोक-सभा

वाद-विवाद

शुक्रवार,
२३ सितम्बर, १९५५

(भाग १--प्रश्नोत्तर)

(खंड ६, १९५५)

(१९ सितम्बर से १ अक्टूबर, १९५५)

1st Lok Sabha

दशमै सत्र, १९५५

(खंड ६ में अंक ४१ से अंक ५१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली ।

350 LSD

विषय - सूची

[खंड ६—अंक ४१ से ५१—१९ सितम्बर से १ अक्टूबर, १९५५]

अंक ४१—सोमवार, १९ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १८७० से १८७२, १८७४ से १८७८, १८८३, १८८४, १८८९, १८९६ से १९०३, १९०५ से १९०७, १९०९, १९१२, १९१६ से १९१८, १९२० और १९२१ . १७६१—१८०५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८६८, १८६९, १८७३, १८७९, १८८० से १८८२, १८८५ से १८८८, १८९० से १८९५, १९०४, १९०८, १९१०, १९११, १९१३ से १९१५, १९१९, १९२२ से १९२५ और १९२७ से १९३५ . . . . . १८०५—२६

अतारांकित प्रश्न संख्या ९९२ से १०२७ १८२७—५०

अंक ४२—मंगलवार, २० सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९३६, १९३७, १९४१ से १९४४, १९४६ से १९४८, १९५०, १९५१, १९५५, १९५६, १९५८, १९५९, १९६२, १९६४, १९६७ से १९७०, १९३९ और १९४० . . २८५१—९२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० . २८९२—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९३८, १९४५, १९४९, १९५२ से १९५४, १९५७, १९६०, १९६१, १९६३, १९६५, १९६६, १९७१ और १९७२ . . २८९७—२९०५

अतारांकित प्रश्न संख्या १०२८ से १०४५ . . २९०५—१६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९७५, १९७७, १९७९, १९८०, १९८४, १९८६ से १९८८, १९९१, १९९२, १९९४ से १९९८, २००३ से २००६, २००८, २०१० से २०१४, २०१६, २०१८, २०२०, २०२३ और २०२५ . २९१७—६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९७३, १९७४, १९७६, १९७८, १९८१ से १९८३, १९८५, १९८९, १९९०, १९९३, १९९९ से २००२, २००९, २०१५, २०१७, २०१९, २०२१, २०२२ और २०२६ से २०३२ २९६२—८०

अतारांकित प्रश्न संख्या १०४६ से १०७१ २९८०—९८

अंक ४४—गुरुवार, २२ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०३३ से २०३६, २०३८ से २०४१, २०४४, २०४६, २०४८, २०५१, २०५५, २०५६, २०५८ से २०६२, २०६६ से २०७०, २०७२ से २०७७, २०७९ से २०८१ और २०८४ २९९९—३०४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०३७, २०४२, २०४३, २०४५, २०४७, २०४९, २०५०, २०५२ से २०५४, २०६३, २०६५, २०७१, २०७८ और २०८५ से २०९० ३०४४—५६

अतारांकित प्रश्न संख्या १०७२ से १११९ ३०५६—९०

अंक ४५—शुक्रवार, २३ सितम्बर, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०९१ से २०९४, २०९८ से २१००, २१०३, २१०५ से २१०९, २१११, २११६, २११९ से २१२१, २१२४ से २१२६, २१३१, २१३२, २१०२, २११७, २१२२, २११८, २१२९ और २१३० ३०९१—३१३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०९५ से २०९७, २१०१, २१०४ २११०, २११२, २११४, २११५, २१२३, २१२७ और २१२८ . . . . ३१३९—४७

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२० से ११३४ ३१४७—५८

अंक ४६—सोमवार, २६ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१३३ से २१४६, २१४९, २१५१, २१५२, २१५५ स २१५७, २१५९, २१६१ से २१६६, २१६९ और २१७० . . . . . ३१५९—३२०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१४७, २१४८, २१५०, २१५३, २१५४, २१५८, २१६०, २१६७, २१६८, २१७१ से २१७८, २१८० से २१८६ ३२०३—१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ११३५ से ११५७ . ३२१७—३२

अंक ४७—मंगलवार, २७ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१८७ से २१९४, २१९६ से २२०२, २२०४ से २२०६, २२०९ से २२१२, २२१६ से २२१९, २२२१, २२२२ और २२२५ से २२३० . ३२३३—८१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ ३२८१—८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या २१९५, २२०३, २२०७, २२०८, २२१३ से २२१५, २२२०, २२२३, २२२४ और २२३१ से २२६३ ३२८५—३३१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ११५८ से ११६८ और ११७० से १२१५ ३११२—४८

अंक ४८ – बुधवार, २८ सितम्बर १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२६६, २२६७, २२७०, २२७२, २२७३, २२७५, २२७६, २२७८, २२८० से २२८३, २२८६, २२८७, २२८९ से २२९१, २२९५, से २३००, २३०३, २३०५, २३०६, २३०७, २३०८, २३११, और २३१२। ३३४९—३३९१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ ३३९१—९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२६५, २२६९, २२७१, २२७४, २२७७, २२७९, २२८४, २२८५, २२८८, २२९२ से २२९४, २३०१, २३०२, २३०४, २४०९, २३१०, २३१३ से २३३८ ३३९४—३४२०

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१६ से १२२२, १२२४ से १२५२, १२५४ से १२६६ ३४२०—३४४८

अंक ४९ – गुरुवार, २९ सितम्बर १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २३३९ से २३४४, २३४६, २३४९ से २३५२, २३५४, से २३५८, २३६० से २३६२, २३६४, २३६६, २३६७, से २३६९, २३७२, २३९०, २३७४, २३७५ और २३९२ ३४४९—९२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १३ से १६ ३४९२—३५०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३४५, २३४७, २३४८, २३५३, २३५९, २३६३, २३७०, २३७१, २३७६ से २३८४, २३८४-क, २३८५ से २३८९, २३९१, २३९१-क और २३९३ से २३९९ ३५०२—२१

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६७ से १३००, १३००-क और १३००-ख ३५२१—४२

अंक ५०—शुक्रवार, ३० सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४०१ से २४०६, २४०८ से २४१०, २४१३, २४४६ २४१४ से २४१६, २४१८ से २४२१, २४२३ से २४२५, २४२७ से २४३१, २४५५, २४३३ और २४६२ ३५४३—९०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ से २० ३५९०—३६०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित पश्न संख्या २४००, २४०७, २४११, २४१२, २४१७, २४२२, २४३२, २४३४ से २४४५, २४४७ से २४५४, २४५६ से २४६१, २४६३ से २४७३ ३६०३—२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०१ से १३६९ ३६२८—७८

अंक ५१—शनिवार, १ अक्तूबर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २१ और २२ ३६७९—९४

अनुक्रमणिका १—१३८

लोक-सभा

शुक्रवार, २३ सितम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विश्व जनसंख्या सम्मेलन

*२०९१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ में रोम में हुए विश्व जन-संख्या सम्मेलन में किन किन मुख्य मदों पर चर्चा हुई थी ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : बहुत से विषयों पर कई बार बहस हुई, इनमें कुछ तो बिल्कुल तांत्रिक थे और दूसरे जनता के हित के लिये थे । बहस के लिये कुल २८ बैठकें हुईं और बाद में तीन तीन घंटे की दो बैठकें हुईं, जिनमें बैठकों के खास खास आलोचनाओं के नतीजों पर दुबारा विचार किया गया । राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से जो विषय महत्व पूर्ण थे, उनमें निम्नलिखित भी शामिल थे :—

(क) मौत और पैदाइश का झुकाव ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय और आन्तरिक एक स्थान से दूसरे स्थान को आना जाना (माइग्रेशन)

(य) जन संख्या का भविष्य ।

(घ) जन संख्या के समय से पहले वृद्ध होने के परिणाम ।

(ङ) आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति की जांच ।

(च) जन संख्या के बदलने से सामाजिक हालत ।

(छ) जनसंख्या से सम्बन्ध रखने वाले कानून, सरकारी कार्यक्रम और सेवायें ।

(ज) चतुर कार्य-कर्त्ताओं की भर्ती और ट्रेनिंग ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्मेलन में किन किन राष्ट्रों के प्रतिनिधि उपस्थित थे ।

श्री राज बहादुर : इस सम्मेलन में लगभग ७० राष्ट्रों के प्रतिनिधि उपस्थित थे जिनमें स्वतंत्र अथवा अस्वतंत्र दोनों प्रकार के राष्ट्र सम्मिलित हैं । उनमें मुख्यतः यूनाइटेड स्टेट्स, पश्चिमी यूरोप के देश, जापान, इंडिया, ईजिप्ट, ब्राज़ील, यू० एस० एस० आर०, पोलैंड, चेकोस्लेवेकिया, बल्गारिया और हंगेरी आदि आदि थे ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं जान सकता हूं इन विषयों में से कौन कौन से विषय आचरण में लाये जायेंगे ?

श्री राज बहादुर : जैसा मैंने निवेदन किया इन विषयों पर न कोई प्रस्ताव पास हुआ और न कोई रिपोर्ट का ही

वाल उठा । किन्तु आपस में अनुभवों का आदान प्रदान हुआ और उन अनुभवों को दृष्टि में रखते हुए यह एक बात स्पष्ट रूप से सब के सामने आयी कि कौन से वैज्ञानिक ढंग या आधार पर कोई भी सरकार या पब्लिक बाडी नीति सम्बन्धी निर्णय ले सकती है। दूसरे जनसंख्या की दिशा में एक ढंग और तरीके से खोज और अन्वेषण किया जाय इसको भी प्रोत्साहन मिला ।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की ओर से इस कान-फरेंस में किस ने प्रतिनिधित्व किया ?

श्री राज बहादुर : इनमें से तीन तो सरकारी सज्जन थे जिनको सरकार ने मनोनीत किया था और शेष अपनी व्यक्तिगत हैसियत से गये थे लेकिन वे भी अपने देश की तरफ से गये थे । इनमें थे;

१. डा० लंका सुन्दरम्, एम० पी०

२. डा० के० सी० के० ई० राजा, डी० जी० एच० एस०, मिनिस्ट्री आफ हैल्थ

३. श्री एस० आर० जैन, डाइरेक्टर लेबर बयूरो

४. प्रो० एस० चन्द्रशेखर

५. श्री अजित दास गुप्ता, आई० एस० आई०

६. श्री डी० बी० लाहिडी, आई० एस० आई०, कलकत्ता

७. प्रो० के० बी० माधव

८. प्रो० डी० एन० मजूमदार, लखनऊ यूनिवर्सिटी

९. डा० के० एन० राज, दिल्ली स्कूल आफ इकानैमिक्स, दिल्ली

१०. डा० एल० डी० संधवी, डाईरेक्टर, इंडिया कैंसर रिसर्च सेंटर, बम्बई

११. श्री निकंठ यू० सोवानी, गोखले इंस्टी-ट्यूट, पूना

१२. श्री एस० आर० सेन, मिनिस्ट्री आफ फूड एंड एग्रीकल्चर

१३. डा० वी० नाथ, प्लानिंग कमीशन ।

बुनियादी स्कूल

*२०९२. **श्री झूलन सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४-५५ में बिहार राज्य को वर्तमान प्रायमरी स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में बदलने के लिये कितनी धन राशि दी गई है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : ३,८५,६०४ रुपये माननीय सदस्य की सूचना के लिये मैं यह बता दूं कि ३,८५,६०४ रुपये की यह धन राशि बिहार सरकार को आठ आरम्भिक पाठशालाओं को बुनियादी स्कूलों में बदलने और ३९९ बुनियादी स्कूलों में सुधार करने के लिये स्वीकृत की गई है। इस के अतिरिक्त ४३,१३३ रुपये की एक और राशि बिहार सरकार को वर्तमान आरम्भिक पाठशालाओं को बुनियादी स्कूलों में बदलने के लिये प्रशिक्षित व्यक्तियों को काम में लाने के हेतु बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालयों को खोलने या सुधारने के लिये केन्द्रीय सरकार ने दी है ।

श्री झूलन सिंह : क्या सरकार को बिहार सरकार से इन स्कूलों के बुनियादी स्कूलों में बदले जाने के कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ?

डा० एम० एम० दास : अभी दो दिन पूर्व ही हमें बिहार सरकार से तार द्वारा उत्तर प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने हमें सूचित किया है कि पांच साधारण आरम्भिक पाठशालाओं को बुनियादी स्कूलों में बदल दिया गया है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार को पता है कि महात्मा जी ने जो बुनियादी शिक्षा का सिद्धान्त रखा है उस का शतांश भी इन स्कूलों में पालन नहीं होता है ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक हमें ज्ञात है उसे कार्यान्वित किया जा रहा है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या सभी आरम्भिक पाठशालाओं को बुनियादी स्कूलों में बदलने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित की गई है, और यदि हां, तो क्या प्रगति हुई है ?

डा० एम० एम० दास : अभी उस दिन मैंने उत्तर दिया था कि हमें द्वितीय पंच वर्षीय योजना में अपने लक्ष्यों को कम करना है और मैंने यह कहा था कि अगली पंच वर्षीय योजना में समस्त आरम्भिक पाठशालाओं की कुल संख्या के एक चौथाई को बुनियादी स्कूलों में बदला जायेगा ।

मूर्तियां

*२०९३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या शिक्षा मंत्री १८ अप्रैल, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २३६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित विदेशी शासकों तथा अन्य व्यक्तियों की मूर्तियों के सम्बन्ध में सरकार में क्या निर्णय किया है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : यह मामला अभी विचाराधीन है ?

श्री एस० सी० सामन्त : पिछली बार हमें यह बताया गया था कि राज्य सरकारों की सम्मितियां प्राप्त हो गई हैं । क्या वह सम्मितियां परस्पर विरोधी हैं, और यदि हां, तो निर्णय किस प्रकार किया जायेगा ?

डा० एम० एम० दास : हमारा यह कहना नहीं है कि वह परस्पर विरोधी हैं, पर वह एक दूसरे से विभिन्न अवश्य हैं । कुछ राज्य सरकारें हटाये जाने के पक्ष में हैं, कुछ आंशिक रूप से हटाये जाने के पक्ष में है और कुछ ने कहा है कि वह केन्द्रीय सरकार की नीति से पथ प्रदर्शित होंगे ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या भारत के विख्यात इतिहासकारों से इस मामले में परामर्श किया गया है ?

डा० एम० एम० दास : हमने इस देश के विख्यात इतिहासकारों से इस प्रश्न के सम्बन्ध में परामर्श नहीं किया है, परन्तु, यदि मेरी स्मरण-शक्ति मुझे धोखा नहीं देती है, कुछ मास पूर्व एक विख्यात इतिहासकार सर यदुनाथ सरकार ने कुछ समाचार पत्रों में एक पत्र प्रकाशित कराया था जिस में उन्होंने कहा था कि यह मूर्तियां इत्यादि इतिहास की थाती हैं और ऐतिहासिक स्मारकों की भांति इनका परिरक्षण किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री राघवाचारी : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, श्रीमान् ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अगले प्रश्न को ले रहा हूं ।

भूतपूर्व सैनिकों को पैन्शनें

*२०९४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व निकों से भारत सरकार को इस आशय की पिटीशनें प्राप्त हुई हैं कि नये पेन्शन कोड का लाभ उन्हें भी प्रदान किया जाये;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निश्चय किया गया है; और

(ग) यदि सब भूतपूर्व सैनिकों को बढ़ी हुई दरों पर पेन्शनें दी जाएं तो सालाना कितना अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) . (क) जी हां ।

(ख) जो परमानेन्ट रिगुलर कमीशन्ड अफ़सर और अफ़सरों से निचले पदों पर काम करने वाले सैनिक २७ अक्तूबर १९४७ तथा ३१ मई १९५३ के बीच में डिसएब्लमेन्ट या मृत्यु के कारण लिस्ट से निकाले गए हैं, उनकी डिसएबिलिटी पेन्शन, फ़ैमिली पेन्शन और भत्तों के लिए नये पेन्शन कोड के नियम तथा दर लागू कर दिए गये हैं ।

ो अफ़सरों से निचले पदों पर काम करने वाले सैनिक २६ जनवरी १९५० तथा ३१ मई १९५३ के बीच में साधारण पेन्शन, स्पेशल पेन्शन या मस्टरिंग आउट पेन्शन देकर सेना से निकाले गये हैं, उनको पेन्श ों में कुछ ऐड हाक बढ़ती की गई है ।

(ग) यदि सभी फ़ौजी पेन्शनरों पर नया पेन्शन कोड लागू कर दिया जाय, तो कितना सालाना फ़ालतू खर्च होगा, इसका अनुमान नहीं लगाया गया है

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से स्पष्ट है कि सभी वर्गों के भूतपूर्व सैनिक पेन्शनरों को न्यू पेन्शन कोड ी सुविधा नहीं दी जा रही है । क्या इसका यह अर्थ लगाया जाय कि उन्हें इसलिए दण्ड दिया जा रहा है कि उन्होंने पहले अंग्रेजों की सेवा की थी ?

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर, यह सवाल नहीं उठता ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट ने इस सुझाव पर भी विचार किया है कि यदि सब पेंशनरों को यह सुविधा नहीं दी जा सकती तो कम से कम उन पेन्शनरों को तो यह सुविधा दे ही दी जाय जो कि १५ अगस्त, १९४७ के बाद पेन्शन पर गये हैं, ताकि वह स्वतन्त्र भारत की नागरिकता का रसास्वादन कर सकें ?

सरदार मजीठिया : काफी विचार के बाद यह फैसला किया गया है और इसमें अब कोई फ़र्क़ नहीं पड़ सकता ।

सरदार इकबाल सिंह : क्या सरकार अस्थायी कमीशन प्राप्त अफ़सरों की पेन्शन दरों को पुनरीक्षित करने की प्रस्थापना करती है क्योंकि स्थायी कमीशन प्राप्त अफ़सरों और अस्थाई कमीशन प्राप्त अफ़सरों की दरों में बहुत विभिन्नता है ?

सरदार मजीठिया : अस्थायी कमीशन प्राप्त अफ़सर बहुत ही अस्थायी आधार

पर आये थे और प्रारम्भ में उनको सेवा-निवृत्ति वेतन दिये जाने का कोई विचार नहीं था ।

श्री अजित सिंह : क्या मैं पूछ सकता हूं कि जो बैनिफ़िट्स दिये गये हैं उसमें जो रियासतों के साबिका फ़ौजी थे उनको भी शामिल किया गया है ?

सरदार मजीठिया : यह तो उन फ़ौजियों के लिये है जो इंडियन आर्मी में सर्व करते थे ।

श्री अजित सिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें रियासतों के भी फ़ौजी शामिल किये गये हैं या नहीं ?

सरदार मजीठिया : मैं ने कहा है कि सभी रियासती फ़ौजी जो हैं उन सभी ने इंडियन आर्मी में नौकरी नहीं की है । तो वह लाज़िमी तौर पर उन में नहीं हैं ।

वायु दुर्घटनायें

*२०९८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ९ जुलाई १९५५ को हैदराबाद से कोई ६४ मील दूर एक एक सीट वाला जैट वायुयान टूट कर गिर पड़ा था ; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के कारण क्या थे ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :

(क) जी हां ।

(ख) नट विद्या का अभ्यास करते समय चालक वायुयान का नियंत्रण खो बैठा था ।

श्री आर० एन० सिंह : वह वायुयान कितना पुराना था ? क्या वह पुराना वायु-यान था ?

सरदार मजीठिया : वायुयान के पुराने होने का कोई प्रश्न नहीं है । वायुयान बिल्कुल नया था । वह वेम्पायर वायुयान था ।

श्री जी० एस० सिंह : क्या यह सच नहीं है कि भारतीय वायुबल में प्रशिक्षित चालकों में से दस प्रतिशत अपना प्रशिक्षण समाप्त करने के दो वर्ष के भीतर ही मृत्य का शिकार हो जाते हैं, और यदि हां, तो यह आंकड़े अन्य देशों के आंकड़ों की तुलना में कैसे हैं ?

सरदार मजीठिया : मझे यह पता नहीं है कि दस प्रतिशत चालक मृत्यु का शिकार हो जाते हैं । आंकड़ों के सम्बन्ध में मुझे कुछ शंका है । परन्तु हमारी मृत्यु दर संसार के अन्य भागों की वायु-सेवाओं की अपेक्षा किसी प्रकार से भी अधिक नहीं है ।

श्री जोकीम आल्वा : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जैट वायुयान इंगलैंड की हैविलैण्ड फैक्टरी से मंगाये गये हैं, क्या हमारे मिकैनिकों को इंगलैण्ड भेज कर मरम्मत की देख भाल करने और इंगलैण्ड जा कर स्वयं उसी फैक्टरी में वायुयान की सार्वाधिक पड़ताल करने के लिये भेजने के कोई प्रयत्न किये गये हैं जिससे कि इन वायुयानों के सम्बन्ध में हमारी जानकारी नवीनतम रहे ?

सरदार मजीठिया : हमारे वायुयान यहां हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड में ही पुर्जे जोड़ कर बनाये जाते हैं, इसलिये इंगलैण्ड से हमारे वायुयानों के आने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । मैं सभा को य

आश्वासन देना चाहता हूं कि जहां तक वायुयानों का सम्बन्ध है हमारा प्राविधिक ज्ञान पूर्ण रूप से नवीनतम है ।

रक्षित बैंक

*२०९९. **श्री एस० एन० दास** : क्या वित्त मंत्री ४ मार्च, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रक्षित बैंक के कृषि-ऋण विभाग का तब से पुनर्संगठन तथा विस्तार किया गया है जैसा कि निदेशन समिति द्वारा सिफारिश की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) और (ख). अखिल भारतीय ग्राम-ऋण सर्वेक्षण की निदेशन समिति की संगत सिफारिश रक्षित बैंक ने स्वीकार कर ली है और कृषि-ऋण विभाग के पुनर्संगठन तथा विस्तार की योजना हाल ही में रक्षित बैंक के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है । भारत का रक्षित बैंक योजना को शीघ्र ही कार्यान्वित करने का प्रयत्न कर रहा है और आशा की जाती है कि वह कार्य शीघ्र ही हो जायेगा ।

श्री एस० एन० दास : क्या इस विभाग की कोई नई शाखा खोली गई है, यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ?

श्री ए० सी० गह : मैं ने कहा है कि रक्षित बैंक ने योजना पर अभी सहमति दी है । योजना अभी तक कार्यान्वित नहीं की गई है । यह विभाग मुख्य पदाधिकारी के पूर्ण प्रभार में चलता रहेगा । तीन उप-प्रमुख पदाधिकारी होंगे, एक योजना तथा पुनर्संगठन विभाग का प्रभारी होगा, दूसरा निरीक्षण तथा कार्य विभाग का और तीसरा प्रशिक्षण, प्रकाशन तथा सामान्य विभाग का प्रभारी होगा । अन्य नगरों में शाखाएं खोलने का प्रश्न तभी उत्पन्न होगा जब कि ये विभाग कार्य करना आरम्भ कर देंगे और कार्य के भार के अनुसार शाखायें खोली जा सकती हैं ।

श्री एस० एन० दास : क्या रक्षित बैंक ने कर्मचारियों, वित्त आदि के प्रश्न की जांच कर ली है, और यजदि हां, तो सम्बन्ध में कितनी आवश्यकता होगी ?

श्री ए० सी० गुह : कुछ कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है, या कम से कम उस सम्बन्ध में कुछ निर्णय कर लिया गया है, और भर्ती शीघ्र ही होने की आशा की जाती है । अन्य चीजों के सम्बन्ध में मैं प्रश्न नहीं समझ सका ।

श्री एस० एन० दास : इस सम्बन्ध में रक्षित बैंक कितनी राशि व्यय करेगा ?

श्री ए० सी० गुह : कोई भी वित्तीय कठिनाई नहीं होगी । जितनी राशि की आवश्यकता होगी, रक्षित बैंक निश्चय ही इस विभाग को दे देगा ।

श्री मात्तन : क्या लड़कों का स्कूल अथवा कालेज खोल कर कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री ए० सी० गुह : मैं पहले ही कह चुका हूं कि तीन नये विभागों में से एक

विभाग प्रशिक्षण, प्रकाशन तथा सामान्य डिवीजन के लिए होगा जो जितने कर्मचारियों की आवश्यकता है उनके प्रशिक्षण कार्य आदि को देखेगा। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह जानते होंगे कि कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये—सहकारी कार्यकर्ताओं के लिए पहले से ही एक-दो स्कूल हैं—एक प्रशिक्षण कालेज पूना में है और दूसरे एक दो प्रशिक्षण केन्द्रों के बारे में मुझे कोई निश्चित जानकारी नहीं है।

लिगनाइट

*२१००. **श्री वी० पी० नायर :** **क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार को वारकालाई प्रदेश में उपलब्ध लिग्नाइट निकालने की योजना को द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये त्रावनकोर-कोचीन राज्य सरकार अथवा त्रावनकोर-कोचीन के अन्य संगठनों से कोई आभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ; और

(ख) वारकालाई प्रदेश से आरम्भ होकर उत्तर की ओर जाने वाली लिग्नाइट की पट्टी का कोई विस्तृत परिमाप किया गया है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) जी नहीं।

(ख) भारत के भूतत्वीय परिमाप द्वारा वारकालाई प्रदेश का प्रणालीवद्ध मानचित्रण तथा खान सम्बन्धी परिमाप आरम्भ किया जा चुका है और कार्यजारी है।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को विदित है कि १९२० में ही वारकालाई की निक्षेपों का विस्तृत परिमाप डा० किंग जैसे प्रमुख भुतत्वशास्त्री द्वारा किया गया था ?

डा० के० एल० श्रीमाली : कुछ जानकारी दी गई थी किन्तु त्रावनकोर-कोचीन में कोई प्रणालीबद्ध परिमाप नहीं किया गया था। प्रणाली वद्ध परिमाप तो केवल १९५१–५२ में आरम्भ हुआ था।

श्री वी० पी० नायर : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केवल वारकालाई की चट्टान में ही भूमि के अन्तर्भाग में अनुमान्तः ३००० लाख टन लिग्नाइट है और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि सम्पूर्ण केरला से अभी तक एक टन भी लिग्नाइट नहीं निकाला गया है, क्या सरकार का इस क्षेत्र के लिये को आग्रेम परियोजना बनाने का कार्यक्रम है?

डा० के० एल० श्रीमाली : लिग्नाइट का अनुमानित निक्षेप लगभग २७६० लाख टन है और यह पता नहीं कि लिग्नाइट का काम कहां तक सफलतापूर्वक और बचतपूर्वक किया जा सकता है।

श्री वी० पी० नायर : क्या रकने वरकालाई से उपलब्ध होने वाले लिग्नाइट का हाल ही में कोई विशलेशन किया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसमें कितना ऐश होता है और कितना पानी :

डा० के० एल० श्रीमाली : जी हां।

विदेशों में भारतीय विद्यार्थी

*२१०३. **श्री के० सी० सौधिया** : **क्या शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में प्राईवट तौर पर पढ़ने वाले कितने भारतीय विद्यार्थियों

को १९५४–५५ में केंद्रीय सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई ;

(ख) इस प्रकार की सहायता की कुलराशि कितनी थी ;

(ग) इस प्रकार की सहायता प्राप्त करने के लिये क्या किन्हीं शर्तों को पूरा करना पड़ता है और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या विद्यार्थियों को यह राशि वापिस करनी पड़ती है और यदि हां तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) ५३ ।

(ख) ५१,६५३ रू० ।

(ग) तथा (घ). हां जी, इसका विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ६०]**

श्री के० सी० सोधिया : इस योजना को चालू हुए कितने साल हुए हैं ?

डा० एम० एम० दास : यह योजना १९५२–५३ में चालू की गई थी ।

श्री के० सी० सोधिया : इसमें जो ऋण दिया गया था उसकी चुकौती के भी कुछ आंकड़े हैं ? ऋण का चुकाना शुरू हुआ है या नहीं ?

डा० एम० एम० दास : १९५२–५३ में कुल ७,३४६ रुपये प्राप्त हुए ।१९५३–५४ में ३,२९३ रुपये । १९५४–५५ में २६,१२९ रुपये ।

श्री अजित सिंह : हर एक स्टेट से कितने कितने आदमी भेजे गये और उनमें शेडयूल्ड कास्ट के कितने थे ?

डा० एम० एम० दास : मैं नहीं जानता कि यह पूरक प्रश्न कैसे उत्पन्न हो सकता है । मुख्य प्रश्न का सम्बन्ध उन विद्यार्थियों को दिये गये ऋण से है जो विदेशों में कठिन वित्तीय परिस्थितियों में थे ।

सशस्त्र बलों के अफसर और जवाब

***२१०५. श्री पी० एल० कुरील** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सशस्त्र बलों के अधिकारियों व जवानों की वित्तीय दशा को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : एक विवरण जिसमें सशस्त्र बलों के अधिकारियों व जवानों को दी गई अधिक महत्वपूर्ण छूटों का उल्लेख है, लोक सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ६१]**

श्री पी० एल० कुरील : क्या यह सच है कि सशस्त्र सेनाओं के अधिकारी और कर्मचारी अपने वर्तमान वेतन-मान व भत्तों से प्रसन्न नहीं हैं और क्या यह सच है कि अंग्रेजी शासन के समाप्त होने से ये वेत्तन और भत्ते पर्याप्त कम हो गये हैं ?

सरदार मजीठिया : प्रथम, प्रसन्नता के बारे में कोई व्यक्ति उससे प्रसन्न नहीं होता जो उसे मिलता है । भत्तों के कम होने के बारे में, मैं यह कहूंगा कि वास्तव में वेतन और भत्तों में पर्याप्त वृद्धि कर दी गई है ।

श्री पी० एल० कुरील : क्या यह सच है कि एमिरल पिजे ने अवकाश प्राप्त करने के पूर्व वेतन व भत्तों के वर्तमान मान के पुनरीक्षण करने के औचित्य पर एक नोट प्रस्तुत किया था, और यदि हां, तो उस नोट पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सरदार मजीठिया : मैं कह चुका हूं कि सरकार ने बहुत ही सावधानी से

विचार करने के उपरान्त वर्तमान वेतन व भत्तों पर निश्चय किया है, और अभी और वृद्धि का कोई प्रश्न नहीं है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या कुछ समय पूर्व सशस्त्र बलों के इन वेतन व भत्तों की जांच का कोई प्रस्ताव था और यदि हां, तो इसे अन्तिम रुप क्यों नहीं दिया गया ?

सरदार मजीठिया : मुझे ऐसे किसी प्रस्ताव का ज्ञान नहीं है ।

श्री धुसिया : क्या कुछ सैनिकों और अधिकारियों के वेतन व भत्तों में कोई अन्तर है और सी अन्तर के क्या कारण हैं ?

सरदार मजीठिया : यह एक बहुत लम्बा विवरण है ।

अम्बरनाथ का मूलरुप मशीनी औजार निर्माण कारखाना

*२१०६. **कर्नल जैदी** : क्या रक्षा मंत्री कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बरनाथ के मूलरुप मशीनी औजारों के कारखाने के लिए जो मशीनें और मशीनी औजार क्रय किये गये हैं, क्या वे खुले टेन्डरों द्वारा क्रय किये गये हैं; और

(ख) मेसर्स ओयरलिकन्स और अन्य लोगों से क्रमानुसार कितने मूल्य की मशीनें क्रय की गई हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) मेसर्स ओयरलिकन्स के स्टाक या निर्माण से–६० लाख रुपये । अन्य लोगों से क्रय करने के पश्चात मेसर्स ओयरलिकन्स द्वारा किया गया संभरण .. १३१ लाख रुपये । भारत सरकार द्वारा अन्य लोगों से क्रय किया गया . . २·७८ लाख रुपये ।

कर्नल जैदी : इस पर जो महा धन-राशि व्यय की गई है उसकी दृष्टि से, कोई सार्वभौम टेन्डर क्यों नहीं मांगा गया ?

सरदार मजीठिया : हाल में ही इस पर आधे घन्टे तक विचार विमर्श हुआ था और इस प्रश्न का गूढ़ अध्ययन किया गया था । क्या मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न केवल यह है कि सार्वभौम टेन्डर क्यों नहीं मांगे गये ।

सरदार मजीठिया : क्योंकि हमारा विचार था कि यह फर्म हमें औद्योगिक जानकारी देगी ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या उन वस्तुओं के लिए भी जो भारत में प्राप्य थीं टेन्डर मांगे गये थे और क्या यह सच है कि सरकार ने उन वस्तुओं को बाज़ार में असाधारण उच्च मूल्यों पर लिया था, यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को एक पश्न में चार प्रश्न नहीं पूछने चाहिएं ?

कर्नल जैदी : क्या सरकार का यह विचार है कि केवल इस कारण कि फर्म औद्योगिक जानकारी उपलब्ध करती है, सार्वभौम टेन्डर न मांग कर फर्म से इन मशीनों के संभरण के लिए कहना न्यायोचित है ?

सरदार मजीठिया : ऐसा पहले हो चुका है । अब फर्म काम कर रही है और अब इस ब्यौरे में जाने का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : जब इस कारखान का प्रथम योजना बनी थी, क्या उस समय सरकार ने यह जानने का कोई प्रयास किया था कि बाद में भारत में इस कारखाने में प्रयोग के लिये यदि छोटी छोटी मशीनें बनाई जा सकती हैं तो कौन कौन सी ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या भारत में किसी औद्योगिक उपक्रम में मूल कारखाने के लिए ऐसी मशीनों का आदेश दिया गया है ?

सरदार मजीठिया : जहां तक मैं जानता हूं भारत में मूल मशीनों का निर्माण करन का कोई कारखाना न था। यह इस प्रकार का प्रथम है। स्वभावतः यह कारखाना वैसी ही अन्य मशीनें बना सकता है।

विश्वविद्यालयों में सैन्य शिक्षा

*२१०७. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को सैन्य शिक्षा देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) विभिन्न विश्वविद्यालयों को सैन्य प्रशिक्षण के लिए किस आधार पर अनुदान दिये जाते हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) राष्ट्रीय छात्र सेना की ज्येष्ठ टुकड़ी बनाने के अतिरिक्त, विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को सैन्य शिक्षा देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने और कोई कार्यवाही नहीं की है।

(ख) इस काम के लिए विश्वविद्यालयों को कोई अनदान नहीं दिया गया था।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या सरकार इस बात को सोच रही है कि युनिवर्सिटी के छात्रों को भी इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाये ?

सरदार मजीठिया : मैं कह चुका हूं कि इस कार्य के लिए विश्वविद्यालयों को कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या भारत में किसी विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय में अनिवार्य सैन्य शिक्षा देने की केन्द्रीय सरकार से मांग की है ?

सरदार मजीठिया : इस प्रश्न का संबंध संबद्ध राज्यों के शिक्षा विभाग से है। यदि राज्य का शिक्षा विभाग या विश्वविद्यालय केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगता है, तो उस प्रश्न पर प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सच है कि अगली पंचवर्षीय योजना में यह व्यवस्था रखी जा रही है कि युनिवर्सिटी के सभी विद्यार्थियों को सैनिक शिक्षा दी जायेगी ?

सरदार मजीठिया : जी नहीं, यह सच नहीं है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल

*२१०८. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रशिक्षण शिविरों को बंद करने के पश्चात् राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल प्रशिक्षण को चालू रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : जो लोग एक बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं उनके लिए आजकल और प्रशिक्षण शिविर खोलने की कोई योजना नहीं है।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या इन प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की सेवाओं का किसी प्रकार प्रयोग करने की कोई योजना विचाराधीन है ?

सरदार मजीठिया : प्रशिक्षण समाप्त होने पर वे इस प्रकार की शपथ पर हस्ताक्षर करते हैं कि "मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि यदि मुझे अपने देश की सेवा करने के लिये बुलाया गया, तो मैं ऐसा बुलावा स्वीकार करूंगा और जिस रूप में भी संभव होगा, सेवा करने का भरसक प्रयत्न करूंगा ;" या ऐसी ही शपथ पर । इसके अतिरिक्त कुछ भी निश्चित नहीं है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल के इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अस्त्रों का प्रशिक्षण भी सम्मिलित है ?

सरदार मजीठिया : इसमें अस्त्रों सम्बन्धी कोई प्रशिक्षण सम्मिलित नहीं है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या इस विचार से कि प्रशिक्षण के पूरा होते ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल के सदस्य लगभग पूर्णतया निष्क्रिय हो जाते हैं, सरकार का विचार कोई योजना बनाने का है ताकि उन्हें वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिये या ऐसे ही किसी अन्य कार्य के लिये बुलाया जाये ?

सरदार मजीठिया : मैं प्रश्न के प्रथम भाग का विरोध करता हूं ; यदि माननीय सदस्य कुछ धैर्य रखें, तो वे महसूस करेंगे कि शिविर में उनके भार में वृद्धि होने से प्रकट होता है कि निश्चय ही उनकी अच्छी देखभाल होती है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में इन दलों का प्रयोग करने का कोई प्रयत्न किया गया है ?

सरदार मजीठिया : जी नहीं, मुझे पता नहीं है ।

ज्योतिषीय भविष्यवाणी

*२१०९. **श्री मात्तन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार समाचार पत्रों द्वारा ज्योतिषीय भविष्यवाणियों का दुरुपयोग रोकने का है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : हानिकारक भविष्यवाणियों पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री मात्तन : क्या कुछ माननीय सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं ?

श्री राज बहादुर : हमारी जानकारी के अनुसार नहीं ।

श्री कामत : क्या यह सच नहीं है कि जब कि स्वयं ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान हो सकता है जिसमें पद्धतिबद्ध गवेषणा की आवश्यकता है, उस ज्ञान के केवल अनाड़ी ही हैं, सरकार के विज्ञान सहित सारे अन्य विज्ञानों को अनाड़ियों की भांति, जिन पर विचार किया जाना चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या सरकार ने ज्योतिष को विज्ञान की मान्यता दे दी है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री जी० बी० पन्त): यह चाहे विज्ञान हो या कला, मेरा ख्याल है कि उन लोगों को मत देना चाहिये, जिन्होंने इस विषय का अध्ययन किया है । यह अपने अपने मत की बात है । मैं यह कहने को तैयार हूं कि यह विज्ञान और कला दोनों ही हैं या दोनों में से एक भी नहीं है ।

शस्त्र दलों में भर्ती

*२१११. **श्री पी० एल० बारूपाल** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी से ३१ अगस्त, १९५५ तक सेना, नौसेना और वायुसेना में कितने व्यक्ति भर्ती किये गये ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : यह जनहित में न होगा कि पूछी हुई सूचना दी जाय ।

श्री जोकीम आल्वा : केन्द्रीय राज्य के आदेशों का पूर्णतया पालन करते हुये और यह भी देखते हुये कि सिक्ख, ईसाई और आंग्ल-भारतीयों को सशस्त्र बलों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है, क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों और हरिजनों को यह पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है । यह बहुत विस्तृत सा प्रश्न है, और मूल प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह सच है कि कुछ टुकड़ियां जैसे छाता सेना भारतीयों की कुछ जातियों के लिये ही हैं ?

सरदार मजीठिया : जी नहीं, मुझे ज्ञान नहीं है ।

राज्य पुनर्गठन आयोग

*२११६. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रतिवेदन तैयार होते ही प्रकाशित कर दिया जायेगा या इसका प्रकाशन उसकी सिफारिशों पर सरकार के विचार करने और उन पर अपना मत निर्धारित करने तक स्थगित किया जायेगा ।

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : मामला विचाराधीन है और दृढ़ निश्चय सरकार को प्रतिवेदन प्राप्त होने पर किया जायेगा ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : क्या राज्य पुनर्संगठन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के पूर्व सभा को अपना मत प्रकट करने का अवसर दिया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री जी० बी० पन्त) : निश्चय ही इस सभा को उस मामले पर विचार-विमर्श करने का पूर्ण अवसर मिलेगा । संसद् की स्वीकृति के बिना कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : आन्ध्र और त्रावनकोर-कोचीन के मुख्य मंत्रियों ने अपने राज्यों के सम्बन्ध में आयोग को सिफारिशों के बारे में जो टीका टिप्पणियां की हैं, समाचार पत्रों में उनके प्रकाशन का क्या आधार है ?

पंडित जी० बी० पन्त : मेरा ख्याल है कि यदा कदा मंत्रीगण भी पूर्वानुमान के चक्कर में पड़ जाते हैं ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : प्रतिवेदन को जनता के समक्ष लाने में कितना समय लगेगा ?

पंडित जी० बी० पन्त : प्रतिवेदन के प्रकाशन में अधिक समय लगने की आवश्यकता नहीं है । यह अभी हम तक नहीं आया है । अभी कोई निश्चित वक्तव्य देना कठिन है ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : क्या प्रतिवेदन के प्रकाशन, सिफारिशों के कार्यान्वितिकरण और इस सभा तथा राज्यों

के मतों के व्यक्तकरण से साधारण निर्वाचन के स्थगित होने की सम्भावना है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यह उत्पन्न नहीं होता ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या यह सच नहीं है कि प्रधान मंत्री और गृह-कार्य मंत्री जनता से प्रार्थना करते रहे हैं कि वह सिफारिशों पर शान्त रहे और झगड़े उत्पन्न न करे तथा सिफारिशों को ज्यों का त्यों स्वीकार कर ले ? यदि हां, तो सिफारिशों को जैसे ही वे सरकार को प्राप्त होती हैं प्रकाशित करने में सरकार को क्या कठिनाई है

पंडित जी० बी० पन्त : मैं लोगों से प्रार्थना करता रहा हूं कि वे सिफारिशों को शान्त मन से प्राप्त करें । और इन पर, प्रतिवेदन के लेखकों के मानस्तर, निष्पक्षता, अनुभव और चरित्र का उचित ध्यान रखकर, विचार करें, और मुझे आशा है कि सब लोग सिफारिशों को यथासंभव स्वीकार करने का प्रयत्न करेंगे । जब उन्हें कोई अन्य विकल्प दिखाई न दे केवल उस स्थिति में वे अन्य प्रस्ताव देंगे और वे भी शान्त, असंबद्ध और शनुत्तेजित ढंग से ।

विदेशी धर्म प्रचारक

*२११९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ में अब तक कितने विदेशी धर्म प्रचारकों को देश में प्रवेश करने दिया गया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : ३६३ मामलों में प्रवेश पत्र देने का अधिकार दिया गया है । इनमें से भारत में सचमुच कितने आए इसकी सूचना हमारे पास नहीं है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : आजकल भारत में कुल कितने विदेशी धर्म प्रचारक कार्य कर रहे हैं ?

श्री राज बहादुर: यह बताना कठिन है । मैं ने इस वर्ष की संख्या बता दी है । मैं १ जनवरी से १ सितम्बर १९५४ तक प्राधिकृत और अस्वीकृत धर्म प्रचारकों की संख्या बता सकता हूं । यह कमशः २७४ और १८० है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : भारत में इन विदेशी धर्म प्रचारकों के मुख्य कार्य क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त): वे मानवीय भलाई तथा क्रिस्चन मत की धर्म शिक्षा संबंधी हैं ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो नए लोग विदेशों से आते हैं, जो दूसरी जगहों से हिन्दुस्तान के पासपोर्ट लेकर आते हैं, उनके सम्बन्ध में क्या स्टेट गवर्नमेंटस को ऐसे आदेश नहीं दिये गए हैं कि उनकी सूचना केन्द्रीय सरकार को दी जाय?

पंडित जी० बी० पन्त : स्टेट गवर्नमेंटस से मश्विरा किया जाता है जब कोई आता है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मंत्री महोदय ने कहा था कि मुझे मालूम नहीं कि कितने लोग आए । मैंने यह पूछा था कि क्या स्टेट गवर्नमेंट्स कोई ऐसी सूचना केन्द्रीय सरकार को नहीं देतीं जिस से कि मालूम हो कि अमुक व्यक्ति नये आये या अमुक व्यक्ति नहीं आये ?

श्री राज बहादुर : प्रश्न यह किया गया था कि कुल अब तक जितने आ चुके हैं उनकी संख्या कितनी है। मैंने कहा था कि इस समय मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या सरकार द्वारा बनाये गये सिद्धान्तानुसार विदेशी धर्म प्रचारकों के आगमन के सम्बन्ध में यह शर्त नहीं है कि उन्हें धर्म परिवर्तन नहीं कराना चाहिये ?

पंडित जी० बी० पन्त : मैं नहीं जानता कि 'धर्म परिवर्तन' शब्द का क्या अर्थ लूं। परन्तु हम यह आशा करते हैं कि जो कोई भी अन्य व्यक्तियों को संतुष्ट करके अपने धर्म में लाना चाहता है वह ऐसा इस प्रकार कर सकता है जिस से देश के अन्य धर्मों के प्रति उचित सम्मान बना रहे।

श्री डाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि धर्म प्रचारकों को देश में आने की अनुमति देने से पूर्व धर्म प्रचारकों से कोई आश्वासन लिया जाता है।

पंडित जी० बी० पंत : जी नहीं।

श्री टी० एस० ए० चेटियार : एक भूतपूर्व गृह-मंत्री ने इस सभा में यह घोषणा की थी जिन विदेशी धर्मप्रचारकों को देश में आने की अनुमति दी जाती है उनको धर्म परिवर्तन में भाग नहीं लेना चाहिये। मैं जानना चाहूंगा कि वे निश्चित रूप से जांच कर लेते हैं कि ये धर्म प्रचारक इस घोषित सिद्धान्त को समझते हैं।

पंडित जी० बी० पन्त : जो भी सिद्धान्त देश में प्रकाशित या इस सभा में घोषित हों; उनसे प्रभावित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति से उनके जानने की आशा की जाती है।

गढवाल में कोयले के डिपोज़िट

*२१२०. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** १८ मार्च, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १२०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तब से भारत के भूतत्वीय परिमाप विभाग के एक अधिकारी ने उत्तर प्रदेश के गढवाल जिले में लालढांगा के पास कोयले के डिपोज़िट का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो पता लगाने में किस प्रणाली का प्रयोग किया गया और उस में कितना समय लगा?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी विवरण पत्र के रूप में सभा पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ६२**]

श्री भक्त दर्शन : यह जो विवरण पत्र सभा पटल पर रखा गया है इससे ज्ञात होता है कि ज्यालाजिकल सर्वे आफ इंडिया के अफसरों की रिपोर्ट के अनुसार इन निक्षेपों का यानी डिपाज़िट्स का कोई व्यापारिक या आर्थिक महत्व नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस विषय को सदा के लिए समाप्त कर दिया गया है या इस सम्बन्ध में अभी और कार्यवाही की जाने की आशा है?

डा० के० एल० श्रीमाली : एक्सपर्टस ने जो राय दी है वह अच्छी तरह से जांच करने के बाद दी है और उन्होंने यह कहा

है कि यदि और अधिक जांच इस एरिया म की जाएगी तो यह पब्लिक मनी का वेस्ट होगा ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि गवर्नमेंट की यह निर्धारित नीति है कि जिन इलाकों में पहले से ही कोयले की खाने हैं वहीं पर उनका पूरी तरह आर्थिक विकास किया जाए और स्टील प्लांट इत्यादि वहीं पर लगाये जायें और दूसरे इलाकों की छान बीन भी न की जाए और न किसी तरह का प्रोत्साहन दिया जाय ।

डा० के० एल० श्रीमाली : छान बीन करने का सवाल नही है । कई बार ज्यालाजिकल सर्वे को कहा गया है कि इस जगह कोयला है उसके आफिसर गए और उन्होंने देखा और उन्हें पता लगा कि जो कोयला है उससे कोई आर्थिक लाभ नहीं होने वाला है ।

कला संग्रह

*२१२१. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुरातन कला संग्रह का निर्यात विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है ;

(ख) यदि हां, तो १९४७ से कला की मूल्यवान वस्तुओं के अवैध निर्यात के कितने मामले सरकार के जानने में आए हैं तथा उनपर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि पूछ ताछ से यह सिद्ध किया जा चुका है कि सीमा शुल्क विभाग के कुछ पदाधिकारी ने कला की मूल्यवान वस्तुओं को चोरी छिपे ले जाने में सहायता दी थी;

(घ) यदि हां, तो उन पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) क्या सरकार देश से चोरी छिपे विदेश में ले जाई गयी कला की मूल्यवान वस्तुओं को वापस लाने का विचार कर रही है ?

राजस्व तथा रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) जी हां, प्राचीन वस्तु (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम, १९४७ की धारा २ में परिभाषित प्राचीन वस्तुओं का निर्यात केवल इसी अधिनियम की धारा ३ के आधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत अनुज्ञप्ति के अधिकार के अतिरिक्त प्रतिबन्धित है ।

(ख) अभी तक ऐसा केवल एक मामले की जानकारी सरकार को है । मामला कथित जहांगीर हीरे के सम्बन्ध में है; तथा इसकी अभी तक जांच की जा रही है ।

(ग) सीमा शुल्क पदाधिकारियों द्वारा अवैध निर्यात में सहायता देने के किसी मामले की सूचना सरकार को नहीं मिली है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । इस मामले में दो मूल्यांकक, अपने कर्त्तव्य पालन में असावधानी के दोषी पाये गये थे तथा उनके विरुद्ध उपयुक्त अनुशासिक कार्यवाही की गई है ।

(ङ) जहांगीर हीरे का नीलाम इंग्लैंड में किया गया था तथा इसलिए सरकार प्राचीन वस्तुओं में मानकर उसको वापस लाने की स्थिति में नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : इस जहांगीर हीरे का पता कब लगा था ?

श्री ए० सी० गुह : यह सर्वप्रथम २० मई, १९५४ को सीमाशुल्क गृह में लाया गया था तथा कुछ दिनों में ही इसका भारत से निर्यात कर दिया गया था।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या उस हीरे पर कुछ खुदा हुआ था? यदि ऐसा नहीं है तो माननीय मंत्री किस प्रकार इसे पदाधिकारियों की असावधानी बताते हैं ?

श्री ए० सी० गुह : उस पर कुछ खुदा हुआ था। परन्तु कलकत्ते के मैसर्स हैमिल्टन एण्ड को० निर्यातकों ने उस खुदाई का अनुवाद नहीं दिया था। सच यह है कि दो पदाधिकारी जो इस कार्य में थे उनको प्राचीन वस्तु (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम की कोई जानकारी नहीं थी। मैं सभा को बता देना चाहता हूं कि इस अधिनियम के अधीन कठिनाई से ही कोई मामला सीमा शुल्क पदाधिकारियों को मिलता है तथा यह संभव है कि सभी पदाधिकारी इस अधिनियम के उपबन्धों से पूर्णतया परिचित न हों। इसलिये इस अधिनियम के उपबन्धों की जानकारी न होने के कारण इन पदाधिकारियों ने उसके निर्यात की अनुमति दे दी थी। उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा चुकी है।

श्री एस० सी० सामन्त : यह हीरा किसका था? हैमिल्टन एण्ड कम्पनी का सम्बन्ध किस प्रकार हुआ ?

श्री ए० सी० गुह : हैमिल्टन, कलकत्ते प्रसिद्ध जौहरियों की संस्था है। हीरा बर्दवान के महाराजाधिराज का था। उसने जौहरियों के द्वारा बाहर भेजने का प्रबन्ध किया था। दोनों को ७५,००० रुपये का अर्थ दण्ड दिया गया था। जांच में कुछ प्राविधिक त्रुटियां हैं। नये न्यायिक निर्णय के आदेश जारी किए गये हैं।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या सरकार ने जहांगीर हीरे को भारत में लाने के कोई प्रयत्न किये हैं ?

श्री ए० सी० गुह : जैसा कि मैंने बताया यह हीरा बिक चुका है। फिर भी मैं यह कह सकता हूं कि जो विदेश चली गई है अपनी उन सभी प्राचीन वस्तुओं को वापस लाने के प्रश्न पर शिक्षा मंत्रालय विचार कर रहा है। मैं नहीं जानता कि सभी मामलों में यह प्रयास कितना सफल होगा।

शिक्षितों में बेकारी

*२१२४. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में शिक्षितों में बेकारी दूर करने के लिये विभिन्न राज्यों के लिए धनराशि स्वीकृत की गई ; और

(ख) क्या ऐसे व्यक्तियों के, सम्बन्ध में जिन्हें इस योजना के अधीन लाभ हुआ है, आंकड़े एकत्रित किए गए हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) ६६, ९२, ४३० रुपये।

(ख) यह राज्य सरकारों से सम्बन्धित है।

श्री भागवत झा आजाद : इस प्रकार के अनुदानों की स्वीकृति से पूर्व तथा पश्चात की सांख्यकी न होंने पर, ऐसे अनुदानों का क्या आधार है ?

डा० एम० एम० दास : सांख्यकी शब्द के व्यापक अर्थ हैं। यदि माननीय सदस्य नियुक्त होने वाले अध्यापकों की संख्या तथा अपेक्षित धन की राशि को जानना चाहें तो मैं आंकड़े बता सकता हूं। यह मेरे पास हैं क्योंकि अनुदान के आवेदन पत्रों में राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को भेजा है। परन्तु यदि माननीय सदस्य का अर्थ सांख्यकी से आयु, अभ्यर्थियों की शिक्षा अर्हता, किस विशेष राज्य के अभ्यर्थी आदि से है तो मुझे खेद है कि यह सूचना मेरे पास नहीं है, परन्तु यह राज्य सरकारों के पास है।

श्री भागवत झा आजाद : प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने शिक्षित बेकार व्यक्तियों को इस का लाभ पहुंचा है क्या इसकी सांख्यकी सरकार के पास है अथवा नहीं? इस प्रकार के अनुदानों का क्या आधार है?

डा० एम० एम० दास : यदि लाभ मिलने से माननीय सदस्य का यह अर्थ है कि जो नियुक्त थे उनको बेकार होने से बचा लिया गया तो उसके आंकड़े मेरे पास हैं, उनको मैं दे सकता हूं इन आंकड़ों को मैं कई बार सभा में पहले भी बता चुका हूं।

श्री भागवत झा आजाद : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति तथा अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं के निर्णयों पर ध्यान दिया है तथा क्या इस प्रकार के अनुदानों को शिक्षित बेकारों को दान रूप में देने के स्थान पर सरकार पूर्ण शिक्षा पद्धति को परिवर्तित करने का विचार कर रही है तथा लिपिक तथा प्राविधिक बनाने के स्थान पर ?

अध्यक्ष महोदय : हम ब्यौरों में जा रहे हैं।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो एजूकेटिड अन-एम्पलायड हैं, उनसे क्या काम लिया जाता है ?

डा० एम० एम० दास : उनको प्राथमिक स्कूलों में अध्यापक नियुक्त किया जाता है।

सहकारी बीमा समितियां

*२१२५. ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी बीमा समितियों के विस्तार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके ब्योरे क्या हैं ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : इस विषय में सरकार की तरफ से अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ?

श्री एम० सी० शाह : यह आवश्यक नहीं है।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या आल इंडिया को-आपरेटिव इन्शोरेन्स कांग्रेस की तरफ से इस बारे में कोई प्रस्ताव अथवा डेपूटेशन फाइनेन्स मिनिस्टर के पास आया है ?

श्री एम० सी० शाह : उस ने सरकार को भेजा है।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : सरकार ने उन प्रस्तावों पर विचार क्यों नहीं किया ?

श्री एम० सी० शाह : विचार होता है ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार की यह नीति द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में सहकारी क्षेत्र में यथाशीघ्र विस्तार करने के विचार से किस प्रकार से संगत है ?

श्री एम० सी० शाह : यह प्रश्न सहकारी बीमा समितियों के सम्बन्ध में है । सहकारी बीमा समितियों तथा साथ ही साथ कर नीति में, कुछ रियायतें दी गई हैं, तथा उन्होंने कुछ प्रतिनिधान भेजे हैं । वह प्रतिनिधान विचाराधीन हैं । इस समय भारत में बहुत कम सहकारी बीमा समितियां हैं ।

हीरों पर आयात शुल्क

*२१२६. **श्री एस० एन० दास :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन-तराशे हीरों पर आयात शुल्क की दर में संशोधन के प्रश्न पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो परिणाम क्या है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) और (ख) जी हां, कुछ दिन पूर्व विषय की जांच की गई है । हमारा विचार है कि शुल्क का संशोधन करने का कोई उचित कारण नहीं है । फिर भी यह फैसला किया गया कि अन-तराशे हीरे के सम्बन्ध में और अधिक ढ़ीली नीति वर्ती जाय तथा आयात का कोटा १० प्रतिशत से ७५ प्रतिशत बढ़ा दिया जाये ।

श्री एस० एन० दास : क्या यह सच है कि जिन देशों में यह उद्योग हैं उन में से केवल भारत में ही आयात शुल्क लगता है ?

श्री ए० सी० गुह : मेरे विचार से यह ठीक नहीं है परन्तु यदि ऐसा है भी तो मैं नहीं समझता कि हीरे जैसी विलास वस्तु को बिना शुल्क आने की अनुमति क्यों दी जाये । जब हम जानते हैं कि उनमें से लगभग ५० प्रतिशत हीरे भारतीय राष्ट्रीयों द्वारा भारत में उपयोग के लिये रोक लिये जाते हैं तथा जब हम यह भी जानते हैं कि औषधि तथा अन्य आवश्यक सामग्री पर आयात शुल्क है तो मैं नहीं समझता कि इस विलास वस्तु को आयात शुल्क से क्यों छूट दी जाये ।

श्री एस० एन० दास : क्या भारत सरकार के पास कोई प्राप्य राजस्व तथा आयात सम्बन्धी आंकड़े हैं तथा यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस पर शुल्क लगाने से राजस्व कम हो गया है तथा जब शुल्क कम था तो राजस्व से आय अधिक थी ।

श्री ए० सी० गुह : सदैव किसी विशेष वस्तु से शुल्क प्राप्त करने का ही प्रश्न नहीं होता । कुछ सामाजिक विचार भी है तथा विदेशी विनिमय का प्रश्न भी है तथा मैं समझा नहीं कि इस प्रश्न पर विचार करते समय राजस्व कैसे आता है ।

खानज संसाधनों का विकास

*२१३१. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री ३१ अगस्त १९५५ को दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या १२६५ के उत्तर के सम्बन्ध में जो खनिज संसाधनों के विकास के विषय पर था यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार उन मामलों में जिनमें कि स्थिति तथा सर्वेक्षण कार्य समाप्त हो चुका है, क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : जब सवक्षण समाप्त हो जाते हैं तब जांच करन वाले पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत इस प्रकार के सर्वेक्षणों के परिणामों का प्रतिवेदन, उपयुक्त सिफारिशों से सम्बन्धित राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है । इससे अगली कार्यवाही खनिज पदार्थों की खुदाई तथा विकास का उत्तरदायित्व सम्बन्धित राज्य सरकारें करती हैं; क्योंकि समाप्त हो चुके सर्वेक्षण क प्रतिवेदनों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है इसलिये क्या कार्यवाही की जानी चाहिये इसके बताने का अभी समय नहीं आया है ।

श्री भागवत झा आजाद : सभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि सर्वेक्षण की १२ तथा १३ मदें पूर्ण हो चुकी हैं, इस आधार पर मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने यह उचित समझा है कि युद्ध सम्बन्धी खनिज पदार्थों के लिये खान के प्रशासन को ले लिया जाये ?

डा० के० एल० श्रीमाली : जैसा कि मैं ने निवेदन किया है, जितने आइटम्ज़ हैं, उन सब का अलग अलग स्टेजिज़ पर सर्वे हुआ है। अगर माननीय सदस्य किसी विशेष आइटम में रुचि रखते हैं, तो उसके सम्बन्ध में मैं उनको बता सकता हूं। लेकिन इस परिस्थिति पर मामला नहीं पहुंचा है कि कार्यवाही की जाय और यह स्टेट गवर्नमेंट्स की ज़िम्मेदारी है ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं यह जानना चाहता हूं कि इन १२ तथा १३ मदों के सम्बन्ध में जिनका सर्वेक्षण समाप्त हो चुका है, केन्द्रीय सरकार ने किसी युद्ध सम्बन्धी खनिज पदार्थ को खान कार्य के लिए उपयुक्त समझा है। अथवा इस प्रकार के सवक्षण का क्या लाभ था ?

डा० के० एल० श्रीमाली : १२ तथा १३ मदों के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार थी कि जो सर्वेक्षण कुछ समाप्त हो चुके थे उनको १९५५-५६ के भारत के भूतत्वीय परिमाप के कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया है तथा कार्य प्रारंभ हो जायेगा; आगामी शीत ऋतु में सर्वेक्षण जारी रहेगा ।

श्री वी० पी० नायर : माननीय उपमंत्री ने बताया कि सर्वेक्षण के पश्चात् खनिज पदार्थों की खुदाई का काम राज्य सरकारों का है । जब भारत सरकार को यह ज्ञात हो जाता है कि विशेष खनिज पदार्थ विशेष स्थान से मिल सकती है तथा हमारी वर्तमान आर्थिक व्यवस्था के लिये उस खनिज पदार्थ की बहुत शीघ्र आवश्यकता है तो सरकार उस विशेष खनिज पदार्थ की शीघ्र खुदाई के लिये राज्य सरकारों पर किस प्रकार दबाव डालती है, तथा क्या इस प्रकार का कोई उदाहरण है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : भारत सरकार लगातार राज्य सरकारों से सम्पर्क रखती है तथा इन खनिज पदार्थों की खुदाई करने के लिये सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

अन्तर्राज्य बिक्री कर

*२१३२. **श्री एस० एन० दास :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राज्य व्यापार पर बिक्री कर लगाने के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल में किये गये निर्णय पर सरकार ने विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है; और

(ग) क्या इस बारे में संविधान में संशोधन करने का कोई विचार है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) से (ग). निर्णय के सम्भव परिणामों पर सरकार इस समय विचार कर रही है।

श्री एस० एन० दास : क्या इस निर्णय से पूर्व बिक्री कर के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों के मत पूछे गये थे और क्या सरकार ने उनके मत प्राप्त कर लिए हैं ?

श्री एम० सी० शाह : वह उस अन्तर्राज्य बिक्री कर के बारे में था, जहां राज्य सरकारों द्वारा कुछ कार्यवाही की जानी चाहिये थी, किन्तु उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय की दृष्टि से यह आवश्यक नहीं है। हमने अधिकतर राज्यों से उत्तर प्राप्त कर लिया था, केवल दो राज्यों ने उत्तर नहीं दिया था, किन्तु तब तक उच्चतम न्यायालय का निर्णय सामने आ गया, इस लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं रही है।

श्री एस० एन० दास : उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय का किन राज्य अधिनियमों पर प्रभाव पड़ा है ?

श्री एम० सी० शाह : जो राज्य गैर-निवासियों पर अन्तर्राज्य बिक्री कर लगाते थे, उन पर प्रभाव पड़ा है।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि इंटर स्टेट ट्रेड पर सेल्स टैक्स लेने से व्यापार में रुकावट पड़ती है और इससे व्यापारियों को दिक्कत होती है ?

अध्यक्ष महोदय : इस बात का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में हो चुका है।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार हमें बतायेगी कि निर्णय का क्या परिणाम होगा, अर्थात क्या, राज्यों को वह बिक्री कर, जो उन्होंने व्यापारियों से एकत्रित किया है, लौटाना पड़ेगा या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। यह राज्यों और व्यापारियों के बीच का मामला है।

श्री एम० सी० शाह : इस मामले पर राज्यों को ध्यान देना चाहिये।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल

*२१०२. **श्रीमती सुषमा सेन (श्रीमती इला पालचौधरी की ओर से) :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना के सदस्य जब शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, तब उन्हें बिना दामों के भोजन मिलता है;

(ख) यदि हां, तो उनके मध्यान्ह भोजन और सायंकाल के भोजन में क्या वस्तुएं होती हैं; और

(ग) प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खुराक पर क्या खर्च आता है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबंध संख्या ६३]**

(ग) लागत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एक और सवा रुपये के बीच आती है।

श्रीमती सुषमा सेन : क्या उन्हें अल्पाहार और मध्याह्नोत्तर चाय मिलती है और यदि हां, तो उन्हें इसमें क्या मिलता है ?

सरदार मजीठिया : सायंकाल की चाय में केवल चाय होती है।

श्रीमती सुषमा सेन : इन लोगों के दिन के २४ घण्टों में से कितने घण्टे बिना खाये रहना पड़ता है और उनको अल्पाहार, मध्याह्नभोजन, चाय तथा सायंकाल के भोजन के रूप में जो खुराक दी जाती है क्या वह उन्हें सेवा के सदस्य के रूप में और विशेषकर उस परिश्रम की दृष्टि से जो उन्हें करना पड़ता है, बिल्कुल अच्छा स्वास्थ्य बनाये रखने के लिये पर्याप्त है ?

सरदार मजीठिया : लगभग ८० प्रतिशत प्रशिक्षार्थियों का वजन बढ़ गया है जिस से सिद्ध होता है कि उन्हें पर्याप्त खुराक मिलती है।

संगीत नाटक अकादमी

***२११७. डा० रामा राव (श्री ए० के० गोपालन की ओर से)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संगीत नाटक अकादमी की केन्द्रीय सामान्य परिषद् में केरला (मलयालम भाषी क्षेत्र) का कोई प्रतिनिधि नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) तथा (ख) संगीत नाटक अकादमी की सामान्य परिषद में प्रतिनिधि भाषा या प्रदेश के आधार पर नहीं रखे जाते, अपितु अकादमी स्थापित करने वाले, ३१ मई, १९५२ के सरकारी संकल्प संख्या एक-६/५१-जी २ (ए) के अनुच्छेद १० के अनुसार जिस की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, प्रतिनिधि नियुक्त किये जाते हैं।

डा० रामा राव : हमारे मलयाली भाइयों, विशेषकर कथाकली में नाट्य कला विषयक बड़ी योग्यता होने के विचार से मैं जान सकता हूं कि सरकार ने उस क्षेत्र से एक भी प्रतिनिधि क्यों नहीं लिया है ?

डा० एम० एम० दास : संगीत नाटक अकादमी की सामान्य परिषद के सदस्यों की नियुक्ति के बारे में कुछ नियम बनाये गये हैं, और ये नियम अकादमी की स्थापना सम्बन्धी संकल्प में दिये गये हैं। सदस्य इन नियमों के अनुसार नियुक्त किये जाते हैं।

डा० रामा राव : क्या सरकार को अखिल मालाबार केन्द्र कला समिति से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो सरकार ने उनके अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की है ?

डा० एम० एम० दास : नृत्य, नाट्य, चलचित्र तथा संगीत के क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं और जिन्हें इस अकादमी ने निर्वाचन के लिए मान्यता दी है, उनके द्वारा १६ प्रतिनिधियों के निर्वाचित किये जाने

का संकल्प में उपबंध किया गया है। हाल ही में निर्वाचन हुए थे और इस के फलस्वरूप १४ व्यक्ति निर्वाचित हुये थे, और २ की अभी घोषणा होगी।

श्री वी० पी० नायर : प्रश्न यह था कि क्या यह सच है कि केराला का कोई प्रतिनिधि नहीं है उत्तर यह दिया गया था कि किसी भाषा के आधार पर इस का चुनाव नहीं होता। मैं यह जानना चाहता हूं कि केराला का कोई प्रतिनिधि नहीं

डा० एम० एम० दास : आजकल इस अकादमी में केराला से कोई प्रतिनिधि लिया गया है या नहीं, इसके लिए मुझे पूर्ण सूचना चाहिए। किन्तु मैंने कहा है .....

श्री० वी० पी० नायर : वास्तव में यह समस्त प्रश्न था। क्या आप प्रश्न को पढ़ने की कृपा करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न को पढ़ चुका हूं। माननीय सभा-सचिव ने बताया है कि १६ प्रतिनिधि चुने जाते हैं। निस्सन्देह प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि नहीं लिये जा सकते।

श्री वी० पी० नायर : यह सच है किन्तु प्रश्न का भाषा या इस प्रकार के अन्य किसी अंक से संबंध नहीं है। यह यथार्थता का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं तर्क करना नहीं चाहता। माननीय सभा-सचिव उत्तर दे चुके हैं।

हिन्दुस्तान एअर क्राफट लिमिटिड

*२१२२. **श्रीमती सुषमा सेन (श्रीमती इलापालचौधरी की ओर से)** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयरक्राफ़्ट लिमिटिड बंगलौर ने एक बुनियादी जैट ट्रेनर और एक बढ़िया जेट फाइटर विमान का नमूने का आकार बनाया है और उसे तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन विमानों के नमूने और निर्माण का भारतीय विमान सेना के अधिकारियों ने अनुमोदन किया है;

(ग) क्या भारतीय विमान सेना के प्राधिकारियों ने प्रश्नोलिखित फैक्टरी को इन विमानों के लिए आर्डर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो कितने विमानों का आर्डर दिया गया है और वे कितनी अवधि के अन्दर दिये जायेंगे ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया : (क) हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटिड बुनियादी जैट ट्रेनर और एक बढ़िया "जैट ट्रेनर" विमान का नमूना तैयार कर रहा है और बढ़िया जैट फाइटर का नहीं।

(ख) तथा (ग). अभी नहीं।

(घ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्रीमती सुषमा सेन : इन विमानों पर कितनी लागत आयेगी और इसी प्रकार के विदेशी विमानों की लागत और इन की लागत में कितना अन्तर है ?

सरदार मजीठिया : अभी इस जहाज का नमूना तैयार हो रहा है।

श्री जी एस० सिंह : क्या यह सच है कि भारत सरकार भारत में हल्के जैट फाइटरों और जैट इंजनों के निर्माण के लिये एक ब्रिटिश फर्म के साथ बातचीत कर रही है, और यदि हां, तो इस समय कहां तक बातचीत हो चुकी है ?

सरदार मजीठिया : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

संस्कृत विश्वविद्यालय

*२११८. **श्री बी० डी० शास्त्री** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन द्वारा अपने गत अधिवेशन में पास किये गये संकल्पों की प्रतियां मिली हैं जिसमें संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने के लिये सहायता के लिये तथा अन्य आनुषंगिक समस्याओं पर सहायता के लिये प्रार्थना की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) नहीं, जी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री बी० डी० शास्त्री : क्या यह सही है कि अब तक हिन्दुस्तान में कोई संस्कृत यूनिवर्सिटी नहीं है ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक मुझे मालम है, केवल संस्कृत के अध्ययन के लिये कोई विश्वविद्यालय नहीं है ।

श्री बी० डी० शास्त्री : क्या सरकार यह आवश्यक समझ रही है कि चूंकि अब हिन्दी को राष्ट्र भाषा बना दिया गया है इसलिये उसके परिपोषण के लिये संस्कृत यूनिवर्सिटी की बहुत जरूरत है ?

डा० एम० एम० दास : सरकार संस्कृत साहित्य और देश में उसके प्रचार की बड़ी उपयोगिता से अवगत है और सरकार ने संस्कृत के प्रचार के कई अति महत्वपूर्ण उपाय किये हैं । मैं माननीय सदस्य को वे उपाय बता सकता हूं ।

श्री बी० डी० शास्त्री : क्या यह सही है कि जर्मनी में कई संस्कृत की यूनिवर्सिटियां हैं और बहुत से अच्छे अच्छे संस्कृत कालेज हैं जब कि इस देश में एक भी संस्कृत यूनिवर्सिटी नहीं है, और क्या यह भी सही है कि यहां के लोग संस्कृत में डिग्रियां लेने जर्मनी जाते हैं ?

डा० एम० एम० दास : मैं समझता हूं कि कुछ विश्वविद्यालयों को छोड़ कर देश के प्रत्येक विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन और गवेषणा कार्य तथा डाक्टर की डिग्रियों के लिये प्रबन्ध है । कई अन्य संस्थायें भी हैं, जहां संस्कृत में गवेषणा की जा रही है ।

लैकेडाइव और मिनिकोए द्वीप

*२१२९. **डा० रामा राव** (श्री ए० के० गोपालन की ओर से) : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि लैकेडाइव और मिनिकोए द्वीपों में जो विधियां प्रचलित हैं वे भारत के संविधान की नितांत विरोधी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय संविधान के नमूने पर उन में संशोधन न करने के क्या कारण हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). उस मामले पर पहले से ध्यान दिया जा रहा है । ये द्वीप मद्रास राज्य के अंग हैं और राज्य सरकारों को सांविधानिक दृष्टिकोण से वर्तमान निवनियमनों का परीक्षण करने के लिये कहा गया है ।

डा० रामा राव : हम सरकार से कब आशा कर सकते हैं कि वह इस निर्णय

पर पहुंचेगी कि हमारे देश की विधियां इन द्वीपों में भी लागू हों और १९५२ का विनियम १ नहीं, जो अभी तक वहां चल रहा है ?

श्री राज बहादुर : पिछले जून में हमें उस मामले की सूचना मिली थी, और हमने तुरन्त इस मामले के सम्बन्ध में मद्रास सरकार से पूछा, जो उन द्वीपों के लिये प्रभारी है । मामले की जांच करना उसकी शक्ति के अन्तर्गत है ।

श्री वी० पी० नायर : मैं देखता हूं कि ये द्वीप मलावार के कलक्टर द्वारा प्रशासित होते हैं, अर्थात् १९१२ के लैकेडाइव और मिनिकोए द्वीप निवनियमन के अधीन । मैं यह भी देखता हूं कि इस विधि के अधीन १८१८ का बंगाल उपबन्ध निवनियमन, १८१९ का मद्रास राज्य उपबन्ध निवनियमन और १८७४ का अनुसूचित जिले अधिनियम उन विशिष्ट द्वीपों में इस समय प्रचलित हैं । क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार इन द्वीपों की विधियों को आधुनिकतम बनाने के लिये जो कि उस समय भारत में प्रचलित हैं, क्या कार्यवाहियां करने का विचार करती है ?

श्री राज बहादुर : ठीक उसी उद्देश्य के लिये हमने मद्रास सरकार का ध्यान इस मामले की ओर दिलाया है । निवनियम के केवल खण्ड ८ के प्रति आपत्ति की गई है । उस निवनियमन का निरसन करना मद्रास सरकार की शक्तियों के अन्दर है ।

एच० टी०—२ विमान

*२१३०. **श्रीमती सुषमा सेन (श्रीमती इसा पालचौधरी की ओर से)** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बंगलौर, अब अपने द्वारा बनाये गये एच० टी०—२ विमान अपने पड़ोसी देशों को प्रतियोगितात्मक (सस्ते) मल्य पर दे सकता है ;

(ख) किन किन देशों में विमान का प्रदर्शन किया गया है ; और

(ग) क्या इन देशों ने उन विमानों के लिये कुछ आर्डर दिये हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) यह विमान इन्डोनेशिया और श्रीलंका में दिखाया गया है । कुछ अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी उसे दिखाने की व्यवस्था की जा रही है ।

(ग) अभी नहीं ।

श्रीमती सुषमा सेन : क्या उन विमानों के लिये उस फैक्टरी को कोई आर्डर दिये गये हैं और यदि हां, तो कितने विमानों के लिये और किस देश द्वारा ? और ये आर्डर कितनी लागत के हैं ?

सरदार मजीठिया : मैं पहले ही उस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं । मैं ने प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में कहा है "अभी नहीं" ।

श्री जयपाल सिंह : एच०—१० की क्या स्थिति है ?

सरदार मजीठिया : हमने उसका विचार छोड़ दिया है क्योंकि हम उसे उपयुक्त नहीं समझते ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

शिल्पिक सहायता योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण

*२०९५. **श्री इब्राहीम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कितने पदाधिकारियों को गत दो वर्षों में विभिन्न शिल्पिक सहायता योजनाओं के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये विदेश भेजा गया है ; और

(ख) उन में से कितने पदाधिकारी स्थायी सरकारी कर्मचारी हैं ?

राजस्व और असनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) १४७ ।

(ख) १०६ ।

रक्त चाप का इलाज

*२०९६. **श्री केशवैयंगार** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औषधि गवेषणा संस्था, लखनऊ ने रक्त चाप के इलाज के लिये एक विशिष्ट स्थानीय औषधि मालूम की है ; और

(ख) क्या इस औषधि की तैयारी के लिये जो वस्तुयें प्रयोग में लाई जाती हैं वह बड़ी मात्रा में विदेशों से मंगाई जाती हैं ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) केन्द्रीय औषधि गवेषणा संस्था ने ऐसी कोई औषधि मालूम नहीं की है, तथापि यह बहुत समय से ज्ञात है कि भारतीय जड़ी बूटी अर्थात् 'रौवल्फिया सरपैंटाइना' (सर्वगन्ध, चन्द्रिका, चोटा-चंद) अति रक्त चाप के इलाज के लिये बहुत साधक हैं ।

(ख) १९५३ और १९५४ में 'रौवल्फिया सरपैंटाइना' का निर्यात व्यापार बहुत बढ़ गया था । इस जड़ी बूटी के जमा रखने की आवश्यकता के कारण जो भारत में बहुतायत में नहीं मिलती, इस के निर्यात को रोकने का निर्णय किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप निर्यात बहुत घटा दिया गया है ।

पुस्तकों का उपहार

*२०९७. **चौधरी मुहम्मद शफ़ी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम जनवरी, १९५५ से विदेशों में विभिन्न संस्थाओं को उपहार रूप से दी गई पुस्तकों की संख्या क्या है ; और

(ख) सरकार ने उस पर कितनी राशि का व्यय किया है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) १२१६ ।

(ख) १२,५५६ रुपये ।

गवेषणा छात्रवृत्तियां

*२१०१. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ गवेषणा छात्रवृत्तियां देने का फैसला दिया है ;

(ख) इस प्रकार की छात्रवृत्तियों के देने का अभिप्राय क्या है ;

(ग) प्रत्येक छात्रवृत्ति का अनुमानित मूल्य क्या है ;

(घ) प्रत्येक छात्रवृत्ति कितने समय के लिये दी जायेगी; और

(ङ) इनके लिये व्यक्ति किस आधार पर चुने जायेंगे ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ६४]**

पुलिस की चौकियां

***२१०४. श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दीमापुर सड़क पर, मानीपुर सड़क स्टेशन तथा इम्फाल के बीच, जहां पुलिस अधिकारी प्रायः यात्रियों के प्रवेश पत्रों की जांच पड़ताल करते हैं, पुलिस की कितनी चौकियां हैं ;

(ख) ऐसे यात्रियों की कितनी श्रेणियां हैं जिन्हें प्रवेश पत्रों की आवश्यकता पड़ती है तथा जिन से इन चौकियों पर पूछताछ होती है ; और

(ग) प्रवेश या अनुज्ञापत्रों की आवश्यकता के कारण क्या हैं ?

गृहकार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पंत) : (क) दो ।

(ख) तथा (ग). यात्रियों से किसी भी श्रेणी द्वारा प्रवेश या अनुज्ञा-पत्रों के प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जाती है । केवल विदेशियों के परिचय विलेखों तथा पंजीयनों के प्रमाणपत्रों की उचित रीति के अनुसार जांच पड़ताल की जाती है ।

उत्पादन शुल्क सम्बन्धी अपीलें

***२११०. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट के रंगों तथा फारस खाड़ी (ओक्साइड/लोहा) पर उत्पादन शुल्क के लागू करने के सम्बन्ध में कलक्टर (दिल्ली—२) के आदेशों के विरुद्ध केन्द्रीय राजस्व बोर्ड में एक अपील पिछले तीन मास से निलम्बित है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि (केन्द्रीय उत्पादन) कलक्टर दिल्ली—२ के सिवाय कोई और संग्रहालय इन मदों पर शुल्क नहीं ले रहा है तथा इससे दिल्ली की सभी फैक्टरियां बंद हो गई हैं ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इस विभेद के कारण क्या हैं ; और

(घ) फैसले के कब तय हो जाने की आशा है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) जी हां ।

(ख) नहीं, श्रीमान् । अमृतसर की फैक्टरियां उत्पादन शुल्क के आरोपण से ही इन वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क देती आ रही हैं । बम्बई, इलाहाबाद तथा पटना के केन्द्रीय उत्पादन के संग्रहालयों में इन वस्तुओं पर भी उत्पादन शुल्क लगाया जा रहा है ।

दिल्ली खास की फैक्टरियों के मामले में, कलक्टर ने शेष के माल को कर वसूल किये बिना बेचने की अनुमति दे दी है क्योंकि उसे कुछ सन्देह थे कि आया इन वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लिया जा सकता है या नहीं। तथापि उसने संविधिक समय सीमा के लागू करने के फलस्वरूप होने वाली हानि से बचने के लिये औपचारिक मांगें प्रस्तुत की हैं, परन्तु केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को निर्दिष्ट मामले का फैसला हो जाने तक इन मांगों को लागू नहीं किया गया है। दिल्ली में कोई फैक्टरी बन्द नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) प्रश्न पर सक्रिय विचार हो रहा है तथा अन्तिम फैसला शीघ्र हो जायेगा।

"खुला जेल" शिविर

*२११२. **श्रीमती जयश्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपराध के निवारण के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय शिष्ट मंडल ने पामपुर (उत्तर प्रदेश) में स्थापित 'खुले जेल' शिविर के बारे में क्या मुख्य बातें कही हैं ; और

(ख) क्या भारत के अन्य राज्यों ने भी ऐसे प्रयोग किये हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त) : (क) सरकार को भारतीय प्रतिनिधि द्वारा दिये गये वक्तव्य की अभी प्रतिलिपि नहीं मिली है।

(ख) जी हां।

हवाई जहाज के पेट्रोल सम्बन्धी वापसी के दावे

*२११४. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय हुआ सरकार ने कलकत्ता सीमा-शुल्क गृह (कलकत्ता कस्टम्स हाउस) में हवाई जहाज के पेट्रोल के वापसी के दावों को पास करने के सम्बन्ध में लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिये सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के निरीक्षण निदेशक की प्रतिनियुक्ति की थी ;

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) क्या पदाधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

राजस्व और रक्षा व्यमंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) जी हां।

(ख) निरीक्षण निदेशक को किसी जालसाजी या भ्रष्टाचार का प्रमाण नहीं मिला ; किन्तु उन्होंने कुछ प्रक्रिया सम्बन्धी गलतियां तथा कमियां पाई हैं और कुछ प्रशासकीय सुधारों की सिफारिश की है।

(ग) कलकत्ते के सीमा-शुल्क कलक्टर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में असावधानी तथा शिथिलता करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध उचित विभागीय कार्यवाही कर रहे हैं।

आय-कर विभाग के सालिसिटर

*२११५. { **श्री हेडा** :
श्री मुरारका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय-कर विभाग फर्मों के सदस्यों को सालिसिटर नियुक्त करता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन फर्मों के भागीदार उसी अभियोग अथवा अन्य अभियोगों में करदाता की ओर से उपस्थित होते हैं ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) जी हां । आय-कर विभाग के लिये दो सालिसिटर हैं—एक बम्बई में और दूसरा कलकत्ता में—जो फर्मों के सदस्य हैं ।

(ख) कलकत्ता में सालिसिटर के भागीदार किसी भी न्यायालय में विभाग के विरुद्ध नहीं उपस्थित होते हैं ।

बम्बई में विभागीय सालिसिटर उच्च न्यायालय तथा कलक्टर के सामने वसूली की कार्यवाहियों में जाता है । उसके भागीदार न तो आय-कर के मामलों में उच्च न्यायालय के सामने ही जाते हैं और न ही वे कलक्टर के सामने विभागीय सालिसिटर के उपस्थित होने पर करदाता की ओर से विभाग के विरुद्ध ही जाते हैं । अन्य मामलों में भागीदार आय-कर आयुक्त की अनुमति से करदाताओं की ओर से अन्य न्यायालयों के सम्मुख जा सकते हैं ।

विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों के लिये छात्रवृत्तियां

*२१२३. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **शिक्षा** मंत्री एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित बातें दिखाई गई हों :

(क) विदेशों में पढ़ने वाले ऐसे भारतीय छात्रों की संख्या कितनी है जिनकी छात्रवृत्तियां भारत सरकार द्वारा १ जनवरी, १९५५ से रोक दी गई हैं ;

(ख) उन छात्रों के नाम, अध्ययन के विषय तथा वे देश कौन-कौन से हैं जिनमें वे पढ़ रहे हैं ; और

(ग) उनकी छात्रवृत्तियां रोक देने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) एक भी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

आग बुझाने की केन्द्रीय संस्था

*२१२७. { **डा० राम सुभग सिंह** :
श्री राधा रमण :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १३ अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर में आग बुझाने की केन्द्रीय संस्था स्थापित करने में कितनी लागत लगेगी ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त): जिस भूमि पर कालेज स्थापित किया जाने वाला है उसके मूल्य को छोड़ कर अनुमानत: लगभग पांच लाख पचास हजार रुपया लगेगा ।

राष्ट्रीय रसायनिक प्रयोगशाला

*२१२८. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक परियोजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जाना इस कारण रुक गया है कि राष्ट्रीय रसायनिक, प्रयोगशाला, पूना, में जो अनेक महत्वपूर्ण क्रियायें पहले की जा चुकी थी उन पर ठीक प्रकार से आगे कार्यवाही नहीं की गई ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उच्च न्यायालय

११२०. **श्री कामत :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संविधान के अनुच्छेद २२६ में उच्च न्यायालयों को दिये गये अधिकारों में कमी करने की दृष्टि से उसमें संशोधन करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर ?

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कहवा बागान

११२१. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या वित्त मंत्री कहवा बागान उद्योग द्वारा १९५२, १९५३ और १९५४ में भारत के बाहर भेजे गये लाभ की राशि बताने की कृपा करेंगे ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : कहवा बागान उद्योग के उपक्रमों द्वारा १९५२, १९५३ और १९५४ में भेजे गये लाभ की राशि क्रमशः १०·६४ लाख रुपये, ४ लाख रुपये और ३१,००० रुपये थी । इन आंकड़ों में विदेशी समवायों की शाखाओं तथा उसकी अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा भेजे गये लाभ तथा लाभांश की राशि भी सम्मिलित हैं ।

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिमजातियां

११२२. **श्री डी० सी० शर्मा :**
श्री हेम राज :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने १९५५-५६ में अब तक पंजाब की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण के लिये अलग-अलग कितनी राशि स्वीकृत की है;

(ख) निम्नलिखित के लिये कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है;

(१) शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें;

(२) कृषि सम्बन्धी तथा अन्य सहकारी समितियां;

(३) जल संभरण ;

(४) आदिम जाति के कल्याण के लिये कार्य करने वाले लोगों तथा संस्थाओं के लिये अनुदान;

(५) प्रचार तथा सूचना;

(६) आश्रमों के लिये भवनों का निर्माण;

(७) चिकित्सा सुविधायें;

(८) सड़क विकास योजनायें; और

(९) पिछड़े वर्ग के कल्याण विभाग पर व्यय; और

(ग) १९५२-५३ और १९५४-५५ के लिये स्वीकृत राशि में से कितनी राशि व्यय की गई और उक्त काल में कितनी राशि व्यपगत हुई ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त) : (क) और (ख). पंजाब सरकार को चालू वर्ष में अनुसूचित जातियों के कल्याण (अस्पृश्यता निवारण) तथा अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों का विकास भी सम्मिलित है के लिये क्रमशः २ लाख रुपये और ९·२९ लाख रुपये का अनुदान दिया गया है प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित विभिन्न मदों के लिये स्वीकृत राशि बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ६५]**

(ग) १९५४-५५ में अनुसूचित जातियों के कल्याण (अस्पृश्यता निवारण) पर पंजाब सरकार ने २८,७५९ रुपये व्यय किये थे और ६२,२४१ रुपये व्यपगत हुये। १९५२-५३ में कोई अनुदान नहीं दिया गया था।

राज्य सरकार ने अनुसूचित आदिम-जातियों के कल्याण के लिये १९५२-५३ और १९५४-५५ में क्रमशः २,१९,२६१ रुपये तथा ५,७६,८७२ रुपये व्यय किये थे और इन वर्षों में क्रमशः २,५३,७३९ रुपये तथा २,५३,१२८ रुपये व्यपगत हुये।

कुम्भकारी प्रशिक्षण केन्द्र, रीर बाजार

११२३. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रनीर बाज़ार का कुम्भकारी प्राशिक्षण केन्द्र कनानमुरा को स्थानान्तरित हो गया है;

(ख) इस प्रशिक्षण केन्द्र में इस समय कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, और

(ग) इस केन्द्र पर कितना मासिक व्यय होता है ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त) : (क) हां।

(ख) नौ प्रशिक्षणार्थी।

(ग) औसतन तीन सौ पच्चास रुपये।

सोना

११२४. **श्री इब्राहीम :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री डी० सी० शर्मा :
श्री के० सी० गोधिया :
सेठ गोविन्द दास :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा अप्रैल से जून, १९५५ तक की कालावधि में कितना सोना पकड़ा गया था ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह): सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अप्रैल से जून १९५५ तक की कालावधि में पकड़े गये सोने की कुल मात्रा ९,४०७ तोले थी।

भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा

११२५. **श्री इब्राहीम** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में कितने पदाधिकारी काम कर रहे हैं;

(ख) उन में भारतीय कितने हैं और गैर-भारतीय कितने हैं; और

(ग) बिहार में ऐसे कितने पदाधिकारी काम कर रहे ह ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त) : (क) से (ग). एक विवरण, सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। **[देखिये परिशिष्ठ १० अनुबन्ध संख्या ६६]**

त्रिपुरा में आदिमजाति-शिक्षा

११२६. **श्री बीरेन दत्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार को आदिम-जातियों को शिक्षा देने के बारे में त्रिपुरा राज्यगण मुक्ति परिषद से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ठ १०, अनुबन्ध संख्या ६७]**

त्रिपुरा में स्कूलों का दर्जा बढ़ाना

११२७. **श्री दशरथ देव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिपुरा के आदिमजाति क्षेत्रों के कुछ एम० ई० स्कूलों का दर्जा बढ़ाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उन स्कूलों के नाम क्या हैं, जिन से ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और ये कहां कहां पर हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या पग उठाये हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) से (ग). एक यक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ठ १०, अनुबन्ध संख्या ६८]**

त्रिपुरा में सामाजिक शिक्षा कर्मचारी

११२८. **श्री दशरथ देव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अनुसूचित आदिमजातियों के कितने व्यक्तियों ने हाल में त्रिपुरा में सामाजिक शिक्षा कर्मचारी के पदों के लिए प्रार्थनापत्र दिये थे; और

(ख) उन में से कितनों को इन पदों पर नियुक्त किया गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) और (ख). यह जानकारी त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पुलिस पदक

११२९. **श्री बल्लाथरास :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पुलिस पदाधिकारियों द्वारा प्रशंसा योग्य सेवा के लिए या लोगों द्वारा पुलिस के काम में दी गई सहायता के लिए, राष्ट्रपति पदक प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों की सिफारिशों की पड़ताल के लिए गृह कार्य मंत्रालय ने कोई प्रक्रिया अपनाई है ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त) : जी हां, प्रशंसा योग्य सेवा के लिए पुलिस बल और फायर सर्विस के सदस्यों को राष्ट्रपति के पुलिस और फायर सर्विस पदक । पुलिस पदक प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों की सिफारिशों की जांच गृह-कार्य मंत्रालय में की जाती है और इन की घोषणा गृह-कार्य मंत्री, प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद की जाती है । जन-साधारण को ये दो पदक नहीं दिये जाते ।

संस्थाओं को अनुदान

११३०. **श्री नंदलाल शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५४ और १९५४-५५ में ऋषिकुल, गुरुकुल आदि जैसी संस्थाओं को दिये गये आवर्तक और या अनावर्तक अनुदानों की राशि क्या है; और

(ख) अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं के नाम क्या हैं और ये किन किन राज्यों में हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ६९]**

आदिमजाति- पेय

११३१. **श्री सुबोध हासदा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के नरतत्वीय विभाग के विशेषज्ञों ने विस्तृत वैज्ञानिक विश्लेषण के बाद यह राय प्रकट की है कि आदिमजाति-घरों में तैयार किये गये पेयों में पौष्टिक तत्व होते हैं; और

(ख) क्या सरकार का अब भी आदिम-जाति-क्षेत्रों में इन पेयों को प्रतिशिद्ध करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त) : (क) और (ख). इस मामले की अभी जांच हो रही है ।

छंटनी में लाये गये सरकारी कर्मचारी

११३२. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४-५५ में छंटनी में लाये गये अस्थायी और विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को किस हद तक पुनः नियोजित किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त) : १ जनवरी १९५४ से ३० जून १९५५ तक नौकरी दफ़्तरों में दर्ज किये गये छंटनी मे लाये गये कर्मचारियों की (जिन में विस्थापित सरकारी कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) कुल संख्या ३६,६२३ थी ।

२. इस अवधि में १५,५२१ व्यक्तियों को केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अधीन काम दिया गया है।

३.३० जून १९५५ को नौकरी दफ़्तरों के चालू रजिस्टरों में इन श्रेणियों के व्यक्तियों की संख्या ८,२९७ थी।

सम्पदा शुल्क

११३३. **ठकुर युगल किशोर सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४-५५ में बिहार में सम्पदा शुल्क से कितनी आय हुई है?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह): २५९१ रुपये।

पुनर्वास वित्त प्रशासन

११३४. **श्री एम० बी० वेंकट:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास वित्त प्रशासन ने वर्षवार, कुल कितनी कितनी राशि ऋणों के रूप में दी; और

(ख) पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों से पृथक् पृथक् इन ऋणों की कुल कितनी राशि, वर्ष वार, वसूल की गई?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० एस० गुह):

(क)

वर्ष	पूर्वी पाकिस्तान	पश्चिमी पाकिस्तान (लाख रुपयों में)	योग
१९४८	—	७.६०	७.६०
१९४९	१८.२९	१०१.४७	११९.७६
१९५०	१२.५२	७०.७१	८३.२३
१९५१	५६.०२	११७.१५	१७३.१७
१९५२	४७.७८	१०१.७०	१४९.४८
१९५३	५८.११	१४९.७७	२०७.८८
१९५४	६६ ३९	११८.१६	१८४.५५
१९५५	१६.७६	२७.१९	४३.९५
(३०-६-५५ तक) योग	२७५.८७	६९३.७५	९६९.६२

(ख) मूलधन के रूप में

वर्ष	पूर्वी पाकिस्तान	पश्चिमी पाकिस्तान
शुरू से	रुपये	रुपये
३१-१२-५२ तक	५.३५ लाख	२९.५६ लाख
१९५३	२.९५ ,,	१७.२१ ,,
१९५४	१.८४ ,,	११.४०
१-१-५५ से ३१-५-५५ तक	.६९ ,,	३.९१ ,,
	१०.८३ लाख	६२.०८ लाख

(योग ७२.९१ लाख रुपये)

(३१-१२-५२ से पहले के आंकड़ों का वर्ष-वार ब्यौरा तुरन्त उपलब्ध नहीं है)

ब्याज के रूप में

वर्ष	रुपये
शुरू से ३१-१२-४८ तक	शून्य
१९४९	.२२ लाख
१९५०	३.५७ ,,
१९५१	८.४७ ,,
१९५२	१०.७२ ,,
१९५३	१२.८५ ,,
१९५४	१३.६२ ,,
१-१-५५ से ३१-५-५५ तक	६.५९ ,,
योग	५६.०४ लाख

पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों से वसूल किये गये ब्याज के पृथक पृथक् आंकड़े तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं।

लोक-सभा

वाद-विवाद

शुक्रवार,
२३ सितम्बर, १९५५

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ८, १९५५

(२२ सितम्बर से १ अक्तूबर, १९५५)

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
11.11.83
Fumigated
On 18.1.80
Parliament Library

दशम सत्र, १९५५

(खंड ८ में अंक ४६ से अंक ५४ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

(खंड ८, अंक ४६ से ५४—२२ सितम्बर से १ अक्टूबर, १९५५)

स्तम्भ

अंक ४६—गुरुवार, २२ सितम्बर, १९५५

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ४५२५–२६

कार्य मंत्रणा समिति—

छब्बीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ४५२६–२७

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक और लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—असमाप्त . . . ४५२७—४६३०

अंक ४७—शुक्रवार, २३ सितम्बर, १९५५

देश में बाढ़ की स्थिति . . . . . ४६३१—३३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

देश में बाढ़ की नवीनतम स्थिति के बारे में विवरण . . . ४६३३

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा जहाज़ों के दिये जाने में विलम्ब के बारे में विवरण ४६३३–३४

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—प्राप्त याचिका . . ४६३३–३४

आश्वासनों की कार्यान्विति के सम्बन्ध में सदस्यों को सूचना . . ४६३३—३५

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक तथा लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—प्रवर समिति को सौंप देने के प्रस्ताव—असमाप्त . . ४६३५—७५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—अड़तीसवां प्रतिवेदन–स्वीकृत ४६७५–७६

भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—संशोधित रूप में स्वीकृत . . . ४६७६—४७२०

रेलवे के पुनर्वर्गीकरण के बारे में संकल्प—असमाप्त . ४७२१—२६

अंक ४८—शनिवार, २४ सितम्बर, १९५५

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक और लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत . ४७२७—८३

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . . ४७८३—४८७२

खंड २ से ६ और १ . . . . . ४८५९—७०

पारित करने का प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत . ४८७०—७२

स्तम्भ

अंक ४६—सोमवार, २६ सितम्बर, १६५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

केन्द्र से वित्त-पोषित बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं की प्रगति का विवरण . ४८७३

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें . . ४८७३—७४

चलचित्र (विवाचन) नियमों में संशोधन . . .

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . . ४८७३—७४

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ४८७४

समितियों के लिये निर्वाचन—

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड— . . ४८७५

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् . . ४८७५

विद्युत सम्भरण (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित ४८७६

सभा का कार्य . . . . . ४८७६—७७

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . . ४८७७—४६५३

खंड २ से २० और १ तथा प्रस्तावना . . . . ४६१७—५३

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . ४६५३

अनुपूरक अनुदानों की मांगें—असमाप्त . ४६५३—७६

अंक ५०—मंगलवार, २७ सितम्बर, १६५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

१६५३-५४ के लिये संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन और उस के सम्बन्ध में सरकार का ज्ञापन ४६७७

अनुदानों की मांगें (रेलवे), १६५५-५६ के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर . . . ४६७७—७८

प्राक्कलन समिति—

पन्द्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ४६७८

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

ग्यारहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . ४६७८

भारतीय रेड क्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित ४६७८

सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन (भारत)—

निधियों का स्थानान्तरण विधेयक—पुरःस्थापित . . ४६७९—८०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें . ४६७६—५०४६

	स्तम्भ
विनियोग (संख्या ३) विधेयक—	
पुरःस्थापित—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	५०४६—५०
खंड १ से ३ और अनुसूची	५०५२
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . .	५०५२
परक्राम्य संलेख (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	५०५२—७४
खंड १ से ३	५०७३
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	५०७३—७४
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधन पर विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	५०७४—७६
अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद्	५०७६—८८
अंक ५१—बुधवार, २८ सितम्बर, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र—	
औद्योगिक वित्त निगम का सातवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखाओं का विवरण	५०८९—९०
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक	
राज्य-सभा द्वारा किया गया संशोधन—स्वीकृत . . .	५०९०—५१०३
नया खंड १२—क	५१०२
द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के बारे में प्रस्ताव— असमाप्त	५१०३—५०
रेलवे परिवहन की स्थिति के बारे में चर्चा—समाप्त . . .	५१५०—९६
अंक ५२—गुरुवार, २९ सितम्बर, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र—	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की बैठकों की कार्यवाही के विवरण	५१९७
विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम, संसद् द्वारा परिवर्तित रूप में	५१९७—९८
कतिपय रक्षा सामग्री के विदेशों में क्रय के बारे में लोक लेखा समिति को सरकार का टिप्पण . .	५१९९—५२०१
प्राक्कलन समिति—	
सोलहवां प्रतिवेदन उपस्थापित . .	५१९८
अनुपस्थिति की अनुमति	५१९८—९९
तारांकित प्रश्नों के उत्तर में शुद्धि . .	५२०२
सभा का कार्य .	

स्तम्भ

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के बारे में
प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत . . . ५२०३—०५—५८
अन्तर्राज्यिक जल विवाद विधेयक—
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव–स्वीकृत . . . ५२९९—५३०७
नदी बोर्ड विधेयक—
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . . ५३०७—३४

अंक ५३—शुक्रवार, ३० सितम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र—
सोडियम थियोसल्फेट, सोडियम सल्फाइट और सोडियम बाई-सल्फाइट उद्योगों के लिये संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और उस के सम्बन्ध में सरकारी संकल्प आदि . ५३३५
सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही का विवरण . ५३३६–३७
राज्य–सभा से सन्देश . . . . ५३३७—५४५४
समवाय विधेयक, १९५५—
राज्य-सभा द्वारा संशोधित रूप में सभा पटल पर रखा गया . ५३३८
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—
सम्मत्तियां सभा पटल पर रखी गयीं . . . ५३३८
याचिका समिति—
छठा प्रतिवेदन—उपस्थापित ५३३८
अखिलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना भारतीय सैनिकों द्वारा उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के विद्रोही आदिम जातीय लोगों का हताहत किया जाना . . . . . ५३३८—४०
सभा का कार्य ५३४०
भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित ५३४०–४१
नदी बोर्ड विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत . ५३४१—६३
आर्थिक नीति के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . ५३६३—५४१४
अन्त्येष्टि क्रिया सुधार विधेयक—
परिचालित करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . ५४१४—२४
भारतीय अन्य धर्मग्राही (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . . ५४२४—५४

स्तम्भ

अंक ५४—शनिवार, १ अक्तूबर, १९५५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
जलहल्ली स्थित हिन्दुस्तान मशीनी औजार निर्माण कारखाने के बारे में
श्री स्केफ का प्रतिवेदन . . . . . ५४५५—५९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र— . . . . .
नारियल जटा बोर्ड का ३१-३-५५ को समाप्त होने वाली कालावधि के लिए
अर्धवार्षिक प्रतिवेदन . . . . . ५४५९—६०
उन संस्थाओं की सूची जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम की धारा ५६-क
के अन्तर्गत विमुक्ति दी गई है . . . ५४६०
राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल विधेयक—पुरःस्थापित . . ५४६०
भारतीय मुद्रांक संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित . . ५४६०—६१
गोआ के बारे में वक्तव्य . . . . ५४६१—६२
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ५५०३
आर्थिक नीति के बारे में प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत . ५४६३—५५०३,
५५०३—५६४२
राज्य-सभा से सन्देश ५६४२
अनुक्रमणिका . . . पृष्ठ १—३९

लोक-सभा

शुक्रवार, २३ सितम्बर, १९५५

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

१२ मध्यान्ह

देश में बाढ़ की स्थिति

योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नन्दा): १३ सितम्बर को मैं ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया था। यह विवरण जो मैं ने अभी सभा पटल पर रखा है १३ सितम्बर तथा २१ सितम्बर अर्थात् परसों तक की अवधि का है। यह विवरण हमें उन प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर तैयार किया गया है जिनसे ज्ञात होता है कि सभी प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति अब सुधर गई है। परन्तु हमें और प्रतिवेदन प्राप्त हुये हैं कि उत्तरी बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिर बाढ़ें आ रही हैं गत दो दिनों में इन बाढ़ों के सम्बन्ध में और भी सूचना प्राप्त हुई हैं, इनको मैं सभा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। गत रात्रि तथा आज सवेरे हमने राज्य पदाधिकारियों से सम्पर्क किया था।

मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारियों से प्राप्त सूचनानुसार, बाढ़ चम्पारन जिले में और बढ़ रही हैं तथा मुजफ्फरपुर में कुछ बढ़ रही हैं जो कि शीघ्र ही समस्तीपुर पहुंच जायगी। कई नदियों का जल स्तर बढ़ने के कारण गत अगस्त में बाढ़ अधिक फैली हुई थी परन्तु वर्तमान बाढ़ केवल दो नदियों भागमती तथा बूरीगंडक में आई हुई है। गत दो दिनों से वहां वर्षा हो रही है। यदि बाढ़ का पानी शीघ्रता से निकाल दिया गया तो निचले क्षेत्रों की धन की फसल बच सकती है। बाढ़ सहायता कार्य पूरे ज़ोर से किया जा रहा है तथा इस सम्बन्ध में राज्य सरकार सभी सम्भव कार्यवाही कर रही है।

उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने सूचना दी है कि पूर्वी ज़िलों की बाढ़ स्थिति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है, यद्यपि अधिकांश ज़िलों में भारी वर्षा बन्द हो चुकी है, परन्तु कुछ ज़िलों में कल तक छींटे पड़ रहे थे। सहायता कार्य जारी है। बाढ़ सहायता कार्य के लिये राज्य सरकार द्वारा अग्रेतर धनराशि का निर्धारण किया जा रहा है।

श्रीमान् मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि इस वर्ष स्थिति में सन्तोष का विषय यह है कि गत ऋतु में बाढ़ संरक्षण के किये गये कार्यों ने बाढ़ों को सन्तोषजनक रूप से रोका है। वर्तमान तथा भविष्य की ऋतुओं के लिये बनाये गये कार्यक्रमों में इसके द्वारा

[श्री नन्दा]

आशा तथा विश्वास उत्पन्न होता है । इस कार्यक्रम का एक विवरण संसद् सदस्यों में परिचालित कर दिया गया है । २७ सितम्बर को इन प्रस्थापनाओं पर हम चर्चा करेंगे । ६ अक्तूबर को केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक होगी ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

देश में बाढ़ की नवीनतम स्थिति के बारे में विवरण

योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : मैं देश की नवीनतम बाढ़ स्थिति का एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखा गया देखिए संख्या एस—३३९/५५]**

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा जहाजों के दिये जाने में विलम्ब के बारे में विवरण

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : म श्री के० सी० रेड्डी की ओर से २६ अगस्त, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ११८४ के अनपूरक प्रश्न के उत्तर में दिये गये आश्वासन के अनुसरण में, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा, जहाज़ों के दिये जाने में विलम्ब सम्बन्धी विवरण की प्रति, सभा पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ७०]**

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक

प्राप्त याचिका

सचिव : लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १७९ के अधीन, मुझे सभा को बताना है कि पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार, एक याचिका पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक, १९५५ के सम्बन्ध में, जो सभा में, १२ सितम्बर, १९५५ को श्री बी० एन० दातार द्वारा प्रस्तुत किया था, प्राप्त हुई है ।

विवरण

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक, १९५५ जो सभा में १२ सितम्बर, १९५५ को श्री बी० एन० दातार के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, के सम्बन्ध में याचिका ।

हस्ताक्षर-कर्ताओं की संख्या	जिला अथवा नगर	राज्य	याचिकाओं की संख्या
१	बम्बई	बम्बई	४७

आश्वासनों की कार्यान्विति के सम्बन्ध में सदस्यों को सूचना

संसद कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : सरकार द्वारा आश्वासनों की कार्यान्विति के बारे में सम्बन्धित सदस्यों को सूचित करने की व्यवस्था को बन्द करने के सम्बन्ध में १२ सितम्बर, १९५५ को श्री टी० बी० विट्ठलराव के प्रश्न के उत्तर में, आपने कहा था कि आप इस विषय पर ध्यान देंगे ।

सातवें सत्र में, मेरे विभाग ने माननीय सदस्यों को सूचित करने की व्यवस्था

प्रयोगात्मक रूप से प्रारम्भ की थी । आठवें सत्र में यह व्यवस्था बन्द कर दी गई क्योंकि इसको स्थायी रूप देना उचित नहीं समझा गया था । परन्तु सदस्य की मांग से (तथा मैं आशा करता हूं कि अन्य सदस्यों का भी यही विचार है) यह सिद्ध हो गया है कि यह व्यवस्था, जो कि लाभदायक सिद्ध हुई है फिर से, चालू कर दी जाये । इस लिए मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि सदस्यों के प्रश्नों से उत्पन्न आश्वासनों की कार्यान्विति के सम्बन्ध में सम्बन्धित सदस्यों को सूचित करने की व्यवस्था संसद के अगले सत्र से फिर चालू कर दी जायेगी ।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक तथा लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक तथा लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर चर्चा जारी रहेगी । यह चर्चा २-३० म० प० तक जारी रहेगी तत्पश्चात् गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को लिया जायेगा ।

सेठ गोविन्द दास (मंडला जबलपुर दक्षिण) : इन दोनों विधेयकों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं । इन विधेयकों के अध्ययन से यह बात स्पष्ट जान पड़ती है कि गत चुनावों में हमें जो अनुभव हुये और उन चुनावों के पश्चात् जो उपचुनाव हुये, उनमें हमें जो अनुभव हुये, उन अनुभवों को ध्यान में रख कर इन विधेयकों की रचना की गई है । परन्तु यदि यह समझ लिया जाय कि भविष्य में कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं होंगे तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बात समझ कर हम एक भूल करेंगे । हमने इस परिमाण में प्रजातन्त्र का आरम्भ बहुत थोड़े समय पहले किया है और प्रजातन्त्र का यह प्रयोग अब तक के मानव इतिहास में किसी काल में भी इतने बृहत रूप में नहीं हुआ कि जिस रूप में हमारे देश में किया जा रहा है । इसलिये भविष्य में भी जैसे जैसे अनुभव हमें प्राप्त होते जायेंगे, वैसे वैसे इस प्रकार के विधेयक भी लाना आवश्यक होगा ।

मैं एक ही दृष्टान्त देता हूँ । लोकसभा का चुनाव अभी सीधा होता है । इतनी बड़ी संख्या मतदाताओं की है कि आम चुनावों में तो इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं मालूम होती परन्तु यदि कोई उपचुनाव हो जाता है तो नाना प्रकार की कठिनाइयां हमारे सामने उपस्थित होती हैं, इसीलिए कुछ लोग इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि लोकसभा का यह चुनाव सीधा रक्खा जाय या उसमें परिवर्तन किया जाय । इस देश की जिस प्रकार की आर्थिक अवस्था है उसे देखते हुय लोकसभा के इतने बड़े चुनाव क्षेत्रों से, सीधा चुनाव होना, यह मैं समझता हूँ कि विचारणीय विषय है ।

[श्रीमती सुषमा सेन पीठासीन हुईं]

मैं केवल एक दृष्टान्त दे रहा था और यह कह रहा था कि जिस प्रकार आगे हमें अनुभव होते जायेंगे, उसके अनुसार हमें इस प्रकार के परिवर्तन भी करने पड़ेंगे ।

इन विधेयकों की कुछ धारायें सचमुच में बहुत अच्छी रक्खी गई हैं, जैसे नामजदगी का पत्र सरल कर दिया गया है । अब तक के अनुभव से हमें ज्ञात हुआ कि अभी तक जो चुनाव के मुकदमे चलते हैं वे नामजदगी के कारण चलते हैं । नामजदगी के पत्रों को सरल कर देने से मैं आशा करता हूँ कि काफ़ी सुधार इस सम्बन्ध में हो जायगा ।

दूसरी अच्छी बात जो की गई है वह पोलिंग एजेंटों के नाम तीन दिन पहले देने

[सेठ गोविन्द दास]

का जो नियम था उस को हटा देना है । जिन लोगों को चुनाव लड़ने पड़े हैं वे इस बात को जानते हैं कि इस प्रकार की समय की कैद से उम्मीदवारों के सामने अनेक कठिनाइयां उपस्थित हो जाती थीं । मतगणना के लिये भी उम्मीदवार जो एक ही व्यक्ति नियुक्त कर सकता था वह भी हटा दिया गया । मैं आशा करता हूँ कि अब अधिक व्यक्तियों के नियुक्त होने से यह मतगणना बहुत सरलता से और जल्दी की जा सकेगी ।

एक और बहुत अच्छा सुधार जो किया गया है वह है कि चुने हुये सदस्य का नाम जब तक सरकारी परिपत्र में प्रकाशित न होवे तब तक जो वह अपने स्थान पर नहीं आ सकता था, वह कैद भी हटा दी गई । यह भी बहुत अच्छी बात है ।

लेकिन इसी के साथ कुछ बातें इस विधेयक में ऐसी भी की गई हैं जो कि यदि नहीं की जातीं तो अच्छा होता । दृष्टान्त के लिये उम्मीदवारों की वापसी और मतदान के बीच में जो अब तक ३० दिन का समय था वह कम कर दिया गया है । मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन लोगों को भी चुनाव का अनुभव है वे इस बात को स्वीकार करेंगे कि यह ३० दिन का समय रहना आवश्यक था । मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि इस ३० दिन के स्थान पर यदि ४५ दिन का समय हो जाता तो उत्तम होता, परन्तु इन ३० दिनों के समय को घटा कर १५ दिन करना उचित बात नहीं हुई है, और मैं आशा करता हूँ कि जो प्रवर समिति इन विधेयकों पर विचार करने के लिये बैठेगी वह इस बात पर ध्यान देने की कृपा करेगी ।

चुनाव के खर्च जो हर उम्मीदवार को देने पड़ते थे, उन में भी कुछ सुधार हुआ है, उस को सरल कर दिया गया, यह बात ठीक हुई, पर कल यहां पर जो बहस हुई उसमें जो यह सुझाव दिया गया कि चुनाव के खर्च किसी उम्मीदवार को देने ही न पड़े मैं निवेदन करना चाहता हूं यह बड़ी ग़लत बात थी । मुझे दुनिया के बहुत से देशों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिन देशों में भी प्रजातन्त्र चलता है उन देशों में चुनाव के खर्चे हर उम्मीदवार को देने पड़ते हैं । मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि चुनाव के जो खर्चे दिये जाते हैं उन में से बहुत से में मिथ्यावादिता रहती है, मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूँ कि कई खर्चे उम्मीदवार ऐसे करते हैं जो वे अपने चुनाव खर्चों में नहीं बता सकते, पर यह दूसरी बात है । अगर हम इस प्रकार का कोई दुर्भाग्यपूर्ण नियम बना देंगे कि चुनाव के खर्चे उम्मीदवार को न देने पड़ें, तो मैं आप से कहना चाहता हूँ कि जो खर्चे चुनावों में नहीं होने चाहियें, उस प्रकार के खर्चे भी होने लगेंगे । अभी कम से कम चुनाव के खर्चे देने का भय तो उम्मीदवारों को रहता है । इस लिये जो अनुचित खर्चे होते हैं उन में भी एक प्रकार का बन्धन रहता है । मैं यह नहीं कहता कि अनुचित खर्चे नहीं किये जाते, मैं यह भी नहीं कहता कि चुनाव के जो खर्चे दिये जाते हैं वे सब सही होते हैं, लेकिन कुछ न कुछ भय, कुछ न कुछ प्रतिबन्ध इस प्रकार का अवश्य रहता है । इस लिये इस चुनाव के खर्चे देने के नियम को जरूर रखना चाहिये, वरन् मैं तो आप से कहूंगा कि सरल करते हुये भी यदि हम उस को और सख्त कर सकें तो और सख्त करने का भी हमें प्रयत्न करना चाहिये ।

इन विधेयकों में कुछ धारायें 'ग' श्रेणी के राज्यों के सम्बन्ध में हैं । इस विषय में मैं एक ही बात निवेदन करना चाहता

हूँ । राज्य पुनर्विभाजन आयोग की रिपोर्ट बहुत शीघ्र आने वाली है, मैं आशा करता हूँ कि वह इस मास की ३० तारीख को आ जायेगी और 'ग' श्रेणी के राज्यों का क्या भाग्य होता है इस सम्बन्ध में आज हम कुछ नहीं कह सकते । मैं आशा करता हूँ कि जो प्रवर समिति आगे चल कर बैठेगी और इन विधेयकों पर विचार करेगी वह इस विषय पर भी विचार करेगी ।

सब मिला कर मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि दोनों विधेयक बहुत उचित आये हैं और इसीलिये मैं इन दोनों विधेयकों का हृदय से समर्थन करता हूँ ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़): सभा में १९५३ में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था तथा इस सम्बंध में नियुक्त, प्रवर समिति ने पद निश्चित किया था कि निर्वाचन विधि संहिताबद्ध की जाये । परन्तु हमें इसका बड़ा आश्चर्य है कि प्रवर समिति के प्रतिवेदन को ठुकराने के कारणों पर प्रकाश डाले बिना ही दो नवीन विधेयकों को प्रस्तुत किया गया है तथा विधि को संहिताबद्ध नहीं किया गया है । मैं समझा नहीं कि इस एक विधि के दो रूप क्यों दिये गये हैं उनको एक साथ क्यों नहीं रखा गया है । यह बात वकीलों के सम्मुख भी प्रस्तुत है । इसलिये मेरा कथन है कि जब तक इन दोनों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होगा, सम्पूर्ण विधि को एक बनाना संभव नहीं होगा । इसके अतिरिक्त गत निर्वाचनों में उत्पन्न कठिनाइयों पर भी विधेयक बनाते समय ध्यान नहीं दिया गया है । मुझे चुनाव सम्बन्धी मुकदमों के सम्बन्ध में मध्य भारत, राजस्थान, पेप्सू, दिल्ली और कई अन्य राज्यों की अदालतों में जाना पड़ा और मैंने देखा कि चुनाव सम्बन्धी विधि ऐसी संहिताबद्ध नहीं है कि उससे किसी ऐसे उम्मीदवार को सहायता मिल सके जो सत्ताधारी दल का सदस्य नहीं है । जो लोग कांग्रेस के मुकाबले में खड़े हुये उनके लिये कई कठिनाइयां उत्पन्न की गईं और कई बार चुनाव अधिकरण भी तटस्थ नहीं रहे हैं ।

यह सुझाव दिया गया है कि निर्वाचन अधिकरण में एक ही व्यक्ति होना चाहिये । परन्तु मेरे विचार में इस से समस्या हल नहीं होगी । कई अधिकरणों के सदस्यों ने स्वतंत्र रूप से अपनी राय दी है । जो संशोधन किया जा रहा है उसमें कदाचारों का एक पहलू आता ही नहीं, इसके विपरीत पहले स्वतंत्र या कांग्रेस के अतिरिक्त किसी अन्य दल के उम्मीदवारों को जो थोड़ा बहुत लाभ पहुंच सकता था, इस संशोधन से वह भी समाप्त हो जायेगा । खण्ड ६० में संशोधन करने के लिये सरकार ने बड़ा अजीब कारण बताया है । प्रश्न यह है कि यदि केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति है कि वह किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने कर्त्तव्य के पालन से होने वाली अनर्हता दूर कर सकती है तो वैसी ही शक्ति राज्य सरकारों को क्यों नहीं दी गयी ? व्याख्या में कहा गया है कि इस खण्ड के प्रयोजन के लिये राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों में पटवारी, चौकीदार, दफेदार, जैलदार आदि सभी शामिल होंगे ।

सरकार इस इच्छा से यह संशोधन रख रही है कि पटवारियों, चौकीदारों और दफेदारों आदि पर से अनर्हताएं हटा दी जायें । गांवों पर इनका पूरा नियंत्रण रहता है । पटवारी ग़रीब किसानों को भेड़ों की तरह हांक कर वोट देने के लिये ले जाता है और जिसे चाहे वोट दिलवा देता है । सरकार इन लोगों को विमुक्त करना चाहती है जिससे कि वे ग़रीब किसानों को डरा धमका सके । ऐसा कोई उपबन्ध नहीं किया गया कि यदि कोई उम्मीदवार किसी सरकारी

[श्री य एम० त्रिवेदी]

कर्मचारी का समर्थन प्राप्त करेगा तो उसे प्रत्यक्षत: अनर्ह करार दे दिया जायेगा ।

१० फरवरी, १९५४ के भारत सरकार के गजट में १९५२ की निर्वाचन याचिका संख्या २८१ का विवरण दिया हुआ है । उस में एक ओर एक व्यापारी श्री ऋषभ दास थे और दूसरी ओर श्री टीका राम पालीवाल और उपमंत्री श्री राज बहादुर । अधिकरण का फैसला यह था कि एक सरकारी कर्मचारी श्री शिवकुमार ने चुनाव-सभा में कांग्रेस के पक्ष में एक कविता पढ़ी और कहा कि विजय कांग्रेस की होगी । इसके बावजूद न्यायालय का निर्णय यह था कि इस से चुनाव के फल पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता । अधिकरण का कहना यह भी था कि श्री राम सहाय नाम के एक और सरकारी कर्मचारी ने कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया परन्तु फिर भी निर्णय यही था कि इस से चुनाव के फल पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता ।

एक सब डिवीज़नल अफ़सर और एक पुलिस सब-इन्सपेक्टर ने वोट डालने के स्थानों पर से जनसंघ के सभी कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार कर लिया । इस सम्बन्ध में अधिकरण की राय यह थी कि धारा १४४ लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और इन कार्यकर्त्ताओं की गिरफ्तारी ग़ैर क़ानूनी थी । इसी अधिकरण में उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश भी थे । उन्होंने यह राय प्रकट की कि सब डिवीज़नल दण्डाधीश ने गिरफ्तार व्यक्तियों को चुनाव के दिन बारह बजे तक हवालात में रख कर और भी अनुचित कार्य किया । परन्तु इतना सब कुछ होते हुए इन दो अधिकारियों की पदोन्नति कर दी गयी । उनमें से एक को राजस्व बोर्ड का सचिव बना दिया गया ।

मैं तो यह कह रहा हूं कि प्रवर समिति को इन सब बातों की ओर ध्यान देना चाहिये और इस बात की व्यवस्था करनी चाहिये कि जिनके हाथ में सत्ता है वह फिर से यह काम न करने पायें । धारा १२७ के उपबन्धों में कुछ ऐसा उपबन्ध करना चाहिए कि जो लोग देश में लोकतंत्र के विकास के लिये विरोधी दल के संगठन के लिए काम करते हैं उन्हें सुविधा हो । लोकतंत्र में विरोधी दल का होना बहुत ज़रूरी है । यदि हम ऐसे नियम बनाते हैं जिनसे कि सरकारी कर्मचारी उस दल का प्रचार कर सकें जिस के हाथ में सत्ता है तो यह बड़ी बुरी बात होगी । मैं इसी बात पर ज़ोर देने के लिए बोलना चाहता था ।

चुनाव सम्बन्धी विधि के कुछ पहलू ऐसे हैं कि हमें केवल धारा १२७ पर ही नहीं बल्कि चुनाव चिन्हों के प्रश्न पर भी विचार करना है । इस विधि में एक ओर तो एक प्रकार का नियम है और चुनाव आयोग द्वारा जारी की जाने वाली गश्ती चिट्ठियां विभिन्न प्रकार की होती हैं । कई जगह तो लोग पहिचान पर्चियां लेकर अन्दर जा सकते हैं और अन्य स्थानों पर इस बात पर आपत्ति की जाती है ।

मैं एक उदाहरण देता हूं एक चुनाव क्षेत्र में एक मतदान पदाधिकारी ने एक उम्मीदवार को अपने पास आने से यह कह कर रोक दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता । उम्मीदवार के एजेंट ने दो वकील बुलवाये जिससे कि वे उम्मीदवार की पहचान कर सकें । इस पर भी उपरोक्त अधिकारी ने उम्मीदवार को पहचानने से इनकार कर दिया । बाद में न्यायालय का फैसला था कि इस अधिकारी की कार्यवाही अनुचित थी । प्रश्न यह है कि ऐसे मामलों में पहचान कैसे हो ? चुनाव सम्बन्धी विधि संहिताबद्ध की जानी चाहिये जिस से कि सरकारी

कर्मचारियों द्वारा ऐसे कदाचार बन्द किये जा सकें ।

मेरा निवेदन है कि प्रवर समिति से कहा जाये कि वह न केवल इन दो विधेयकों बल्कि चुनाव सम्बन्धी विधि को समकित तथा संहिताबद्ध करने के बारे में रिपोर्ट दे । रिपोर्ट देने का समय चाहे बढ़ा दिया जाये परन्तु प्रवर समिति को इन पहलुओं पर अवश्य विचार करना चाहिये ।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) :

नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय
देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै ।
नमोऽस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो
नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः ।।
धर्मचक्र प्रवर्त्तनाय यत्र राजा प्रवर्तते ।
लुण्ठकाः प्रविलीयन्ते प्रजा तत्र प्रसीदति ।।

माननीय विधि कार्य मंत्री १९५० और १९५१ के अधिनियमों को संशोधित करने का जो प्रयत्न कर रहे हैं मैं उस का स्वागत करता हूं । मैं उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में बताये गये सिद्धान्तों से सहमत हूं परन्तु कुछ कठिनाइयों के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं जिन का अनुभव हमें पिछले चुनाव में हुआ है ।

मैं श्री एन० सी० चटर्जी और पण्डित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन से सहमत हूं और मुझे विश्वास है कि प्रवर समिति को और ऐसे मामलों पर विचार करने का भी अधिकार दिया जायेगा जो इन दो विधेयकों में नहीं है ।

हमें चुनाव के पश्चिमी तरीक़ों का प्रभाव हटाने का प्रयत्न करना चाहिये । यह भारतीय संस्कृति के आदर्शों के विरुद्ध है कि उम्मीदवार गांव गांव में वोट मांगता फिरे । प्रधान मंत्री ने पिछले चुनाव में अपने चुनाव क्षेत्र में न जाने की घोषणा की थी । बाक़ी उम्मीदवारों को भी ऐसा ही करना चाहिये ।

मैं माननीय मंत्री की इस बात से सहमत हूं कि प्रत्येक बार मतदाताओं की नयी सूचियां तैयार करने की आवश्यकता नहीं, हां, पुरानी सूचियों को पूरी तरह पुनरीक्षित अवश्य करना चाहिये । परन्तु पहले विधेयक के पृष्ठ १२ पर उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में कहा गया है कि १९५६ में चुनाव आयोग नये चुनाव क्षेत्रों के मतदाताओं की सूचियां बना रहा होगा इस लिये वर्तमान सूचियों को पुनरीक्षित करने का कोई लाभ नहीं । मेरा विचार है कि इससे बहुत से मतदाताओं का अधिकार मारा जायेगा क्योंकि इन सूचियों में बहुत सी ग़लतियां हैं । बहुत से लोगों के नाम ठीक नहीं लिखे गये । बहुत से लोगों के पिता का नाम ग़लत छपा है । बहुत से लोग पाकिस्तान चले गये हैं परन्तु उन के नाम इन सूचियों में हैं । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री और प्रवर समिति को यह व्यवस्था करनी चाहिये कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का उपबन्ध रहे और अगले चुनाव से पहले ये सूचियां पूरी तरह से तैयार कर ली जायें ।

तीसरी बात मुझे नामनिर्देशन पत्रों की अस्वीकृति के बारे में कहनी है । मैं यह मानता हूं कि प्रविधिक आपत्तियों को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिये । विधेयकों के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में भी यह बताया गया है कि ३३८ निर्वाचन-याचिकाओं में से ११६ में नामनिर्देशन-पत्रों के अनुचित रूप से अस्वीकृत किये जाने का आरोप लगाया गया था । मैं समझता हूं कि याचिकाओं के परिणामस्वरूप बहुत से उम्मीदवारों के चुनाव को इन आधार पर रद्द करना कि उसमें कोई प्रविधिक दोष रह गया था । उम्मीदवारों के प्रति अन्याय करना होगा । इसलिये मैं चाहता हूं कि

[श्री नन्द लाल शर्मा]

निर्वाचन-याचिकाओं के मतदान के पूर्व निपटाये जाने के लिये उपबन्ध किया जाये ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा कि मतदान स्थान मतदाताओं के मकानों से बहुत दूर स्थित होने की दशा में मतदाताओं को—विशेष रूप से महिलाओं को—अत्यधिक असुविधा होती है । इसलिये मेरा सुझाव है कि ये स्थान मतदाताओं के मकानों से अधिक फासले पर न हों ।

विधि कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर) : मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछले निर्वाचन में १९,६४,०८४ मतदान स्थान रखे गये थे ।

श्री नन्द लाल शर्मा : यह तो ठीक है । परन्तु यदि ये और भी पास पास रखे जायें तो अधिक अच्छा हो ।

दूसरी बात मैं शलाका पेटिकाओं (बैलट बाक्स) के बारे में कहना चाहता हूं । हम व्यक्तिगत अनुभव से कह सकते हैं कि बहुत से मामलों में शलाका पेटिकाओं (बैलट बाक्स) को खोल लिया गया और शलाकायें बदल दी गईं या फेंक दी गईं ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : शलाका पेटिकायें (बैलट बक्स) भी बदल ली गईं ।

श्री नन्द लाल शर्मा : इस लिये मैं चाहता हूं कि इस चीज़ को रोकने के लिये कोई व्यवस्था की जाये ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी राष्ट्रीय संस्कृति के अनुसार आत्मश्लाघा आत्म हत्या से भी ज्यादा खराब है । इसलिये पक्ष-आदर्श और पक्ष-कार्यक्रमों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिये । धन और मदिरा का लोगों पर भारी प्रभाव होता है और उन्हें उन प्रभावों से बचाना चाहिये ।

श्री आर० एस० तिवारी (छतरपुर, दतिया, टीकमगढ़) : माननीय विधि मंत्री जी ने जो दो जन प्रतिनिधित्व विधेयक इस संसद् के सम्मुख उपस्थित किये हैं मैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

चुनाव होने के बाद हम सब संसद् सदस्यों को यह भली भांति मालूम हो गया कि इस क़ानून में किस किस धारा को रखना चाहिये और किस किस धारा को निकाल देना चाहिये । बहुत से संसद् सदस्य जो दो दो बार चुनाव लड़कर यहां आये हैं उनको इस चुनाव विषय का ज्यादा अनुभव है उनकी राय का इस सम्बन्ध में विशेष महत्व है । ताकि भविष्य के लिये एक सुन्दर और सही विधेयक बनाया जा सके । इनका सभा में लाने का इतना ही प्रयोजन है । लेकिन इस अवसर का उपयोग हमारे विरोधी सदस्यों ने इन विधेयकों को उत्तम बनाने में न करके कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाने में किया । यह अवसर आरोप लगाने के लिये नहीं था बल्कि इसलिये था कि हम देखें कि इन विधेयकों में कौन कौन सी धारायें उचित और समयानुसार हैं और कौन सी धाराओं का होना आवश्यक है । इसी विषय पर विचार करने के लिये इन विधेयकों को सभा के सामने उपस्थित किया गया है । इसलिये इसी विषय पर विचार होना चाहिये था न कि किसी पार्टी पर लांछन लगाने में और दोषारोपण करने में इस अवसर का उपयोग करना था ।

यह जो दो संशोधित विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने हैं, उनमें बहुत सी धारायें ऐसी हैं कि जो हमारे माननीय विधि मंत्री जी ने संशोधित करके उपस्थित कर दी हैं । और जिसके लिये कि मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं लेकिन बहुत सी आवश्यक चीज़ें इसमें अब भी ऐसी रह गई हैं कि जो प्रवर समिति के द्वारा ही दुरुस्त हो कर अगले सैशन में लाई जायेंगी । जैसे मनोनयन

पत्र के रिजेक्ट होने पर शीघ्र अपील हो समर्थक की आवश्यकता नहीं है मतदाता सूचियां सही होनी चाहिये ।

मैं इस विषय में अपने कुछ विचार माननीय विधि मंत्री के सम्मुख उन धाराओं के विषय में रखना चाहता हूं जो कि मैं उचित समझता हूं । जिस से मुझे अपने प्रदेश के चुनाव से अनुभव हुआ है । मेरे साथियों पर ही इस का प्रभाव पड़ा ।

धारा १७ में मनोनयन पत्र भरे जाते हैं और आपत्ति करने अथवा किसी कारण से खारिज हो जाते हैं फिर अन्त में अपील द्वारा सही मान लिये जाते हैं । तो जब तक यह सारा चुनाव हो जाता है वह सारा का सारा चुनाव रद्द कर दिया जाता है, थोड़ी सी गलती से, इसलिये मेरा यह निवेदन है कि रिटर्निंग अफ़सर के फ़ैसले की अपील उसी वक्त थोड़ा समय देकर दो या चार दिन में तय कर दी जाय ताकि सारे चुनाव का खर्चा और सारे चुनाव की परेशानियां लोगों पर न पड़ें ।

धारा ४८ में एक ट्रिब्यूनल से अगर कोई सज्जन असन्तुष्ट हो जाते हैं और वह चाहते हैं कि दूसरे ट्रिब्युनल में हमारा मामला दे दिया जाये ताकि न्याय हो सके तो उसको ऐसा करने की सुविधा दी जाये । आज रिटर्निंग आफ़ीसर को यह अधिकार न होने के कारण वह फिर उसी ट्रिब्यूनल के पास रह जाता है, इसलिये यह अधिकार एलेक्शन कमिशन को होना चाहिये कि जब एक ट्रिब्यूनल के खिलाफ़ अर्ज़ी हो तो दूसरे ट्रिब्यूनल में वह उसे उपस्थित कर सके ।

धारा ६५ जिसमें अनर्हता यानी डिस्क्वालिफिकेशन का ज़िक्र आया है, उसके सम्बन्ध में कल हमारे माननीय मेम्बर श्री देशपांडे ने कह था कि एलेक्शन कमिश्नर को डिस्क्वालिफिकेशन को हटाने का अधिकार न दिया जाये और उन्होंने यह अधिकार दिये जाने का विरोध किया था, मैं उनसे आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हाल में विन्ध्यप्रदेश में हमारी विधान सभा के ८ सदस्य पदच्युत किये गये थे, चूंकि एक ही दोषारोपण यह था कि ज़मींदार पोलिंग एजेंट रहा है इसलिये वे डिसक्वालिफिकेशन में आ गये, उनमें जिन दो के पास पैसा था वह तो सुप्रीम कोर्ट में मुक़दमा लड़ कर जीत गये और मिनिस्टर बन गये लेकिन बाकी आदमी जिनके पास पैसा नहीं था वह सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आ सके और आज वह पदच्युत ही नहीं बल्कि मेम्बरी के लिये ६ साल तक के लिये डिस्क्वालिफाइड होकर पड़े हुये हैं । इलज़ाम कुछ लोगों पर एक ही सा था कि ज़मींदारों को उन्होंने पोलिंग एजेंट बनाया है, और चूंकि यह सरकारी आदमी हैं, इस वास्ते उनको ६ साल के लिये पदच्युत किया गया था । इसलिये मेरा निवेदन है कि यह अवश्य ध्यान रक्खा जाये कि अगर वह अपनी डिस्क्वालिफिकेशन हटवाने के लिये मुक़दमा नहीं लड़ सकते हैं तो कम से कम अपना प्रार्थना पत्र तो एलेक्शन कमिशन में दे सकें ताकि जिस झूठे अभियोग पर उनको ६ साल के लिये निकाला गया ह, उससे वह मुक्त हो सकें । इसलिये यह जो १४० ए का नया सेक्शन ऐक्ट में जोड़ा जा रहा है, मैं उसका स्वागत करता हूं ।

धारा ५४ (२) इस प्रकार है :—

(२) यदि रक्षित स्थान भरने के लिये अर्हत उम्मीदवारों की संख्या उन स्थानों की संख्या के बराबर हो तो उन उम्मीदवारों को तुरन्त उन स्थानों के लिये निर्वाचित घोषित किया जायेगा और शेष स्थान या स्थानों को भरने

[श्री आर० एस० तिवारी]

के लिये धारा ५३ में उपबन्धित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा ।

इसके अनुसार जब कोई स्थान ऐसा होता है कि जहां शेड्यूल्ड कास्ट के सदस्य उतने ही होते हैं जितनी कि सीट्स होती हैं तो वहां पर उनके चुनाव की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती और वह एलेक्टेड डिक्लेयर कर दिये जाते हैं । और उसका दूसरा कारण यह हो जाता है कि जब वह डिक्लेयर हो जाता है और उसके साथ जो एक दूसरा कैंडिडेट खड़ा हुआ है, उसके खिलाफ़ कोई पेटिशन दायर हो जाती है तो उस पेटिशन दायर होने के कारण से वह जो दूसरा विरोधी उसके विरोध में पेटिशन दायर करता है तो उसको धारा ८२ के अनुसार एलेक्शन पेटिशन में पेटिशनर को एलेक्शन में नोमिनेट किये हुये सब उम्मीदवारों को विपक्षी बनाना पड़ता है । इसके अनुसार उन शिड्यूल्ड कास्ट उम्मीदवारों को भी बनाना आवश्यक हो जाता है कि जिनका निर्वाचन धारा ५४ की उपधारा २ के अनुसार हो गया था, जिनको कि एलेक्शन नहीं लड़ना पड़ा था और वोट नहीं डाले गये थे । इस तरह के उम्मीदवारों को विपक्षी बनाने पर पेटिशन की जांच स्वरक्षित सीट के अतिरिक्त अन्य सीट के निर्वाचन में विपक्षी के विरुद्ध धारा १०० के अनुसार यदि कोई आरोप, रिश्वत, दबाव अथवा अनुचित नामिनेशन का आरोप सिद्ध हो जाता है तो सारा निर्वाचन रद्द हो जाता है । उन सारे के सारे चुने हुये प्रतिनिधियों को रिजैक्ट कर दिया जाता है और जैसा कि हमारे यहां शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग थे उनको बिना अपराध रिजैक्ट हो जाना पड़ा और वह पदच्युत कर दिये गये हैं । इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस धारा में भी संशोधन होना चाहिये ।

"८२. **याचिका देने वाले दल**—याचिका देने वाला अपनी याचिका में उन सब अभ्यर्थियों को प्रतिपक्षी बनायेगा जो सम्यक रूप से निर्वाचन में नामनिर्देशित हुये थे, सिवाय अपने आपके यदि वह भी निर्वाचन में इस प्रकार नामनिर्देशित हुआ हो ।"

इन दोनों धाराओं और धारा १०० की उपधारा १ में भी आपको संशोधन करना पड़ेगा इसलिये मेरा निवेदन है कि इन संशोधनों को आप स्वीकार करें और प्रवर समिति के सम्मुख उनको भेजें । इतना ही कह करके मैं इस सारे विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री एस० एल० सक्सेना (ज़िला गोरखपुर—उत्तर) : मैं उन सदस्यों में से हूं जो निर्वाचन याचिकाओं के परिणामस्वरूप होने वाले उपचुनाव में विजित हो कर आये हैं । इस प्रकार दो अन्य सदस्य भी यहां आये हैं । मैं चाहता हूं कि ऐसे सदस्यों में से कुछ प्रवर समिति में रखे जायें ताकि वे अपने अनुभव बता सकें ।

मेरा सुझाव है कि मत गिनने के लिये अधिक से अधिक ७ दिन का समय दिया जाये । हिसाब पेश करने की मियाद १४ दिन रखी जाये, ४० दिन नहीं । विधेयक में यह व्यवस्था कर दी जाये कि एक सप्ताह के भीतर निर्वाचन अधिकरण का अध्यक्ष (चेयरमैन) नियुक्त कर दिया जायेगा । अधिकरण के अध्यक्ष (चेयरमैन) को याचिका प्रकाशित करने में अधिक समय नहीं लेना चाहिये । वह तुरन्त ही याचकाओं को प्रकाशनार्थ भेज सकता है । मेरा सुझाव है कि निर्वाचन आयोग तुरन्त ही याचिका को गजट में प्रकाशित की जाने के लिये भेज दें । इससे उम्मीदवारों को यह सूचना मिल जायेगी

कि याचिका दायर कर दी गई है । मेरा ख्याल है कि अधिकरण समय बढ़ाने की कोशिश करता है और बहुत ज्यादा समय लगाता है ।

निर्वाचन के मामले बहुत जल्दी निपटाये जाने चाहियें । मैं नहीं चाहता कि ये मामले उच्च न्यायालय में न भेजे जायें क्योंकि वहां बहुत देर लग जाती है और अनावश्यक व्यय होता है । अधिक से अधिक चार मास में बड़े से बड़े मामलों का भी निपटारा हो जाना चाहिये । छः मास से अधिक समय तो किसी हालत में नहीं लगना चाहिये ।

मंत्रियों तथा मुख्य मंत्रियों के विरुद्ध याचिकायें साधारण अधिकरणों द्वारा न निबटायी जायें । ये उच्चतम न्यायालय की किसी बेंच में जानी चाहियें ।

निर्वाचक-नामावली प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षित की जायें ताकि कोई व्यक्ति ऐसा न रहे जिसका नाम नामावली में लिये जाने से रह जाये । पिछले निर्वाचन में एक करोड़ व्यक्ति जो मत देने के पात्र थे इसी दोष के कारण मत नहीं दे सके थे । इसलिये मेरा कहना है कि नामावलियां प्रत्येक वर्ष तैयार की जायें जिस में ऐसे सब लोगों के नाम हों जो अगले वर्ष १ जनवरी को २१ वर्ष या इससे अधिक आयु के होने वाले हैं ।

जब ये नामावलियां पुनरीक्षित की जायें तो निर्वाचन आयोग या निर्वाचन कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पक्षों को समय-सूची भेजी जाये । मुझे यह उपबन्ध पसन्द नहीं आया कि प्रत्येक पांच वर्ष बाद निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन हो । परिसीमन कम से कम ३० वर्ष बाद होना चाहिये । मैं चुनाव-चिन्हों के विरुद्ध हूं । मेरी राय में रंगीन बक्स रखने की पद्धति अधिक अच्छी थी । यदि ऐसा करना अब सम्भव नहीं है तो फिर चुनाव-चिन्ह केवल ४-५ पक्षों को ही न दिये जायें । इससे वे फायदा उठा लेते हैं । जो भी पक्ष ऐसे चुनाव-चिन्हों की मांग करे उसे चनाव-चिन्ह दे दिया जाये ।

एक मतदान केन्द्र के लिये एक हज़ार मतदाता रखना बहुत ज्यादा है । पांच सौ की संख्या पर्याप्त रहेगी ।

उपचुनावों में मंत्रियों को भाग नहीं लेना चाहिये क्योंकि उनके ऐसा करने पर अन्य सरकारी पदाधिकारी भी ऐसा करते हैं ।

मैं अपने माननीय मित्र श्री कामत के इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि ज़िला न्यायाधीशों को अपनी देखरेख में मत गिनवाने चाहियें । शलाका पेटिकायें (बैलट बौक्स) भी ज़िला न्यायाधीश की अभिरक्षा में रहनी चाहियें ।

मुझे आशा है कि इन सुझावों पर विचार किया जायेगा ।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : गत चुनाव के अनुभव को देख कर और जो जो दिक्कतें हमारे उम्मीदवारों और सरकार को आई हैं उन को देखते हुये हाउस के सामने यह दो विधेयक बिल न० ३७, १९५५ का और बिल नं० ३८ १९५५ का पेश किये गये हैं । यह दोनों बिल एक सेलेक्ट कमेटी के पास जा रहे हैं ।

बिल नं० ३८ में जो स्टेटमेंट आफ़ आब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स हैं उस को देखने से पता चलता है कि जो क्लाज १२ में ३० दिन की मियाद रक्खी गयी है उस के सम्बन्ध में सरकार चाहती है कि कोई भी उम्मीदवार जिस ने अपना नामिनेशन पेपर दाखिल किया है वह उस तारीख के भीतर जो कि पोलिंग के लिये रक्खा गया है फिट इन कर ले । मैं समझता हूं कि यह चीज़ जो रक्खी जा रही है वह वाजिब नहीं होगी ।

[सरदार ए० एस० सहगल]

ऐसी परिस्थिति में यह जरूरी है कि जो वर्तमान रूल हमारे यहां है उसी को रखा जाये । अगर ऐसा किया गया तो मैं समझता हूं कि यह ज्याद बेहतर होगा । दफा ४१ में यह भी कहा है कि जो उम्मीदवार चुनाव के लिये खड़े होते हैं उनको कुछ खानों की पूर्ति करनी पड़ती है खर्च के बारे में चाहे वें कामयाब हों या न हों । यह जो चीज थी वह बहुत अच्छी चीज नहीं थी । मेरे ख्याल में यह एक अच्छी बात होगी अगर एक आदमी जो चुनाव में कामयाब होता है और जितना वह खर्चा करता है वह उसको बताना चाहिये लेकिन जो दूसरे उम्मीदवार हैं और जो कामयाब नहीं होते हैं उनके लिये यह जरूरी नहीं होना चाहिये कि वह उन खानों की पूर्ति करें और उनको कोई खर्चे के एकाउंट नहीं देने चाहिये ।

सब से बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जो सिलैक्ट कमेटी हमने बनाई है और जिस के सुपुर्द हम इन बिलों को करने जा रहे हैं, उनको यह हक़ हासिल होना चाहिये कि वह और जितनी भी बातें उनके सामने आयें उन पर विचार करें न कि वह इन दो बिलों तक अपने विचारों को सीमित रखे । अगर यह कहा जाये कि सिलैक्ट कमेटी केवल उन्हीं क्लाजिज पर बहस कर सकती है और उन्हीं पर विचार कर सकती है जो कि इन दो बिलों में दर्ज हैं और जिनके जरिये हम कुछ तरमीमें करने जा रहे हैं तो यह मेरे विचार में ठीक बात न होगी । मैं चाहता हूं कि इस सिलैक्ट कमेटी के हाथ नहीं बांध दिये जाने चाहियें और उसको अधिकार होना चाहिये कि वह दूसरी बातों पर भी गौर कर सके जो उसके सामने आयें । इसलिये, सभानेत्री महोदया, मेरी आप से प्रार्थना है कि सिलैक्ट कमेटी को इन्सट्रक्शन्स होनी चाहिये कि वह तरमीम जो दूसरी बातों पर भी हो उसके सामने आयें गौर करे ।

अभी यहां पर जिक्र हुआ कि जो उपचुनाव होते हैं उनमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है । सभानेत्री महोदया जो उपचुनाव होते हैं और उन में जो दिक्कतें पेश आती हैं वह तो सब के लिये समान होती हैं और इससे डरने की कोई बात नहीं । हमारे देश में बहुत से उपचुनाव हुये हैं और हमारे मित्र कामत जी भी इसी तरह के एक उपचुनाव में जीत कर आये हैं । तो मेरा विचार है कि इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है । हमें याद रखना चाहिये कि उपचुनाव में भी यदि हमारी पार्टी अच्छी है, हम ईमानदार हैं, हम अच्छे काम करत हैं तो लोग हमें ही वोट देंगे और हम जीतेंगे और जो हमारे विपक्ष में खड़ा हुआ है वह यक़ीनी तौर पर हार जायेगा । मैं आपको मध्य प्रदेश जो दो उपचुनाव हुये हैं उनके बारे में थोड़ा सा बतलाना चाहता हूं । यह दो उपचुनाव चापा और जांजगीर कन्स्टिट्युऐंसी जोकि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, में हुये हैं । वहां पर जो ट्रिब्यूनल मुक़र्रर किया गया था उस वक्त यह देखने की कोशिश नहीं की गई थी कि आया उसके मैम्बरों में से कोई किसी पार्टी का पक्षपाती तो नहीं है । हमें यह जरूरी देखना चाहिये कि क्या किसी मेम्बर का झुकाव, किसी का इनक्लिनेशन किसी खास पार्टी के उम्मीदवार की तरफ़ तो नहीं है । मैं यह कहने को तैयार हूं कि इन दो उपचुनावों के बारे में जो ट्रिब्यूनल मुक़र्रर किया गया था उसमें कोई एक ऐसा आदमी था जिस का कि झुकाव किसी एक खास पार्टी के उम्मीदवार की तरफ़ था । मैं जो यह चाहता हूं कि जिन लोगों को ट्रिब्यूनल

का मेम्बर मुकर्रर किया जाये वे ऐसे लोग होने चाहियें जोकि हाईकोर्ट के जज हों । साथ ही जब हमारे चुनाव हो जाते हैं उनके बाद जो गिनने का काम है वह भी जो हाईकोर्ट के जजिज हैं या डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं उनके हाथ में होना चाहिये क्योंकि देखा गया है कि लोगों का ज्यूडिशरी पर ज्यादा कान्फिडन्स है बनिस्बत दूसरों के । यह गिनती का काम भी दूसरे लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिये क्योंकि मैं समझता हूं कि उन पर किसी न किसी तरह कई लोग प्रभाव डाल ही लेते हैं या वह किसी के प्रभाव के नीचे आ ही जावे हैं क्योंकि उनकी रोटी उनके हाथ में रहती है और कई बार ग़लती कर देते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि हाई कोर्ट के जजिज को ही रखा जाये ।

अब जो क्लाज २५ में आपने टाइम लिमिट की बात को उड़ाने की बात कही है, इसका मैं स्वागत करता हूं । इससे कैंडिडेट्स को बहुत ज्यादा सहूलियत होगी और यह ज्यादा मुफ़ीद बात भी होगी ।

इसके बाद मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि जब कोई आदमी जीत जाता है और उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है, वह तब तक अपनी जगह संसद् में या विधान सभा में नहीं ले सकता है, जब तक वहां पर जो डिस्कशन होती है उसमें भाग नहीं ले सकता है जब तक कि उसका नाम गजट में नोटिफाई नहीं कर दिया जाता । इसलिये मेरा सुझाव है कि जिस समय एक कैंडिडेट को विजयी घोषित कर दिया जाये उसके फ़ौरन बाद उसकी अधिकार होना चाहिये कि वह आकर डिस्कशन में भाग ले सके । अगर यह व्यवस्था कर दी जाये तो ज्यादा अच्छा होगा । जिस दिन एक आदमी विजयी घोषित कर दिया जाये उसी दिन उसको यहां पर आकर बैठने का अधिकार होना चाहिये ।

इलैक्शन एक्सपेंसिज के बारे में जैसे कि मैं ने पहले कहा है, इसके बारे में एक फार्म है और उसमें जो खाने हैं वे सब को भरने पड़ते हैं । मैं यह नहीं कहता कि जो आदमी विजयी घोषित किया जाता है उससे कोई रिटर्न ही न मांगी जाये । मैं मानता हूं कि जो भी आदमी इलैक्शन लड़ता है उसको खर्च करना ही पड़ता है । अगर इस फार्म के बजाय इतना ही उसको कहा जाये कि वह बताये कि कितना उसने खर्च किया है और किस किस मद में खर्च किया है तो ज्यादा बेहतर होगा । जैसा कि मैं ने पहले कहा है कि जो आदमी कामयाब नहीं होता है उसको इलैक्शन रिटर्न भरने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिये ।

अब जो इलैक्शन पेटिशन के बारे में वक्त रखा गया है क्लाज ४२ में मैं उसका स्वागत करता हूं । इस में कहा गया है कि किसी को भी इलैक्शन पेटिशन को दाखिल करने के लिए दो महीने का वक्त होगा और अगर कोई इतने अर्से में इलैक्शन पेटिशन फाइल नहीं करता है तो उसका इलैक्शन पेटिशन फाइल करने का जो राइट है वह जाता रहेगा । इस में ४५ दिन के अलावा जो कि एक कैंडिडेट को इलैक्शन एक्सपेंसिज फाइल करन का वक्त दिया गया है, उसके बाद १५ दिन तक भी वह पेटिशन फाइल कर सकता है यह एक अच्छी चीज है । अब यह दो महीने का अर्सा हो जाता है और मैं समझता हूं कि यह एक बहुत अच्छी चीज है ।

मैं समझता हूं कि इलैक्शन कमीशन को यह अधिकार होना चाहिये कि वह जो दो जजिज़ एप्वाइंट करे वह हाईकोर्ट के जजिज

[सरदार ए० एस० सहगल]

हों । आपने जो क्लाजिज ४७ और ५४ में यह कहा है कि यह दोनों जजिज़ डिस्ट्रिक्ट जजिज़ हों मैं इसे पसन्द नहीं करता हूं । मेरा कहना यह है कि डिस्ट्रिक्ट जजिज़ को एप्वाइंट न कर के हाईकोर्ट के जजिज़ को एप्वाइंट किया जाये और जब इन में किसी पेटिशन के बारे में इख्तलाफ राय हो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के जज़ को करना चाहिये । सभानेत्री महोदया मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि हमारे यहां जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट जजिज़ हैं उन में लोगों का उतना विश्वास नहीं है जितना कि जूडीशियल पर है । इसलिये यह जरूरी है कि हम हाईकोर्ट के जजिज़ को एप्वाइंट करें जिन पर कि लोगों का काफी विश्वास है ।

आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उन पर ग़ौर किया जाएगा ।

सेठ अचल सिंह (ज़िला आगरा–पश्चिम) : यह जो चुनाव का विषय है यह आम जनता का विषय है और इसमें हर भारतवासी दिलचस्पी लेता है । पिछले चुनाव जब हुए उस वक्त तकरीबन १७ करोड़ लोगों ने वोट दिये थे । जिस तरीक़े से और जिस क़ामयाबी के साथ चुनाव किये गए उसकी प्रशंसा दुनियां भर में हुई । अभी हमारे कुछ अपोज़ीशन के मेम्बरों ने उन चुनावों के बारे में तरह तरह की बातें कहीं लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि ओन दी हौल (अधिकतर) चुनाव बहुत शान्ति-पूर्वक हुए और अच्छे तरीक़े से हुये । यहां तक कि कुछ देशों ने अपने चुनाव कराने के वास्ते यहां की सरकार से चुनाव अधिकारी मांगें, जिन्होंने बड़ी खूबी के साथ चुनाव कराये ।

इसकी काफ़ी प्रशंसा हुई है । इस विषय में मैं दो तीन सुझाव देना चाहता हूं । आशा है कि मंत्री महोदय उन पर विचार करेंगे ।

श्री कामत (होशंगाबाद) : क्या आप आगे आने का कष्ट करेंगे ? सुनाई नहीं दे रहा ।

सेठ अचल सिंह : पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं जिस वक्त एलैक्ट्रल रौल तैयार किया जाता है, तब उसकी अच्छी तरह पब्लिसिटी नहीं की जाती है । जिस वक्त क्लर्क नाम पूछने के लिये घरों पर जाते हैं, तो लोग नहीं समझते कि यह क्यों आये हैं और इसलिए वे अपना नाम नहीं बताते इस कारण बहुत से नाम छूट जाते हैं । मैंने आगरा में देखा कि रौल्ज़ के रिवाइज़ होने के वक्त स्त्रियों ने अपने नाम नहीं बताये और इस तरह बहुत सी स्त्रियां वोटर बनने से रह गईं । मैं चाहता हूं कि जब लिस्टें रिवाइज़ हों, तो इस बात की खूब पब्लिसिटी की जाये ताकि जनता को मालूम हो जाये कि लिस्टें बनाने का काम जारी है और हम को अपने अपने नाम दर्ज करवा देने चाहिएं । ऐसा करने से लिस्टें मुकम्मिल हो जायगी ।

दूसरी बात मैं इलैक्शन एक्सपेंसिज़ के बारे में कहना चाहता हूं । एक कैन्डीडेट विधान सभा के चुनाव में दस हज़ार से तीस चालीस हज़ार तक खर्च कर देता है, लेकिन क़ायदे के मुताबिक उसको विधान सभा और लोक सभा में आठ हज़ार और २५ हज़ार तक खर्च करना चाहिये । इसका नतीज़ा यह होता है कि ग़लत एक्स-पेंसिज़ लिखा दिए जाते हैं । इसलिए मैं चाहूंगा कि इलैक्शन एक्सपेंसिज़ की मद निकाल दी जाये और हर एक व्यक्ति को इस बात का मौका दिया जाये कि वह जितना चाहे खर्च करे । लोग खर्च तो अब भी करते

हैं लेकिन दिखाते कम हैं और रिटर्न में ग़लत दर्ज करते हैं। इसलिए इलैक्शन एक्सपेंसिज़ के मद को निकाल दिया जाये, तो अच्छा है।

इलैक्शन में बहुत से लोग करप्ट प्रैक्टिसिज़ करते हैं। वे ज़रूर खत्म होनी चाहिएं। लोग कई प्रकार के नाजायज़ काम करते हैं और रिश्वत देते हैं। इस वजह से इलैक्शन में खराबी पैदा होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि वह बातों इन पर विचार करें, अर्थात् इलक्ट्रल-रौल्ज़ बनाते वक्त काफ़ी पब्लिसिटी की जाये और इलैक्शन एक्सपेंसिज़ न सबमिट करने पड़ें।

सरदार इकबाल सिंह (फाजिल्का-सिरसा): सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि पीपल्ज रिप्रेजेन्टेशन एक्ट के नियम बहुत सख्त ह और इस तब्दीली के बाद भी शायद वे सख्त ही रहेंगे। बहुत कम कैंडीडेट ऐसे होते हैं, जो कि वकील होते हैं या इतने पढ़े लिखे होते है कि इन नियमों को अच्छी तरह समझ सकें।

पहली बात मैं नामीनेशन्ज के बारे में कहना चाहता हूं। बाज़ औकात ऐसा होता है कि नामीने के वक्त एक आदमी दस्तखत करता है और बरखिलफि पार्टी उस पर एतराज कर देती ह कि यह उसके दस्तखत नहीं हैं। तब वह अदालत में आता है और रिटर्निंग आफ़िसर के सामने दस्तख़त करता है, लेकिन रिटर्निंग आफिसर फिर भी उसके नामीनेशन को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि ये दस्तखत मिलते नहीं हैं। सदर साहिबा, आप गौर फ़रमाइये कि देहात में अनपढ़ लोग बसते हैं, उनके दस्तखत कहां तक मिल सकते हैं? मैं चाहता हूं कि इस एक्ट में यह प्राविजन होना चाहिए कि अगर कोई आदमी रिटर्निंग आफिसर के सामने यह हलफिया बयान दे कि यह दस्तखत मेरे हैं, तो वह दस्तखत उसी के तसव्वुर किये जाने चाहियें। देहातियों ने कभी दस्तखत किये नहीं होते और फिर पढ़े लिखे आदमी भी हर वक्त एक से दस्तखत नहीं कर सकते और उनके दस्तखत भी हमेशा नहीं मिलते, तो फिर अनपढ़ और कम पढ़े लिखे आदमियों के दस्तखत कैसे मिल सकते हैं? इसलिये इस बिना पर पेपर रिजेक्ट कर देना कि दस्तख़त नहीं मिलते हैं, मैं समझता हूं कि उन के साथ बड़ी बे-इन्साफ़ी होती है। इसलिये ऐसा प्राविज़न होना चाहिये कि अगर कोई शख्स रिटर्निंग आफ़िसर के सामने यह हलफ़िया बयान दे दे कि मैं ने यह दस्तखत प्रोपोज़र के तौर पर किये हैं, तो उस को मन्जूर कर लेना चाहिये।

इसके बाद मैं रिटर्न आफ़ इलैक्शन एक्सपेंसिज़ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह सब से कठिन बात है। इसको बहुत सादा किया गया है, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी तक वह इतना सादा और आसान नहीं हुआ है, जितना कि होना चाहिये। या तो आप इस क़िस्म की हिदायत दें कि ये ये चीज़ें इन्क्लूड होनी चाहियें और ये ये नहीं होनी चाहियें, ताकि कैन्डीडेट अपनी रिटर्न उस के मुताबिक़ बना सके। इस एक्ट में इतना वसी (खुला) मैदान रखा गया है कि जिस बात को कोई जिस ढंग से सोचना चाहे, सोच सकता है। पिछले इलैक्शन्ज में कितने पेटीशन्ज हुये, जिन में रिटर्न आफ़ नामीनेशन पेपर के बाद अगर कोई चीज़ आती है, तो वह इलैक्शन एक्सपेंसिज़ की है। आप ने उसको सिम्पलीफाई करने की कोशिश की है। लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि खास तौर पर स्टेट एसेम्बलीज़ के लिये जो कैन्डीडेट्स आयेंगे, वे छोट छोटे देहात से आयेंगे। मुमकिन है कि वे इतने

[सरदार इकबाल सिंह]

पढ़े-लिखे न हों और जब तक आप उन के लिये कोई ऐसा रूल नहीं बनाते कि यह चीज़ इलैक्शन एक्सपेंसिज़ में शामिल होनी चाहिये और यह नहीं होनी चाहिये, तब तक उन लोगों की मुश्किल हल नहीं होगी । आप ने यह तो कह दिया कि पार्टी के एक्सपेंसिज़ शामिल नहीं होंगे, लेकिन आप जानते हैं कि इलैक्शन पेटीशन्ज़ में इसके अलावा कितनी चीजें आईं । मद्रास में एक पेटीशन दायर की गई थी कि किसी कैन्डीडेट ने डेढ़ आने का इलैक्शन एक्सपेंस नहीं दिखाया । इतनी सख्ती के साथ यह क़ानून लागू किया जाता है । मैं समझता हूं कि सिलैक्ट कमेटी वाज़ेह अलफाज़ में कहे कि ये ये चीजें इलैक्शन एक्सपेंसिज़ में आयेंगी और ये ये नहीं आयेंगी, ताकि लोगों को रहनुमाई मिले और उसी के मुताबिक़ कैन्डीडेट्स अपने इलैक्शन एक्सपेंसिज़ तैयार करें ।

दफ़ा १२३ और १२४ में कहा गया है कि अगर किसी प्लेकार्ड या सर्कुलर पर प्रिन्टर और पब्लिशर का नाम न हो, तो वह इलैक्शन रद्द हो सकता है, क्योंकि वह एक करप्ट प्रैक्टिस है । मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में कितने ऐसे इश्तिहार निकलते हैं जिन म प्रिन्टर और पब्लिशर का नाम होता है ? बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि किसी वजह से किसी इश्तिहार पर प्रिन्टर और पब्लिशर का नाम रह गया, और इलैक्शन पेटीशन हुआ, तो वह डिसक्वालिफाई भी हो सकता है । इस में बहुत बेगली कहा गया है कि प्लेकार्ड, सर्कुलर और पोस्टर । कोई भी जानता है कि कितने ही सर्कुलर होते हैं, जिन को पार्टियों, संस्थाओं की तरफ़ से अपने कैन्टीडेट्स की हिमायत में निकाला जाता है । उस बिना पर भी इलैक्शन पेटीशन हो सकती है । मैं समझता हूं कि आप को यह बात वाज़ेह करना चाहिये और मेरे ख्याल में प्रैस का नाम ही काफ़ी समझा जाना चाहिये ।

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ा देश है । इस में हज़ारों गांव हैं और एक बहुत बड़ी तादाद म पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ्स बनते हैं । वोट डालने के लिये लोगों को एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता है । अभी तक यह मुक़र्रर किया गया है कि एक हज़ार आदमियों के लिये एक पोलिंग स्टेशन हो, यानी अगर किसी देहात में पांच सौ आदमी हों, तो उन को दूसरे गांव जाना पड़ता है । इससे लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है । सरकार को इस बात का फैसला करना चाहिये कि अगर किसी गांव में पांच सौ के करीब वोटर्स हों और पोलिंग स्टेशन तीन मील से ज्यादा फासले पर हो, तो उसी गांव में एक पोलिंग स्टेशन बनाया जाये । जब पोलिंग स्टेशन्ज़ की लिस्ट छापी जाती है, तो कोई एतराज़ नहीं करता है । लेकिन लिस्ट बनाने वालों को इस बात का इल्म नहीं होता है कि फलां गांव कहां पर वाक़या है और दूसरे गांव की लोकेशन क्या है । कैन्डीडेट्स जब अपनी कान्स्टीच्युएन्सी के सब आदमियों का पता करते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि वोटर्ज़ कहां रहते हैं और पोलिंग स्टेशन कहां पर रखा गया है । अगर उस वक्त वे ऐतराज़ करते हैं, तो कहा जाता है कि हम मजबूर हैं, यह तो इलैक्शन कमीशन ही कर सक । इस इन्तज़ाम में ज़रूरी कोई तब्दीली की जानी चाहिये और अगर रिटर्निंग आफ़िसर यह समझे कि फलां देहात के लोगों को दूसरे गांव के पोलिंग स्टेशन में आ कर वोट डालने में वाक़ई तक़लीफ होगी, तो इस बात का प्राविज़न होना चाहिये कि वहां पर ही एक पोलिंग स्टेशन बनाया जाये, या उसके नज़-

दीक ही किसी गांव में बनाया जाये—उस को ज्यादा दूर न रखा जाना चाहिये ।

श्री जे० आर० मेहता (जोधपुर) : आरम्भ में मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर जोर देना चाहता हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय विधि कार्य मंत्री ने इस देशव्यापी मांग को कि नाम-निर्देशन पत्रों की पड़ताल निर्वाचनों से पहले पूर्ण रूप से कर ली जानी चाहिये, पूरा नहीं किया है । पिछले निर्वाचनों के अनुभव से यह कहा जा सकता है कि जितने निर्वाचन रद्द किये गये उनमें से अधिकांश नाम-निर्देशन पत्रों के गलत रूप से अस्वीकृत कर दिये जाने के कारण किये गये थे । लोगों को इससे बहुत अधिक परेशानी होती है । पहले सरकार ने १९५३ के संशोधन विधेयक में यह बात रखी थी ; जिसे बाद में वापस ले लिया गया था । प्रवर समिति ने भी इस मामले पर ध्यान दिया था । किन्तु अब इन विधेयकों में इस बात का उल्लेख है ही नहीं और श्री पाटस्कर ने इसके कोई कारण भी नहीं बताये हैं ।

मैं यह मानता हूं कि यह काम आसान नहीं है । इस विषय पर दो रायें हैं ; एक तो यह है कि नाम-निर्देशन पत्रों को पहले ही देख लिया जाये और कोई अन्तिम निर्णय कर लिया जाये और दूसरे यह कि यद्यपि यह वांछनीय है किन्तु ऐसा करना सम्भव नहीं है, क्योंकि इसमें कई उलझनें होती हैं । किन्तु यदि उलझनें हों भी, मैं समझता हूं फिर भी सारे मामले को पहले ही निपटा दिया जाना चाहिये ।

१९५३ के विधेयक पर विचार करने वाली प्रवर समिति का मैं सदस्य था । मैं ने इसी पहलू को लेकर एक विमति टिप्पण लिखा था । अब भी मैं यही प्रार्थना करता हूं कि इस समस्या को सुलझाया जाये और प्रवर समिति इस पर विशेष ध्यान दें, अन्यथा निर्वाचन विधि की प्रक्रिया को सरल बनाने के हमारे समस्त प्रयासों से कोई लाभ नहीं होगा ।

इसके बाद निर्वाचन व्यय के विवरण के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे कोई लाभ नहीं होता है, इसलिये इसका प्रस्तुत किया जाना समाप्त कर दिया जाये । मैं तो यह चाहता हूं कि जो लोग रुपये के बल से स्वतन्त्र एवं न्यायपूर्ण निर्वाचनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं उन्हें कड़ा दण्ड दिया जाये ।

इस सम्बन्ध में, मैं इस बात को भी पसन्द नहीं करता कि जो रुपया किसी मान्य दल द्वारा निर्वाचन में व्यय किया जाये वह किसी उम्मीदवार के व्यय के लेखे में नहीं आना चाहिये । इस प्रकार तो और भी धांधली होगी क्योंकि बहुत सा रुपया दल द्वारा व्यय किया गया दिखाया जा सकता है । इससे यह पता चलता है कि व्यय के विवरण सम्बन्धी उपबन्ध का किस तरह निराकरण किया जा सकता है ।

इस विधेयक द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम के लिये उपबन्धित अवधि को कम करने का प्रयास किया गया है; मैं पूर्ण रूप से इसका विरोध करता हूं । क्योंकि जैसा कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि आठ लाख मतदाताओं तक पहुंचना पड़ता है । इसके अतिरिक्त निर्वाचन-क्षेत्र का क्षेत्रफल भी बहुत अधिक होता है । सम्भवतया आप यह सुन कर चकित हो जायेंगे कि मेरे निर्वाचन-क्षेत्र का क्षेत्रफल ३६,००० वर्गमील है । यदि आप इस बात पर ध्यान दें तो कभी भी अवधि कम नहीं करेंगे । इसके बाद, इसमें दूरी तथा संचार साधनों का प्रश्न भी आ जाता है । इसलिये वास्तविक मतदान तथा नाम-निर्देशन के बीच की अवधि

[श्री जे० आर० मेहता]

को कम कर दना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है ।

मतदान स्थानों की परस्पर अधिकतम दूरी का प्रश्न भी इसी के साथ सम्बन्धित है । मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि पिछले निर्वाचनों में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में १६ मील के अन्तर पर मतदान स्थान थे ।

अब मतदान स्थानों का परस्पर अन्तर दस मील किया जा रहा है तो इसका अर्थ यह है कि उन्हें २० मील की यात्रा मत देने के लिये करनी पड़ेगी ।

सामान्य हित के एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं । बहुत ही कम लोग इस बात से इन्कार करेंगे कि यह संसदीय लोकतन्त्र प्रणाली भारत जैसे देश के लिये बहुत महंगी है । यदि हम निर्वाचनों पर हुये समस्त व्यय को लें तो यह क्रम हमारी कल्पना से भी परे होगा । इसलिये संसदीय निर्वाचन के बारे में हमें कोई ऐसा तरीक़ा निकालना चाहिये जिससे कि व्यय कम हो और निर्वाचन ठीक ढंग से हो सकें । इस सम्बन्ध में सदन के नेता ने भी एक बार अपने विचार प्रकट किये थे । उधर श्री जयप्रकाश नारायण जैसे लोग यह कहते हैं कि भारत में निर्दलीय लोकतन्त्र होना चाहिये । अभी हुये वाद-विवाद में सेठ गोविन्द दास, श्री जयपाल सिंह आदि ने इसी प्रश्न के बारे में कहा है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

इन मित्रों ने बहुत ठीक बातें कही हैं । कई लोग कहते हैं कि भारत में लोकतन्त्रात्मक प्रणाली एक नयी वस्तु है—किन्तु ऐसी बात नहीं है—यह तो हमारे रक्त मज्जा में समाई हुई है । हमारी पंजायतें निर्दलीय लोक तन्त्र प्रणाली की प्रतीक हैं । मैं चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र इस बात पर विचार करें । किसी भी तरह से हमें अपने लोकतंत्र को स्वस्थ एवं संगठित बनाना चाहिये ।

श्री जेठालाल जोशी (मध्य सौराष्ट्र) : मैं माननीय मंत्री को इन दो विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूं ।

निर्वाचन सूची, व्यय, अवधि आदि के सम्बन्ध में यहां पर्याप्त चर्चा हो चुकी है । इसलिये इस सम्बन्ध में, मैं अधिक कुछ नहीं कहूंगा ।

मैं सभा का ध्यान निर्वाचन आयुक्त के प्रतिवेदन की ओर दिलाना चाहता हूं । नाम-निर्देशन पत्रों के अस्वीकार किये जाने के कई कारण वहां दिखाये गये हैं :

(१) पश्चिमी बंगाल विधान सभा में "राज्य" शब्द जोड़ा गया था ।

(२) तीन चिन्हों के स्थान पर एक उम्मीदवार ने केवल एक चिन्ह चुना था ।

(३) एक उम्मीदवार यद्यपि लाभ-प्रद पद पर नियुक्त नहीं हुआ था किन्तु उसके लिये चुन लिया गया था ।

(४) उम्मीदवार का नाम असैसरों की सूची में था ।

इस से प्रकट होता है कि नाम-निर्देशन पत्रों को रद्द कर देने के लिये यह कारण बहुत ही तुच्छ थे । इस लिये मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रवर समिति इस सम्बन्ध में पूरा ध्यान दे ।

खण्ड १२३ में दी गई भ्रष्ट कार्य-वाहियों के बारे में, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें "डाकुओं की अप्रसन्नता" शब्द भी जोड़ लिये जायें । यह हमारे सौराष्ट्र में गत निर्वाचनों के अनुभव पर आधारित एक सुझाव है । सभा को भली भांति विदित

है कि १९५१ में सौराष्ट्र में निर्वाचनों के दौरान ३४ हत्यायें हुईं । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में २३ हत्यायें एक महीने में हुईं । इनके कारण क्या थे ? श्री ढेबर भाई को भी इन डाकुओं से बड़ा खतरा रहा है । ये डाकू कुछ लोगों के हाथों में थे जब तक सत्ता प्राप्त करने के साधनों का सुधार नहीं होता ऐसी बातें प्रत्येक निर्वाचनों में होती रहेंगी । प्रवर समिति को इस का कोई उपचार अवश्य करना चाहिये और इस भ्रष्टाचार के दमन के लिये कड़े उपबन्ध बनाये जाने चाहियें । सभा को यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिसने उपलेता निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा था उसे यह विश्वास था कि यदि वह औरों से मिल कर मुख्य मंत्री को हटा देंगे तो वह सौराष्ट्र का मुख्य मंत्री हो जायेगा ।

बहुत से मित्रों ने यहां यह कहा है कि व्यय पर कोई सीमा नहीं होनी चाहिये । यदि समिति कोई सीमा निर्धारित करना चाहती है तो वह सीमा झूठ के लिये निर्धारित की जानी चाहिये ।

जहां तक समर्थक का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि समर्थक को अवश्य रखा जाये ।

चालीस दिन की अवधि को कम कर के ३० दिन कर देने की एक प्रस्थापना है । सम्भवतया माननीय मंत्री इंगलैंड का अनुकरण करना चाहते हैं । किन्तु हमारे देश का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है इसलिये इस ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है । इंगलैंड का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हमारे विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र के बराबर होता है ।

दूसरे, मैं इस सम्बन्ध में भी स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या निवृत्ति-वेतन प्राप्त करने वालों को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है ?

उपाध्यक्ष महोदय : संसद् में पहले ही बहुत से निवृत्ति वेतन पाने वाले हैं । क्या माननीय सदस्य उन पर रोक लगाये जाने का सुझाव देना चाहते हैं । अथवा वह निर्वाचन मात्र चाहते हैं ?

श्री जेठालाल जोशी : मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति इस मामले पर दोबारा ध्यान दे । जहां तक निर्वाचन सूची का सम्बन्ध है, उसके बारे में मैं ने हाल ही में देखा कि एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम सूची में नहीं था ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका उपचार क्या है । इससे तो केवल यही सिद्ध होता है कि पक्षपात नहीं किया जाता है ।

श्री जेठालाल जोशी : सूचियां अपूर्ण एवं गलत हैं । इसलिये उनको पुनरीक्षण करके ठीक किया जाये और गलतियां सुधारी जायें । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि मतदान से १५ दिन पूर्व, सारे ऐसे नाम जिन्हें पंजीबद्ध किया जाना चाहिये दरज कर लिये जायें और ऐसे लोगों को मतदान में भाग लेने का अधिकार दिया जाये ।

श्री बी० के स (कंटाई) : अभी आपने निर्वाचन सूचियों की ग़लतियों को सुधारने के लिये सुझाव दिया था । मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि सूचियां परिवार-वार तैयार की जानी चाहियें और नाम वर्णानुक्रम रखे जायें और परिवार के प्रत्येक सदस्य का नाम परिवार के प्रमुख के नाम के नीचे लिखा जाना चाहिये । इसी से ही गलतियां ठीक हो सकती है । यदि कोई नाम रह जाये तो वह शीघ्र ही मिल सकता है ।

इसके बाद सूचियों के बारे में दूसरी कठिनाई यह है कि बहुत बार मृत व्यक्तियों के नाम सूचियों में रहते हैं । पुनरीक्षण के समय कर्मचारियों को घ

[श्री बी० के० दास]

पड़ताल करनी चाहिये । यदि सारा प्रबन्ध परिवार-वार हो तो शीघ्र ही पता चल जाता है कि कौन मर चुका है ।

इस सम्बन्ध में दूसरा सुझाव यह है कि ज्यों ही कहीं कोई मृत्यु हो तो स्थानीय मृत्यु पंजीयक पदाधिकारी, स्थानीय निर्वाचन पंजीयक पदाधिकारी को सूचना दे ताकि वह तुरन्त ही वह नाम सूची में से काट दे ।

इसके बाद मैं, निर्वाचन व्यय के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । इस विधेयक में यह नहीं बताया गया है कि निर्वाचन व्यय कब से रखा जाना चाहिये । मेरा विचार है कि तत्सम्बन्धी अधिसूचना के जारी होने के बाद से ही लेखा रखा जाये । इसके बाद विधेयक में यह उपबन्ध है कि लेखा रखने के लिये एक निर्धारित फार्म होगा । यह बात अभी नयी होगी । मैं समझता हूं कि उस फार्म में सभी उचित काम दिखाने के स्थान होंगे—क्योंकि इस समय फार्म संख्या २६ में निर्वाचन अभिकर्ताओं आदि के भोजन इत्यादि पर होने वाले व्यय के दिखाने का स्थान नहीं है । एक विविध स्तम्भ है, किन्तु मैं समझता हूं कि ऐसा महत्वपूर्ण व्यय इस स्तम्भ के अन्तर्गत नहीं दिखाया जाना चाहिये । इसलिये उन फार्मों में यह स्तम्भ भी होना चाहिये ।

अब व्यय की अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में मेरी प्रार्थना यह है कि यदि दल द्वारा किये जाने वाले व्यय को उस सीमा से बाहर रखा जाता है तो सीमा निर्धारित करने का प्रयोजन ही व्यर्थ हो जाता है ।

व्यय विवरण के फार्म संख्या २६ में एक स्थान पर विभिन्न स्थानों से प्राप्त धन की मात्रा दिखानी पड़ती है । इसलिये दल द्वारा दी जाने वाली राशि को भी इस स्तम्भ में दिखाया जाये और फिर यह देखा जाये कि सीमा से अधिक व्यय हुआ अथवा नहीं ।

निर्वाचन कार्यक्रम के बारे में यह कहा जा चुका है कि प्रस्थापित २० दिन की अवधि बहुत ही कम रहेगी इसलिये ३० दिन की अवधि होनी चाहिये ।

निर्वाचन न्यायाधिकरण के बारे में मैं समझता हूं कि निर्वाचन आयोग द्वारा इस रिपोर्ट में की गई सिफारिश स्वीकार कर ली जाये । यदि न्यायाधिकरण का न्यायाधीश सत्र-न्यायाधीश हो तो अपील उच्च न्यायालय में हो और यदि उच्च-न्यायालय का कोई न्यायाधीश हो तो अपील उच्चतम न्यायालय में हो । मूल विचार यह था कि इसकी अपील नहीं होनी चाहिये । परन्तु विधानिक उपबन्ध के अनुसार उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है । अतः अच्छा तो यही है कि यह उपबंध अधिनियम में ही कर दिया जाये ।

इसके बाद नाम-निर्देशन पत्रों की पड़ताल का मामला आता है । यह प्रयास सदैव रहा है कि निर्वाचनों से पहले ही इस मामले को अन्तिम रूप से निपटा दिया जाना चाहिये । गत निर्वाचनों के अनुभव के आधार पर नाम-निर्देशन पत्रों के अस्वीकार करने के कारणों का वर्गीकरण कर दिया जाये और इस सम्बन्ध में पुनरीक्षण पदाधिकारी को अधिकार दे दिये जायें । मेरे विचार में इससे पर्याप्त कठिनाइयां कम हो जायेंगी ।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी): श्रीमान्, मैं आप लोगों को विश्वास दिला सकता हूं कि मैं जीवित हूं यद्यपि मेरी टांग की दो हड्डियां टूट गई हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ कर बोल सकते हैं ।

श्री आर० के० चौधरी : श्रीमान्, आपका धन्यवाद । जब थक जाऊंगा तो बैठ जाऊंगा ।

मैं इन वर्तमान विधियों में पर्याप्त रुचि रखता हूं । पिछले ३० वर्ष का मुझे अनुभव है ।

मुझे तीन बातें कहनी हैं । पहले तो यह कि हमारा उद्देश्य यह होना चाहिये कि निर्वाचनों में कम से कम व्यय हो । इसके लिये निर्वाचन व्यय विवरण के प्रस्तुत किये जाने का उपबन्ध नहीं होना चाहिये क्योंकि कोई भी व्यक्ति साधारण व्ययों का हिसाब नहीं रख सकता है, जिसके कारण उसे झूठा विवरण प्रस्तुत करना पड़ता है और एक सत्यनिष्ठ विवरण के नाम पर उसे यह कार्य-वाही करनी पड़ती है । इसलिये व्यय विवरण के इस उपबन्ध को समाप्त कर दिया जाये । चाहे कोई अधिकतम व्यय सीमा निश्चित कर दी जाये किन्तु उससे भी कुछ लाभ नहीं होगा । इसलिये मैं सुझाव देता हूं कि निर्वाचन व्यय का विवरण प्रस्तुत करने का उपबन्ध समाप्त कर दिया जाये ।

जहां तक कि निर्वाचन झगड़ों को निपटाने वाले न्यायाधिकरण का सम्बन्ध है, इस बारे में मेरा सुझाव यह है कि तीन सदस्यों वाले न्यायाधिकरण ही रखे जायें । श्री बी० के० दास ने कहा है कि उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप भी किया जाता है । किन्तु केवल ऐसे मामलों में ही ये न्यायालय हस्तक्षेप करते हैं जहां नियमों अथवा विधि का महान् उल्लंघन किया गया होता है—किन्तु फिर उच्च न्यायालयों को सारा निर्णय करना पड़ा करेगा । तीन व्यक्ति मामले का निर्णय ठीक ठीक ढंग से कर सकते हैं । यह अधिक उचित प्रतीत होता है कि जब अपील का उपबन्ध हो तो न्यायाधिकरण में एक से अधिक अर्थात तीन न्यायाधीश होने चाहियें । किन्तु वास्तव में अपील का उपबन्ध नहीं है केवल पुनरीक्षण का उपबन्ध है और इससे दोनों पक्षों को यह संतोष नहीं हो सकता है कि उनके विवाद संतोषजनक ढंग से निपटाये गये हैं । अतः मेरे विचार से वर्तमान प्रणाली जारी रहनी चाहिये । माननीय मंत्री से मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि विहित समय के भीतर ही विवाद निपटा दिये जायें और वह विहित समय छः मास से अधिक न हो, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के निर्णय भी उसी अवधि के भीतर हो जाने चाहियें ।

परसों मैंने अपने एक माननीय मित्र से सुना कि श्री डी० सी० शर्मा चाहते हैं कि प्रस्तावक सम्बन्धी उपबन्ध भी न रखा जाये । मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं है ।

मैं समझता हूं कि मेरे सभी मित्र इससे सहमत होंगे कि हमारे देश के निर्वाचन आयोग ने पिछले निर्वाचन के सिलसिले में बड़ी कुशलता और निष्पक्षता से काम किया और किसी भी दल के साथ कोई रियायत नहीं की है ।

एक और सुझाव कल दिया गया था जो बहुत ही युक्तियुक्त है, और वह यह है कि नाम वापस लेने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये । बहुत से उम्मीदवार बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर आते हैं, बहुत से अनुभव-हीन उम्मीदवार झूठे वायदों के लालच में आ जाते हैं । इसलिये यदि कोई उम्मीदवार अपना नाम देने के एक सप्ताह या दस दिन के अन्दर यह समझे कि उसे कोई उम्मीद नहीं है तो उसे अपना नाम वापस लेने की इजाजत होनी चाहिये और इस प्रकार नाम वापस लेने के लिये कोई जुर्माना उससे नहीं लिया जाना चाहिये । नाम वापस लेने के लिये कोई समय सीमा नहीं होनी चाहिये ।

श्री वीरस्वामी (मयूरम—रक्षित—अनुसूचित जातियां) निर्वाचन संबंधी इन

[श्री वीरस्वामी]

विधानों को पास करके संसद् और सरकार—विधि मंत्रालय और निर्वाचन आयोग—देश की और विशेष रूप से विधान मण्डलों और संसद के निर्वाचन में खड़े होने वाले उम्मीदवारों की बड़ी सेवा कर रही है। इस प्रकार गत निर्वाचन की बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी तथा जनता को और निर्वाचन में खड़े होने वाले उम्मीदवारों को बहुत सी सुविधायें प्राप्त होंगी।

अनुमोदक की व्यवस्था न करने का जहां तक संबंध है, मुझे इसमें सन्देह है कि अनुमोदक के बिना निर्वाचन पूरा हो सकता है। यदि किसी उम्मीदवार का एक प्रस्तावक होना आवश्यक है तो किसी और व्यक्ति को उसका अनुमोदक होना ही चाहिये।

इन दोनों विधेयकों में बहुत सी अच्छी बातें हैं। उदाहरण के लिये अब किसी उम्मीदवार के लिये निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करना आवश्यक नहीं है, साथ ही वह एक से अधिक गणन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। एक और लाभ यह है कि विधान मण्डल निर्वाचन क्षेत्रों की सूची से ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का भी काम चलाया जायेगा।

इनमें कुछ दोष भी हैं। जब राज्य सभा और विधान सभाओं के लिये कोई ज़मानत जमा कराने का उपबन्ध नहीं रखा गया है तो केवल लोक-सभा और विधान मण्डलों के उम्मीदवारों से ही ज़मानतें क्यों जमा कराई जानी चाहियें? संसद् के उम्मीदवार को अभी ५०० रुपये की ज़मानत जमा करानी पड़ती है और यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति का हो तो २५० रुपये। सरकार के और प्रवर समिति के विचारार्थ, जिसको कि यह विधेयक भेजा जाने वाला है, मैं यह सुझाव रखना चाहता हूं, कि संसद् के उम्मीदवारों से २०० रुपये और विधान मण्डलों के उम्मीदवारों से १०० रुपये की ज़मानत जमा कराई जाय।

सब से महत्वपूर्ण बात जिस ने मुझे उद्विग्न किया है वह यह है कि राजनीतिक दलों को निर्वाचन व्यय के विवरण दाखिल करने आवश्यक नहीं हैं। जब उम्मीदवारों से यह विवरण दाखिल कराये जा रहे हैं तो दलों को क्यों छूट दी गई है? माननीय मंत्री ने कहा है राजनीतिक दल निर्वाचन पर जो खर्चा करते हैं उसको अलग अलग बांटना कठिन होता है। मान लीजिये कि एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ऐसा है जिसमें पांच विधान मण्डल निर्वाचन क्षेत्र हैं और कोई राजनीतिक दल वहां १०,००० रुपया खर्च करता है। उसमें से यदि विधान मण्डल के उम्मीदवार पर १,००० रुपया खर्च हुआ माना जाये तो संसद् के उम्मीदवार पर ५,००० रुपये खर्च हुआ यह समझा जा सकता है और यह व्यय उस उम्मीदवार के व्यय विवरण में आना चाहिये।

नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि और वास्तविक निर्वाचन तिथि के बीच का समय बहुत कम रखा गया है। इसके लिये कम से कम एक मास का समय होना चाहिये क्योंकि कांग्रेस जैसे पैसे वाले दल तो थोड़े समय में सभी प्रकार से अपना प्रचार कर सकते हैं परन्तु कम पैसे वाले उम्मीदवारों के पास तो मोटर तथा सवारियां हैं नहीं उनको तो गांव गांव पैदल चल कर प्रचार करना पड़ता है, इसलिये कम से कम एक महीने का समय उनको दिया जाना चाहिये।

उम्मीदवारों की अर्हताओं के सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि उन के लिये कम से कम मैट्रीकुलेट होने की पाबन्दी होनी चाहिये जिससे वे सभा की कार्यवाही को समझ सकें और उस में भाग ले सकें। इसक साथ साथ

प्रत्येक उम्मीदवार को कसी न किसी दल का सदस्य होना चाहिये जिस से कि उस पर किसी न किसी का अंकुश अवश्य रहे।

हमने अपनी जनता को केवल निर्वाचन का अधिकार दिया है। स्विटज़रलैंड जैसे प्रजातंत्र देश में जनता को चार अधिकार दिये गये हैं —एक, अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार; दूसरा, विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार; तीसरा, पारित किये गये विधेयकों पर जनमत संग्रह कराये जाने की मांग करना, और चौथा, ऐसे सदस्यों को, जिनके व्यवहार से वे सन्तुष्ट न हों संसद् से वापस लेने का अधिकार। आये दिन यह होता है कि गणपूर्ति तक नहीं होती है। हमारे देश के प्रमुख समाचार पत्रों ने सद्भावना के साथ आलोचनायें की हैं और सुझाव दिये हैं। इसलिये मैं प्रवर समिति से निवेदन करता हूं कि इस विधेयक में एक ऐसा उपबन्ध अवश्य रखा जाये जिससे जनता को उन सदस्यों को, जिनका उद्देश्य केवल सदस्यता और धनोपार्जन तक ही सीमित है, वापस लेने का अधिकार दिया जाये ताकि हमारा प्रजातन्त्र दिनोंदिन पूर्णता को प्राप्त करे।

श्री बी० के० रे (कटक) : वकील और न्यायाधीश रहने के बाद मैं संसद् के लिये निर्विरोध चुन लिया गया था इसलिये मुझे निर्वाचन का कुछ भी अनुभव नहीं ह। इसलिये मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

अड़तीसवां प्रतिवेदन

श्री रघुनाथ सिंह (ज़िला बनारस—मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के अड़तीसवें प्रतिवेदन से, जो २५ सितम्बर, १९५५ को सभा के समक्ष रखा गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के अड़तीसवें प्रतिवेदन से, जो २५ सितम्बर, १९५५ को सभा के समक्ष रखा गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भारतीय नौवहन के विकास के लिए आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : भारतीय नौवहन के विकास के लिये सुझाव देने के हेतु एक आयोग नियुक्त करने के सम्बन्ध में ९ सितम्बर १९५५ को श्री रघुनाथ सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प पर अब सभा अग्रेतर विचार करेगी। श्री मात्तन अपना भाषण जारी रखें।

श्री मात्तन (तिरुवल्ला) : हिन्दुस्तान शिपयार्ड के सम्बन्ध में जो कुछ मैं ने कहा था उसका प्राक्कलन समिति ने उत्पादन मंत्रालय सम्बन्धी अपने चौदहवें प्रतिवेदन में समर्थन किया है। यह यार्ड तीन वर्ष से फ्रांसीसी समवाय के साथ काम कर रहा है। इस अवधि में निर्माणाधीन जहाजों की संख्या पांच रही है जब कि तैयार होने वाले जहाजों की औसत संख्या दो से भी कम रही है। शिपयार्ड की कार्य अनुसूची तय्यार करने के सम्बन्ध में ए० सी० एल० नामक फ्रांसीसी समवाय ने जो प्रविधिक परामर्श दिया है वह बहुत ही असन्तोषजनक था। भारतीय सेविवर्ग के प्रशिक्षण में भी पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है। उनका कहना है कि

[श्री मात्तन]

तुरन्त ही प्रभावपूर्ण कार्यवाही की जाये जिससे कि भविष्य में बकाया काम इकट्ठा न होने पाए। उनकी सिफारिश तो यहां तक है कि इस शिपयार्ड को जो हानि उठानी पड़ी है वह फ्रांसीसी समवाय से वसूल की जाये। उन्होंने एक और सिफारिश यह की है कि यदि हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना का ठीक से परिपालन करना चाहते हैं तो जहाज़ों के निर्माण में पिछड़ जाने वाले काम की जांच की जानी आवश्यक है। उनका ठीक ही कहना है कि आयोजन का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं होना चाहिये कि इतने जहाज़ तैयार किये जायें जो वाणिज्यिक प्रयोजनों और तटीय यातायात के लिये आवश्यक हैं वरन् हमारी बढ़ती हुई नौ सेना की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। इन का लक्ष्य तो इस से भी कहीं ऊंचा है क्योंकि वे कहते हैं कि हमारी अन्तिम योजना केवल इतनी ही नहीं होनी चाहिये कि हम अपने लिये जहाज़ों का निर्माण करें वरन् हमारा लक्ष्य यह होना चाहिये कि हम अन्य संभरणकर्ताओं के साथ प्रतियोगिता करते हुये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों के लिये भी जहाज़ तय्यार कर सकें।

प्रविधिक विशेषज्ञों को छांटने और विदेशी समवायों के साथ करार करने के सम्बन्ध में मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि भविष्य में जब कभी ऐसे करार किये जायें तो अनुभवी व्यापारियों से परामर्श अवश्य लिया जाये। अभी तक इस प्रकार के जितने भी करार किये गये हैं उन में से दो मशीनी औज़ार कारखानों की असन्तोषजनक प्रगति की याद हमारे मित्रों के मस्तिष्क में अब भी ताज़ा है। तेल शोधनालयों के साथ किये गये करारों की बहुत आलोचना की गई है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऐसे सब करारों में जो गलतियां की गई हैं वह कदापि न होतीं यदि भारत सरकार के अधिकारी थोड़े और अनुभवी होते। मैं आई० सी० एस० अफ़सरों की कुशल प्रशासनिक सेवाओं को मानता हूं पर मैं यह नहीं कह सकता हूं कि उन को व्यापार का व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त है।

यदि हम यह मान भी लें कि भविष्य में हिन्दुस्तान शिपयार्ड के पास और अच्छे प्रविधिविज्ञ होंगे तो भी वह उतने जहाज़ों का निर्माण नहीं कर सकेगा जितने कि हमारे देश के लिये आवश्यक हैं। अपनी क्षमता भर विस्तार किये जाने के बाद भी विज़िग शिपयार्ड की क्षमता केवल ४०,००० से लेकर ५०,००० टन है जब कि बीस लाख टन के लक्ष्य के आधार पर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कम से कम १,००,००० टन का वार्षिक निर्माण आवश्यक होगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त होने तक जो भारतीय जहाज़ ३० वर्ष या उस से अधिक पुराना हो चुकेंगे उन का टन भार लगभग ९० हजार टन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसको प्रतिस्थापित करना होगा। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इन जहाज़ों का निर्माण करने के लिये और अपनी बढ़ती हुई नौ सेना की निर्माण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इस से अधिक क्षमता वाले एक दूसरे जहाज़ निर्माण यार्ड की आवश्यकता होगी। एक प्रश्न का उत्तर देते हुये परिवहन मंत्रालय की ओर से कल कहा गया था कि एक और जहाज़ निर्माण यार्ड स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और हो सकता है कि उसकी पूर्ति तृतीय योजना काल में की जाये। यद्यपि हमें प्रविधिविज्ञों की बहुत आवश्यकता है फिर भी हमें फ्रांसीसी प्रविधिविज्ञों के भरोसे नहीं रहना है। मेरा सुझाव है कि सरकार किसी ऐसे सुस्थापित पश्चिमी जर्मन समवाय या किसी जापानी

समवाय के साथ करार करे जो किफ़ायत से और समय के भीतर जहाज़ निर्माण करने का प्रमाण दे चुके हों। दूसरी जहाज़ निर्माण गोदी की स्थापना का जहां तक सम्बन्ध ह मेरा सुझाव है कि इस के लिये सर्वोत्तम स्थान कोचीन स्थित विलिंगडन द्वीप के निकट है ।

जहाज़ों के निर्माण के साथ साथ जहाज़ों की मरम्मत, सेवा और टूट फूट सुधार के मसले पर भी विचार किया जाना चाहिये । समस्त समुद्री देशों में शिपयार्डों में न केवल जहाज़ों की मरम्मत की व्यवस्था होती है अपितु प्रत्येक पत्तन में मरम्मत करने वाली गोदियां होती हैं । उदाहरण के लिये बम्बई में, जो कि अधिकांश नौवहन समवायों का मुख्यालय है, कम से कम तीन चार मरम्मत करने वाली गोदियों की आवश्यकता है । इसी प्रकार कलकत्ता, मद्रास, कोचीन तथा कांडला जैसे अन्य बड़े बड़े बन्दरगाहों की भी आवश्यकताओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

मरम्मत करने वाली गोदियों के अतिरिक्त बन्दरगाहों में जहाज़ों से सम्बन्ध रखने वाले अन्य कार्यों के किये जाने की कुशलतम व्यवस्था का होना बहुत आवश्यक है। जहाज़ों से माल उतारने और माल लादने के अच्छे से अच्छे तथा नवीनतम तरीकों और कुशलतम गोदी श्रमिकों की व्यवस्था का होना बहुत आवश्यक है जिससे कि जहाज़ों के वापस होने में विलम्ब न हो जैसा कि आजकल होता है । दक्षिण रेलवे के लिये अपेक्षित आवश्यक भारी इंजीनियरिंग वस्तुयें जैसे इंजन, बायलर इत्यादि अभी पहले बम्बई के बन्दरगाह में उतारे जाते हैं और उसके बाद रेल द्वारा ले जाये जाते हैं यद्यपि कोचीन में एक बहुत अच्छा बन्दरगाह मौजूद है । अभी पांच दिवस पहले की बात है कि मैं बम्बई में था, २५ जहाज़ बन्दरगाह में प्रवेश पाने की राह देख रहे थे जब कि कोचीन में बहुत स्थान खाली था । पता लगाने से मालूम हुआ कि इसका कारण यह है कि ऐसी भारी वस्तुओं को उतारने के लिये पचास साठ टन की क्षमता के तैरने वाले क्रेनों की आवश्यकता है जब कि कोचीन में केवल बीस टन की क्षमता वाले क्रेन हैं ।

बड़े बड़े बन्दरगाहों में इतनी कमियां होते हुये भी वे उन राशियों का भी उपयोग नहीं कर सके हैं जो कि प्रथम पंच वर्षीय योजना में उनको आवंटित की गई थीं । बन्दरगाहों को नवीनतम स्थिति में रखना भी प्रस्तावित समुद्री आयोग का एक काम होगा ।

एक और काम जो अमरीका का समुद्री आयोग बड़ी कुशलता के साथ करता रहा है वह नौ सेना सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिये प्रक्रीत करने की व्यवस्था करना है । इस देश में कोई एकीकृत प्रक्रीत करने वाला अभिकरण नहीं है और गैर-सरकारी भारतीय अभिकरणों के सहयोग से एक ऐसे अभिकरण की व्यवस्था करना सरकार का काम है ।

दूसरा प्रश्न अफ़सरों और नाविकों को समुद्री प्रशिक्षण देने का है । चूंकि सेविवर्ग कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे हम बाज़ार में खरीद सकें इसलिये इसके लिये हमें अपनी योजना बनानी चाहिये। मैं जानता हूं कि मंत्रालय ने समुद्री प्रशिक्षण दिये जाने के लिये अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की है परन्तु जब हम इस पर विचार करते हैं कि एक कुशल वाणिज्यिक नौ सेना के लिये केवल अफ़सरों और इंजीनियरों की ही नहीं वरन् चालकों, गोदी मास्टरों और अन्य समुद्री सेविवर्ग की भी आवश्यकता होती है तो मुझे भय होता है कि सम्भवतः यह

[श्री मात्तन]

व्यवस्था पर्याप्त नहीं होगी । इस प्रश्न पर ऊंचे स्तर पर विचार किये जाने की आवश्यकता है। भारतीय सेविवर्ग के कुशलता-स्तर को उच्चतम बनाये रखना इस आयोग का एक प्रमुख कार्य होगा, क्योंकि विदेशी बन्दरगाहों में आते जाते रहने के कारण यही लोग भारतीय राष्ट्र के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि माने जाते हैं ।

अब मैं इस बात पर आता हूं कि नौवहन तथा पोत निर्माण के लिये सरकार द्वारा प्रत्यक्ष सहायता का दिया जाना कितना आवश्यक है । यह कितने आश्चर्य की बात है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड को भारत में जहाज़ निर्माण करने और विदेशों में निर्माण कराने में जो लागत में अन्तर होता है उसका भुगतान करके एक प्रकार से प्रत्यक्ष राजकीय सहायता दी जाती है, और दूसरी सहायता, जो कि अस्थायी प्रकार की है, ऋण के रूप में दी जाती है । मुझे यह जान कर हर्ष होता है कि सरकार ने ऋण की शर्तों में कुछ रियायतें करने का वायदा किया है । इस पर भी जब हमारे समुद्र पार की यात्रा करने वाले जहाज़ हमारे समुद्र पार व्यापार में भाग लेंगे तो कुछ रास्तों के सम्बन्ध में कम से कम आरम्भ में प्रत्यक्ष राजकीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता होगी। लम्बी यात्रा वाले रास्तों में जिन में कि हम अपने नौवहन के पैर जमाना चाहते हों, राजकीय सहायता की आवश्यकता होगी । हमारे नौवहन समवायों की सब से बड़ी कमज़ोरी यह है कि उन के पास मुश्किल से एक करोड़ रुपये का रक्षित धन है जब कि इंगलैंड के प्रत्येक समवाय के पास लगभग दस करोड़ रुपये की रक्षित निधि है । इस मामले में अनुसरण करने के लिये हमारे पास अमरीका से अच्छा कोई उदाहरण नहीं है जो कि यद्यपि संसार के कुल टन भार के लगभग आधे का स्वामी है फिर भी विभिन्न अनुसूचित पथों पर चलने वाले जहाज़ों को उदारतापूर्वक राजकीय सहायता देता है । भारत के न केवल आर्थिक ढांचे के लिये वरन् उस की सुरक्षा के लिए भी नौवहन का बहुत बड़ा महत्व है । हमारा तट ३,६०० मील लम्बा है जिस की हमें पर्याप्त सुरक्षा करने की व्यवस्था करनी है । यद्यपि हम पंचशील इत्यादि में विश्वास करते हैं फिर भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है । इस प्रयोजन के लिये हम एक सुदृढ़ नौ सेना नहीं तय्यार कर सकते हैं। हमारा व्यापारिक बेड़ा हमारे लिये बहुत कुछ पुलिस जैसा काम करता है । नौवहन समवायों को राजकीय सहायता तथा अन्य प्रकार की सहायतायें देने का यह एक बहुत बड़ा औचित्य है ।

राष्ट्रीय सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है और क्योंकि ऐसा करना सार्वजनकि हित में है अतः इस की व्यवस्था सार्वजनकि खर्च से की जानी चाहिये । कुशलता से नियंत्रित एक नौवहन कार्यक्रम और उस कार्यक्रम को राष्ट्रीय सुरक्षा की विशेष आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने का बुनियादी खाका एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिस की ओर से हम विमुख नहीं हो सकते हैं ।

इस के अतिरिक्त नौवहन समवाय का विकास कर के जनता की बेरोज़गारी को भी घटाया जा सकता है । न केवल यह कि लोग जहाज़ों में भर्ती होंगे वरन् कुछ साहसी व्यक्ति अन्य देशों में जा रहने की कोशिश करेंगे जहां नौकरी इत्यादि की हालत अच्छी है । द्वितीय पंच वर्षीय योजना का एक मुख्य प्रयोजन लगभग एक करोड़ बीस लाख व्यक्तियों को काम देना है और यदि ऐसा करने का कोई एक सरल तरीका है तो वह नौवहन का विकास करना है ।

अब मैं पोतस्वामी परामर्शक समिति के अध्ययन मण्डल के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । मैं मानता हूं कि अध्ययन मण्डल में बुद्धिमान व्यक्ति हैं जिनको नौवहन क्षेत्र का व्यावहारिक अनुभव है और उनकी सिफ़ारिशें सहानुभूतिपूर्वक विचार करने योग्य हैं । अध्ययन मण्डल इस आवश्यकता के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक है कि भारत की सुरक्षा की उचित व्यवस्था करने के लिये तथा आर्थिक समृद्धता को प्रोत्साहन देने के लिये देश के वर्तमान टन भार में बहुत अधिक बढ़ोतरी करनी आवश्यक है । इसके अतिरिक्त, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये देश के पास, समुद्रों की यात्रा करने वाले जहाज़ों और तेलवाहक टैंकरों का पर्याप्त संख्या में बढ़ाया जाना बहुत आवश्यक है । देश की सुदृढ़ और प्रभावी संतुलित अर्थव्यवस्था के लिये विदेशी मुद्रा को जमा करना और उसके अदृश्य निर्यात में पर्याप्त अभिवृद्धि करना आवश्यक है इसलिये शीघ्रातिशीघ्र एक उपयुक्त व्यापारी बेड़ा तैयार करना एक ऐसा अनिवार्य दायित्व है जिसे बिना किसी विलम्ब के पूरा किया जाना चाहिये । अनुभव ने यह बताया है कि कोई भी समुद्री देश, जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में उन्नति करना चाहता है केवल अपने एक सशक्त राष्ट्रीय व्यापारी जहाज़ी बेड़े के बल पर ही ऐसा कर सकता है । इसलिये हमें इस ओर पूरा ध्यान देना चाहिये ।

अध्ययन मंडल ने यह भी अनुभव किया है कि आज संसार के छोटे छोटे देश भी प्रति वर्ष अपने जहाज़ी बेड़े को बढ़ा रहे हैं । भारत को भी अपने व्यापारी जहाज़ी बेड़े को सशक्त बनाना चाहिये । यदि हम अपनी आर्थिक दशा को उन्नत करना चाहते हैं तो हमें ऐसा करना ही होगा । अध्ययन ने भी ऐसा ही अनुभव किया है, परन्तु मुझे इस बात से आश्चर्य है कि उसने द्वितीय पंच वर्षीय योजना का लक्ष्य ४,४५,००० टन कैसे निर्धारित किया है । नीति आयोग तक ने यह सिफारिश की थी कि १९४७ में यह लक्ष्य २० लाख तक होना चाहिये जो सात या आठ वर्ष में प्राप्त किया जाये क्योंकि सरकार ने इस सिफ़ारिश को स्वीकार कर लिया है । इसलिये मेरा यह सुझाव है कि यह लक्ष्य १९६१ तक कम से कम १२ लाख अवश्य होना चाहिये । हमारे मन में किसी भी प्रकार की हीन भावना नहीं आनी चाहिये । हमें बड़े साहसपूर्वक इस लक्ष्य को बढ़ाना चाहिये और इस योजना में पूरा विश्वास रखना चाहिये ।

नौवहन के सम्बन्ध में एक और आधारभूत तत्व यह है कि नौवहन समवाय लाभांश नहीं दे रहे हैं । सिंधिया तक अपने अंश को समतुल्य मूल्य पर घोषित नहीं कर पा रहे हैं । यह घोषणा की गई थी कि सरकार की ओर से तीन निगम स्थापित किये जायेंगे । परन्तु अभी तक केवल एक ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन ही स्थापित हुआ है, और उसमें भी निजी पूंजी का कुछ भी योग नहीं है । मैं चाहता हूं कि नौवहन के लिये पूंजी निर्माण करते समय निजी पूंजी को इसमें योग देने के लिये प्रोत्साहन दिया जाये ।

देश की रक्षा के दृष्टिकोण से नौवहन के अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के कारण, मेरा यह सुझाव है कि भारतीय नौवहन समवायों को भी तश्चिमी जर्मनी और इटली के समान याय-कर अनुतोष दिया जाये ।

श्री दास तथा श्री जोशी के संशोधन मूल संकल्प को सुधारते हैं, अतः मैं उनका पूर्ण समर्थन करता हूं । नौवहन नीति समिति ने भी १९४७ में ही एक भारतीय नौवहन बोर्ड की स्थापना की सिफ़ारिश की थी, और सरकार

[श्री मात्तन]

ने उस सिफारिश को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया था। उस स्वीकृति की एक प्रति मेरे पास है। परन्तु दुःख इस बात का है कि उन सिफारिशों और उस स्वीकृति को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है; और आज तक कोई नौवहन बोर्ड नहीं बनाया गया है। उपमंत्री महोदय का यह कहना है कि बम्बई में नौवहन का एक महा निदेशालय स्थापित कर दिया गया है। यह सत्य है कि यह महा निदेशालय स्थापित करना उस दिशा में एक प्रगति है, परन्तु वास्तव में तो हमें एक बोर्ड की स्थापना करनी है जो कि सारे कार्य में समन्वय स्थापित कर सके।

प्रस्तावित बोर्ड प्रशुल्क बोर्ड की भांति पूर्ण रूप से एक सरकारी संगठन होगा, इसलिये इसमें कोई असरकारी व्यक्ति अथवा कोई संसद् सदस्य भी नहीं होगा।

योजना आयोग ने तो परिवहन के बारे में लक्ष्य को घटा कर ८० करोड़ रुपये कर दिया था, परन्तु ऐसा दीखता है कि अब उसे और भी घटा कर ५० करोड़ रुपये तक कर दिया जायेगा। आप योजना आयोग को बता दें कि हम नौवहन के सम्बन्ध में १०० करोड़ रुपये से कम के लक्ष्य को स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य अपने अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं उन्हें कर सकते हैं।

श्री एम० डी० जोशी (रत्नागिरि—दक्षिण), श्री भागवत झा आज़ाद (पूर्निया व संथाल परगना) और श्री बोगावत (अहमदनगर—दक्षिण) ने अपने अपने संशोधन प्रस्तुत किये।

श्री रघुरामैया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह रखा जाये :

"This House, while appreciating the steps so far taken by the Government of India towards the development of Indian shipping, suggests that all further suitable measures be taken to expand rapidly coastal and overseas tonnage."

["यह सभा, भारत सरकार द्वारा भारतीय नौवहन के विकास के लिये अभी तक की गई कार्यवाहियों की सराहना करते हुये, यह सुझाव देती है कि तटीय और समुद्र पार टन-भार-क्षमता को शीघ्रता से बढ़ाने के लिये अन्य सभी अग्रेतर उपयुक्त कार्यवाहियां की जायें।"]

उपाध्यक्ष महोदय : सब संशोधन प्रस्तुत हुये।

श्री जी० डी० सोमानी (नागौर—पाली) : इस देश में नौवहन के विकास के लिये समुचित उपायों का सुझाव देने के हेतु एक आयोग की नियुक्ति के लिये प्रस्तुत किये गये इस संकल्प का मैं स्वागत करता हूं।

इस समय देश में चारों ओर परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं की कमी है। यह सत्य है कि देश में रेलों के विकास की ओर अधिक ध्यान दिया गया है, परन्तु जब तक प्रत्येक प्रकार के परिवहन साधन अर्थात् रेलों, नौवहन और सड़कों के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जायेगा, तब तक देश आर्थिक दृष्टि से उन्नत नहीं हो सकेगा।

मुझे पूर्ण आशा है कि हमारे रेलवे तथा परिवहन मन्त्रालय आज की हमारी

आवश्यकताओं का अनुभव करते हुये देश में प्रत्येक प्रकार के परिवहन-साधन को विकसित करने का पूरा प्रयत्न करेंगे ।

हमारे नौवहन उद्योग के विकास के मार्ग में कई प्रकार की कठिनाइयां हैं इसलिये एक आयोग नियुक्त किया जाये जो कि इन कठिनाइयों को दूर करने के बारे में अपनी सिफ़ारिशें दें ।

अपने देश के नौवहन को प्रोत्साहन देने के लिये यह अत्यावश्यक है कि हम रेलवे भाड़ों में भेद भाव पूर्ण नीति को अपनायें । अपने अपने देश के नौवहन उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये सभी देशों ने इसी नीति को अपनाया है । मैं इसके सम्बन्ध में आपको कई उदाहरण दे सकता हूं । प्रो० कलार्क, प्रो० सी. एन. वकील, श्री जॉनसन और वान मीटर सभी ने रेल-परिवहन में भेदभाव पूर्ण नीति के अपनाये जाने के सम्बन्ध में अधिकार-पूर्ण रीति से लिखा है । ईराकी रेलों में भी उनके देशी समवायों से कम किराया लिया जाता था और ऐंग्लो-पर्शियन तेल कम्पनी से अधिक किराया लिया जाता था । अमरीका में भी अमरीकन निजी समवायों को प्रोत्साहन देने के लिये उनके किराये कम किये गय हैं । और उन पर लगाये गये बन्धनों को भी ढीला कर दिया गया है ।

इस प्रकार से प्रत्येक देश में रेलवे नीति उद्योगों की सहायता करने, आयात निर्यात व्यापार को बढ़ाने, पत्तनों तथा राष्ट्रीय नौवहन को बढ़ाने के लिये ही बनाई जाती है । इसलिये मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि यह प्रश्न प्रस्तावित रेलवे समुद्र परिवहन समन्वय समिति को सौंपा जाये ताकि अन्य देशों के अनुभवों के आधार पर हमारी रेलवेज़ भी हमारे आयात और निर्यात व्यापार में सहायता पहुंचायें और दूसरी ओर स्वदेशी नौवहन को अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिल सके ।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस समय तटीय व्यापार में प्रचलित भाड़े की दरों की ओर दिलाना चाहता हूं । युद्ध से पूर्व जहाजों का भाड़ा रेलों के भाड़े से कहीं कम हुआ करता था, परन्तु आज स्थिति बिल्कुल उलट गई है और जहाज़ी भाड़ा रेल भाड़े से बहुत अधिक बढ़ गया है । यह तो हमारे उद्योगों की उन्नति के मार्ग में एक भारी बाधा है । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस भाड़ा दर सम्बन्धी ढांचे का इस प्रकार समन्वय किया जाये जिस से कि हमारे उद्योग विभिन्न वस्तुओं के परिवहन के लिये तटीय नौवहन का सहारा ले सकें । मुझे विश्वास है कि इस समस्या पर अच्छी प्रकार विचार किया जायेगा ।

श्री सारंगधर दास (ढेंकानाल—पश्चिम कटक) : किसी भी समुद्री देश के आर्थिक विकास तथा अन्य देशों से सम्बन्ध बनाये रखने के लिये नौवहन एक अनिवार्य साधन है इसलिये हमारे नौवहन उद्योग को, जो कि इस समय निष्क्रिय अवस्था में है, सरकार की ओर से प्रत्येक प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में हमें इतनी अधिक वस्तुयें एक स्थान से दूसरे स्थान को और विदेशों से भारत में लानी होंगी, और यहां से विदेशों को भेजनी होंगी, और इस भारी कार्य के लिये हमें उपयुक्त परिवहन सेवा की आवश्यकता है । कोई १६०० करोड़ रुपये की मशीनें और उपकरण हमें इंगलैंड तथा अन्य देशों से मंगानी होंगी । हम तो अभी तक प्रथम पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को ही प्राप्त नहीं कर सके हैं तो द्वितीय योजना का लक्ष्य कैसे

[श्री सारंगधर दास]

प्राप्त हो सकेगा। जब तक कि हम अपनी परिवहन-सेवा का विकास नहीं करेंगे। हमें अधिक से अधिक जहाज़ बनाने होंगे, जिस से कि हम १९६६ तक २० लाख टन का लक्ष्य प्राप्त कर सकें। तटीय व्यापार रक्षण विधेयक के मूल समर्थकों के प्रयत्न अब सफलीकृत हो रहे हैं। सरकार ने समस्त तटीय नौवहन को राष्ट्रीय उद्योग और भारतीय जलमार्गों के लिये सुरक्षित कर दिया है। परन्तु जहां तक समुद्र पार व्यापार का संबन्ध है प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर हम केवल पांच प्रतिशत व्यापार को अपने हाथों में ले सकेंगे। तेल वाहक व्यापार में हमारा कोई हाथ नहीं है। भारत-ब्रिटेन व्यापार में हमारे केवल ३६ जहाज़ हैं। अमेरीकन भागों में हमारा कोई जहाज़ नहीं दिखाई देता है। भूमध्य सागर में कभी कभी भारतीय जहाज़ दिखाई दे जाते हैं। आशा है कि १९५६ तक आस्ट्रेलिया और जापान की ओर तीन भारतीय जहाज़ चलने लग पड़ेंगे। प्राक्कलन समिति के अनुसार हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का कार्यकरण असन्तोष पूर्ण रहा है। आशा है कि शिपयार्ड निदेशालय प्राक्कलन समिति की सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करेगा और अन्य देशों के शिपयार्डों की भांति समय तुल्यता के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। यदि वर्तमान विशेषज्ञ ऐसा न कर सकें तो शीघ्र ही कोई अन्य उपाय सोचे जायें।

हमने कुछ योरोपीय तथा एशियाई देशों के साथ कई उभयपक्षीय व्यापारिक करार किये हैं, परन्तु हम उन देशों से बहुत कम माल को ला और पहुंचा सके हैं। इसका कारण यह है कि हमारे पास जलयानों की कमी है। इसलिये यह आवश्यक है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड में शीघ्रता से अधिक से अधिक जहाज़ तैयार किये जायें।

तटीय टन भार के लिये जहाज़ तैयार करने के हेतु ९० प्रतिशत लागत मूल्य दो प्रतिशत ब्याज की दर से देकर इस उद्योग की सहायता की जानी चाहिये। इस में आश्चर्य की कोई बात नहीं है क्योंकि सभी देश जलयानों के निर्माण के लिये पूरी पूरी सहायता प्रदान करते हैं। हमने औद्योगिक विनियोजन निगमों तथा बैंकों को बिना ब्याज ऋण दिये हैं। अतः देश की आवश्यकता को देखते हुये यह ऋण दिये ही जाने चाहियें। इंगलैंड की सरकार तक ने इस काम के लिये अपने शताब्दियों पुराने उद्योग को १½ प्रतिशत की दर से भारी ऋण दिये हैं।

अधिमान्य रेलवे दरों के सम्बन्ध में श्री सोमानी पहले ही बहुत कुछ कह चुके हैं। मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं। देश के स्वतन्त्र होने से पूर्व दरों को इस प्रकार रखा जाता था जिस से कि विदेशी हितों को भारतीय निर्माताओं पर अधिमान्य प्राप्त होता रहे और वह कच्चा माल सस्ते दामों पर ख़रीद सकें। हमारे देश में ऐसा बीसियों वर्षों तक होता रहा। मैं चाहता हूं कि इस समस्या को रेलवे तथा तटीय नौवहन सहयोजन समिति को निर्दिष्ट किया जाय।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड में जहाजो को शीघ्रता से तथा व्यवसायिक आधार पर बनाने के लिये कई उपयुक्त उपायों को अपनाया जाना चाहिये। इस कार्य में किसी प्रकार की देर नहीं लगानी चाहिये। इस कार्य के लिये अन्य अनुभवी देशों के निपुण व्यक्तियों की सहायता ली जानी चाहिये। जर्मनी, जापान इत्यादि देशों से प्रविधिक सहायता ली जाये। साथ ही इस देश के नागरिकों को प्रविधिक प्रशिक्षण दिया जाये।

मेरी चौथी सिफारिश यह है कि एक दूसरा शिपयार्ड भी बनाया जाये। अपने

२० लाख टन के महान् लक्ष्य को पूर्ण करने और प्रति वर्ष १ लाख सकल टन भार का प्रतिस्थापन करने की आवश्यकता के लिये हमें दूसरा शिपयार्ड बनाना ही होगा। हिन्दुस्तान शिपयार्ड में अब और अधिक स्थान नहीं है और हमारी नौ सेना सम्बन्धी आवश्यकतायें भी तो हैं। इसलिये अब दूसरे यार्ड के लिये हमें सोचना चाहिये। यदि उसे बनाया भी गया तो भी उसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मध्य तक आरम्भ किया जा सकेगा और वह कहीं जाकर तीसरी योजना के प्रारम्भ में तैयार हो पायेगा। मैं सरकार की भूल चूकों के लिये उसे दोषी कहता हूं। किन्तु इस दोष का भागी एक दूसरा पक्ष भी है अर्थात नौवहन-समवाय तथा भारतीय नौवहन में रुचि रखने वाल व्यक्ति। राष्ट्रीय नौवहन के विकास के लिये उन्हें सरकार के साथ सहयोग करना चाहिये सरकार की ऋण नीति का लाभ उठाना चाहिये। किन्तु पूंजी-निर्माण के कार्य में उन्हें पूर्णतः सरकार पर आश्रित नहीं रहना चाहिये। दूसरे, उन्हें समुचित पूंजी तथा प्रविधिक ज्ञान के आधार पर नये समवाय बनाने चाहियें। तीसरे उन्हें काम में लाय जा सकने योग्य पुराने जलयानों का भी उपयोग करना चाहिये। सब से अन्त में मैं सरकार और नौवहन समवायों से यही कहूंगा कि उन्हें डर की भावना को निकाल देना चाहिये। सरकार उन यूरोपीय विदेशी हितों से जिन्होंने स्वयं को भारत में संस्थापित कर लिया है, डरती है। स्टेंडर्ड वैक्युप कम्पनी, बर्मा शैल कम्पनी तथा कालटैक्स आयल कम्पनी के साथ जो क़रार हुये हैं उनसे उनको शोधनालयों के उत्पादों को तट के सहारे सहारे ले जाने का अधिकार दिया गया है परन्तु इस से पहले यह तटीय व्यापार का अधिकार एकमात्र भारतीय समवायों को ही प्राप्त था। उस क़रार को संशोधित करके कुछ ऐसा उपाय निकाला जाना चाहिये जिससे कि कम से कम ५० प्रतिशत तटीय व्यापार नौवहन भारतीय समवायों को मिल जाये। अशोधित तेल को विदेशों से शोधनालयों तक लाने के लिये बड़ बड़े तेलवाही पोत भी बनाये जाने चाहियें। आज नौवहन उद्योग का एक व्यक्ति २० लाख टन के लक्ष्य से घबरा रहा है, किन्तु उसे स्मरण रखना चाहिये कि इस उद्योग को प्रारम्भ करने वालों ने कितने साहस से इस उद्योग के सम्बन्ध में हो रही प्रतियोगिताओं में भाग लिया था।

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)। श्रीमान्, बारम्बार पोत निर्माण उद्योग की ओर निर्देश किया गया है और हिन्दुस्तान शिपयार्ड द्वारा जलयानों के बनाये जाने में हुये विलम्ब की बात कही गई है। इस विषय को स्पष्ट करने के लिये मैं सभा का कुछ समय लेना चाहता हूं।

माननीय सदस्यों ने दो बातें कही हैं (१) शिपयार्ड की जलयान देने में असफलता और (२) पोत निर्माण उद्योग के विकास की धीमी गति। इस प्रसंग में शिपयार्ड को प्रविधिक परामर्श देने के लिये जो फ्रांसीसी परामर्शदाता नियुक्त किये गये हैं उनके विषय में भी कुछ कहा गया है।

श्रीमान्, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि पोत निर्माण में देरी हुई है। फिर भी, मैं सभा को आदरपूर्वक बताना चाहता हूं कि यह बात, कि जलयानों को देने की तिथियां दो अथवा अधिक वर्षों तक के लिये आगे बढ़ा दी गई है, ग़लत है। जो तथ्य मेरे पास इस समय हैं, उनसे यह पता लगता है कि दिसम्बर, १९५४ में दिया जाने वाला जलयान जून, १९५५ में दिया गया। उस प्रकार सिंधिया स्टीम नैवीगेशन

[श्री सतीश चन्द्र]

समवाय को इस जलयान को देने में केवल ६ मास का विलम्ब हुआ है। एक दूसरा जलयान जो जनवरी, १९५५ में दिया जाना था नवम्बर, १९५५ में दिया जायेगा। मेरे पास इसी प्रकार सारी सूची है। कहीं भी जलयानों को देने की तिथियां एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई गई हैं। सिंधिया स्टीम नैवीगेशन समवाय अथवा ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन जिसके प्रबन्धक-संचालक सिंधिया हैं, द्वारा आर्डर किये गये सभी जलयान अगस्त, १९५८ तक दे दिये जायेंगे। इस सम्बन्ध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे जलयान यहां हिन्दुस्तान शिपयार्ड में बन रहे हैं वैसे ही एक जलयान के लिये १९५३ में सिंधिया ने इंगलैंड के एक पोत निर्माता से बातचीत की थी। उस शिपयार्ड ने पहला जलयान १९५८ के उत्तरार्ध में देने का वचन दिया था।

श्री मात्तन : जर्मन शिपयार्ड वालों ने क्या कहा था ?

श्री सतीश चंद्र : जर्मन शिपयार्ड वालों ने पहला जलयान आर्डर मिलने की तिथि से दो वर्ष पश्चात् देने को कहा था।

भारतीय नौवहन के महा-निदेशक ने इस सम्बन्ध में पूछताछ करने के पश्चात् मुझे यह सूचना दी है कि यह अवधि २५ से ३० मास तक की थी। सिंधिया ने जर्मनी को एक आर्डर दिया है। मैं अभी आपको देखकर सही सही तथ्य बताता हूं।

श्री वी० पी० नायर (चिरयिन्कील) : किस दस्तावेज से ?

श्री सतीश चन्द्र : यह कोई असाधारण प्रलेख नहीं है मेरे अपने ही नोट्स हैं। सिंधिया ने जर्मनी के एक शिपयार्ड को इस वर्ष मार्च में एक जलयान के लिये आर्डर दिया है और वह यह जलयान १९५७ के उत्तरार्ध में दिया जाने को है। यदि मेरे माननीय मित्र चाहते हैं तो स्वयंमेव सिंधिया से इस विषय में पूछताछ कर सकते हैं। यही सूचना मेरे पास है। मैं इससे अधिक और कोई प्रमाण नहीं बता सकता। मेरे मित्र इस बात को अभी यहीं श्री तुलपीदास से पूछ सकते हैं जो सिंधिया समवाय और शिपयार्ड के संचालक हैं।

जब तक जर्मनी अथवा इंगलैंड से पहला जलयान आयेगा हमारा शिपयार्ड (नौ प्रांगण) आठ अथवा नौ जलयान बना चुकेगा

फिर भी, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, आप इस विलम्ब की आलोचना कर सकते हैं।

डा० एस० एन० सिंह (सारन—पूर्व): नौ-निर्माण की अवधि दो वर्ष नहीं है। उनके पास क्योंकि बहुत से आर्डर हैं इसलिये दो वर्ष लग जाते हैं। उनकी नौ-निर्माण अवधि तो केवल तीन मास के लगभग है।

श्री सतीश चन्द्र : मैं तो भारत को जलयान मिलने की बात सोच रहा हूं। यहां बारम्बार यह कहा गया है कि भारतीय नौवहन समवाय बाहर से तीन मास में जलयान प्राप्त कर सकते हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : नहीं, नहीं।

श्री सतीश चन्द्र : यहां बराबर यह कहा गया है कि भारतीय जलयानों के स्वामियों ने भारतीय पोत निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिये जलयानों के लिये आर्डर दिये। परन्तु अब जलयान न मिलने के कारण वह संकट में पड़ गये हैं। यह ठीक है कि जिस देश में दर्जन भर बड़े बड़े शिपयार्ड हों

वहां दो तीन महीने में जहाज बनाये जा सकते हैं।

हमारे यहां केवल एक शिपयार्ड है। और उसने अभी अभी आधुनिक ढंग का एक जलयान बनाना प्रारम्भ किया है। हमारे कर्मचारियों को अभी आवश्यक अनुभव और ज्ञान अर्जन करना है। इसलिये मैं यह मानने को तैयार हूं कि एक जलयान को बनाने में जितना समय हमें लगता है वह अन्य देशों की अपेक्षा अधिक है। परन्तु तो भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो नये डिजल-चालित नये जलयान सिंधिया को इस वर्ष जनवरी में दिये गये हैं उन में 'जल ऊषा' जैसे जलयानों की अपेक्षा ५० प्रतिशत अधिक काम करना पड़ता है। हिन्दुस्तान शिपयार्ड में इसे बनाने में २२ महीने लगे थे जब कि सिंधिया को अपना पहला जलयान बनाने में २८ महीने लगे थे। यह सत्य है कि 'जल ऊषा' किस्म के प्रथम जलयान के बनाने में लगे २८ मास के समय को सिंधिया ने घटा कर अन्त में नौ मास कर दिया था। उक्त शिपयार्ड द्वारा बनाये गये नये जलयान अधिक जटिल हैं, उन के लिये अधिक कार्यकुशलता की आवश्यकता है और उन में अधिक इस्पात लगता है। इन की गति भी अधिक है और यह डिजल इंजनों से चलते हैं। इस प्रकार के प्रथम जलयान बनाने में २२ मास का समय लगा था, परन्तु आशा की जाती है कि भविष्य में इतना समय नहीं लगेगा। अब उनके सौंपने की जो तिथि निश्चित की गई है उसमें और पहली तिथि में कोई विशेष अन्तर नहीं है, इसलिये यह कहना कि यह कार्य २४ मास के लिये स्थगित कर दिया गया है, ठीक नहीं है।

मैं इस अवसर पर सिंधिया स्टीम नेवी-गेशन कम्पनी को देश में सर्वप्रथम एक शिप-यार्ड स्थापित करने के लिये बधाई देता हूँ। सरकार उसकी हर प्रकार से सहायता करने की चेष्टा करती रही है। पहले कुछ जलयान उक्त समवाय द्वारा स्वयं अपने लेखे पर बनाये गये थे और इसलिये उसे हानि उठानी पड़ी थी। इस हानि की पूर्ति करने के लिये सरकार को उक्त समवाय को आर्थिक सहायता देनी पड़ी थी। इसक पश्चात सरकार ने उक्त शिपयार्ड को जलयान बनाने के आर्डर दिये और बने जलयानों को अन्य नौवहन समवायों को बेच दिया।

माननीय प्रस्तावक ने मूल्य समतुल्यता के सम्बन्ध में कुछ कहा था। उन्होंने इस बात की मांग की है कि मूल्य इँगलैंड के समतुल्य मूल्यों के आधार पर निश्चित न किये जायें, अपितु वह जर्मनी के समतुल्य मूल्यों के आधार पर निश्चित किये जायें क्योंकि वह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सब से कम हैं। जर्मनी और इँगलैंड के मूल्यों में २० से २५ प्रतिशत तक का अन्तर है।

यह सूचना कुछ पुरानी हो गई है। जर्मनी और इँगलैंड के मूल्यों में १० प्रतिशत का अन्तर है। परन्तु अब अधिकार करने वाली शक्तियों के वहां से हट जाने और उस देश के एक स्वतन्त्र राष्ट्र बन जाने से यह अन्तर कम होता जा रहा है। उस के मूल्य भी अब धीरे धीरे इँगलैंड के समतुल्य होते जा रहे हैं। इसलिये इँगलैंड के मूल्य लिये जाने के प्रति की गई आलोचना मेरी समझ में नहीं आई है। सन् १९४८ में स्वयं सिंधिया ने सरकार से शिपयार्ड में निर्माण मूल्य तथा इँगलैंड के मूल्य के अन्तर की सीमा तक आर्थिक सहायता दिये जाने की प्रार्थना की थी। इँगलैंड के मूल्य बहुत स्थिर होते हैं, इँगलैंड वाले संसार के सब से प्रमुख जलयान निर्माता हैं। अन्य देशों के शिपयार्डों द्वारा लिये जाने वाले मूल्य अधिकांशतः बाहरी मांग के अनुसार घटते बढ़ते रहते हैं। युद्धोत्तर काल में जर्मनी निर्यात के लिये अधिक जल-

[श्री सतीश चन्द्र]

यानों का निर्माण नहीं कर रहा था। इसलिये उसके मूल्य कुछ कम थे, परन्तु अब जबकि निर्यात सम्भावनाओं में वृद्धि हो गई है उसके मूल्य इँगलैंड के मूल्यों के प्रायः समतुल्य ही हैं। मेरे विचार से इँगलैंड के समतुल्य मूल्यों को इस देश में बनाये गये जलयानों के मूल्य निर्धारित करने के लिये प्रमाणित माने जाने पर कोई विशेष आपत्ति नहीं की गई है। इस प्रश्न पर विचार किया गया है और वर्तमान व्यवस्था ठीक ही है।

इस देश का पोत निर्माण उद्योग अभी शैशव में ही है। हम उसका विकास करना चाहते हैं। सरकार एक दूसरा शिपयार्ड स्थापित करने की सम्भावना पर विचार कर रही है, परन्तु इसके लिये आवश्यक है कि हम पहले अपने वर्तमान शिपयार्ड की स्थिति को सुदृढ़ बनायें, और अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण दें, और जब वर्तमान शिपयार्ड ठीक तरह से काम करने लगे तब दूसरे शिपयार्ड का कार्य प्रारम्भ करें। श्री सारंगधर दास ने इच्छा प्रकट की है कि दूसरा शिपयार्ड अगली योजना के मध्य में स्थापित किया जाये। सरकार का भी यही विचार है जिससे कि तीसरी योजना के आरम्भ अथवा मध्य तक दूसरा शिपयार्ड बन जाये। सरकार इस स्थिति का दूसरी योजना के मध्य में पुनरीक्षण करेगी, तब तक वर्तमान शिपयार्ड अपनी कठिनाइयों को दूर कर लेगा।

उक्त शिपयार्ड के स्थान के प्रश्न पर अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है। कई सुझाव दिये गये हैं, किसी ने कोचीन का सुझाव दिया है, किसी ने तूतीकोरिन का और किसी ने बम्बई का। स्थान का प्रश्न प्रविधिक परामर्शकों के परामर्श के आधार पर निश्चित किया जायेगा। अनेकों बातों पर विचार करना होता है। हमने योजना आयोग को अगली योजना के मध्य तक एक दूसरे शिपयार्ड के निर्माण कार्य के प्रारम्भ किये जाने की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में सूचित कर दिया है और यह कहा है कि दूसरी योजना में उसके लिये उपबन्ध किया जाये। अन्तिम निर्णय बाद में किया जायेगा। वर्तमान शिपयार्ड के सम्बन्ध में, मैं यह बता सकता हूं कि एक नये प्रकार के जहाज के बनाने में लगने वाले समय के बारे में प्राविधिक परामर्शदाताओं के आशावादी प्राक्कलनों के कारण हमने नौवहन समवायों से कुछ आशापूर्ण वायदे किये थे। अब इस विषय पर पूर्णतः विचार कर लिया गया है। समवायों को संशोधित अनुसूचियां दी गई हैं। इस बीच में समवायों को कुछ सुविधायें भी दी गई हैं। निर्माण के प्रत्येक क्रम पर वे कुछ किश्तों का भुगतान करेंगे। उनसे अग्रेतर किश्तों के भुगतान के लिये इसलिये नहीं कहा गया क्योंकि जहाजों के निर्माण में देरी के कारण यह उचित नहीं समझा गया। यह निर्णय किया गया है कि जब तक वे जहाज़ों को वस्तुतः देते नहीं, उनसे और क़िश्तें नहीं मांगी जायेंगी। सिंधिया स्टीम नैवीगेशन कम्पनी से प्राप्त ४८ लाख रुपये की एक किश्त उन्हें लौटाई जा रही है। यह उनसे पहले प्राप्त हो चुकी थी तथा अब लौटाई जा रही है। जब समवाय वस्तुतः प्रत्येक जहाज दे देगा तब उससे भुगतान के लिये कहा जायेगा। नौवहन समवायों को इस कार्यवाही से कुछ सहायता मिली है।

मुझे आशा है कि भविष्य में भारत का पोत-निर्माण उद्योग उन्नति करेगा। सरकार उन सदस्यों से पूर्ण सहमत है जो पोत-निर्माण उद्योग के शीघ्र विकास के इच्छुक तथा चिन्तित हैं। मेरा निवेदन है कि यह काम धीरे धीरे उपलब्ध व्यक्तियों, धनराशि

तथा सामग्री के हमारे संसाधनों के अन्तर्गत किया जा सकता है ।

श्री रघुरामैया : प्रारम्भ में मैं अपने मित्र श्री रघुनाथ सिंह को बधाई देता हूं कि उन्होंने नौवहन के गम्भीर प्रश्न को हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है। मुझे खेद है कि मैं उनके भाषण को पूर्णतया नहीं समझा क्योंकि मैं हिन्दी को पूरी तरह नहीं समझ सकता । इसलिये सम्भव है कि मैं उनके द्वारा प्रस्तुत कुछ तथ्यों को दोहराऊं । पुर्तगाली भारतीय महासागर में सब से पहले आये तत्पश्चात् अंग्रेज़ और अधिकतर अंग्रेज़ों ने ही हमारे जहाज़ों को नष्ट भ्रष्ट किया तथा हमारे अपने समुद्र तट पर हमारे लिये ही ऐसे स्थान को रक्षित नहीं रखा गया जहां केवल भारतीय जहाज़ रुक सकें । हमारे मंत्रालय ने यह एक महत्वपूर्ण कार्य किया है कि सम्पूर्ण तटीय नौवहन को अपने जहाज़ों के लिये रक्षित कर दिया है । समुद्र पार नौवहन में बड़ी कठिनाइयां हैं तथा मैं उन्हीं की ओर निर्देश करना चाहता हूं जिससे द्वितीय पंच वर्षीय योजना में उनको दूर किया जा सके ।

मुख्य कठिनाई वित्तीय संसाधनों की है । द्वितीय पंच वर्षीय योजना में हम ७२ जहाज़ बनाना चाहते हैं जिनकी लगभग ८० करोड़ रुपये लागत होगी । उत्पादन उपमंत्री ने भी कुछ कठिनाइयां बताई हैं । इस ८० करोड़ रुपये में से ७० करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र द्वारा देय है । माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि आर्थिक सहायता देनी चाहिये। मैं उन व्यक्तियों में से एक हूं जिनका मत है कि समवायों को अब भी सहायता दी जा रही है । औद्योगिक वित्त निगम ६ अथवा ६।। प्रतिशत सूद की दर पर अग्रिम धन देता है । राज्य सरकार भी ४ अथवा ४।। प्रतिशत दर पर धन ले रही हैं परन्तु भारत सरकार भारतीय तट के लिये जहाज़ बनाने वाले समवायों को ४ अथवा ४।। प्रतिशत की दर से तथा समुद्रपार व्यापार के लिये जहाज़ बनाने वाले समवाय को २।। प्रतिशत दर पर ऋण दे रही है । यह भी एक प्रकार से वित्तीय सहायता है तथा नौवहन उद्योग को प्रोत्साहन है । मैं चाहता हूं कि और उधार दरें रखी जायें । मुझे आशा है माननीय मंत्री इस समस्या पर भविष्य की नीति बनाते समय अवश्य ध्यान रखेंगे ।

इसके अतिरिक्त हमारे पास 'टैंकर' भी नहीं हैं तथा मुझे प्रसन्नता है कि सरकार दो 'टैंकरों' का आर्डर शीघ्र देने वाली है ।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के सम्बन्ध में कहा गया है कि यदि हम उसके सदस्य होंगे तो जो सुविधायें दूसरे देशों में मिलेंगी हमें भी उन देशों को देनी पड़ेंगी । इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री की सराहना करूंगा कि उन्होंने ऐसी नीति निर्धारित की है कि सरकारी माल को अपने ही जहाज़ों द्वारा भेजा जाता है । तथा माननीय मंत्री ने अपने भाषण में गर्वपूर्ण शब्दों में कहा भी है कि यह उनका कर्तव्य है। इस प्रकार सरकार हमारे जहाज़ों के लिये अधिक माल की भी व्यवस्था कर रही है ।

कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये भी सरकार प्रयत्न कर रही है परन्तु उन्हें और अधिक कार्य करना है क्योंकि ज्यूं ज्यूं टनधारिता बढ़ेगी प्रशिक्षित कर्मचारियों की अधिक आवश्यकता होगी । मैं यह बताना चाहता हूं कि हमें धैर्य से काम लेना चाहिये । डफरिन जहाज़ में अब केवल प्रशिक्षण कार्य ही किया जा रहा है ।

अमरीका तथा इंगलैंड भारतीय बन्दरगाह के लिये भाड़े पर अधिभृत लगाना चाहते हैं । हमारी सरकार के प्रतिनिधान के परिणामस्वरूप इंगलैंड ने अधिभृत न

[श्री रघुरामैया]

लगाने का निश्चय किया है । मेरा विचार है कि सरकार अमरीका से भी एक समान व्यवहार करायेगी ।

हमें समानाधिकार मिलने चाहियें । समानाधिकार की प्राप्ति में अभी कुछ समय लगेगा, इसलिये हमें धैर्य से काम लेना चाहिये । हमें प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर पूर्णतया आकर्षित है तथा हम मंत्रालय को योजना आयोग से अधिक धन दिलाने के पक्ष में हैं । क्योंकि वर्तमान उपबन्ध से हम सन्तुष्ट नहीं हैं । मेरा विचार है कि १०० करोड़ रुपये का उपबन्ध होना चाहिये ।

नौवहन संस्थाओं को भी भारत सरकार द्वारा प्राप्त रुपये का पूर्णतया उपयोग करना चाहिये । मुझे ज्ञात हुआ है कि प्रथम पंच वर्षीय योजना में २३ करोड़ रुपये में से केवल २० करोड़ रुपये का ही व्यय किया गया है । गैर-सरकारी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र में भी सहकारिता होनी चाहिये जिससे सरकार टनधारिता को बढ़ा सकेगी ।

श्री मात्तन ने अमरीका के समुद्र आयोग की ओर निर्देश किया जो कि १९३६ में बना पर वह १९५० में समाप्त हो गया था । आयोग का कार्य दो प्रकार का था अर्थात्, प्रशासन सम्बन्धी और नीति सम्बन्धी १९५० में आयोग के स्थान पर दो संस्थायें अर्थात् फेडरल समुद्र बोर्ड तथा समुद्र प्रशासन, स्थापित की गई और उन्हें क्रमशः दोनों कार्य सौंप दिये गये । मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें आंखें बन्द करके अमरीका की नकल नहीं करनी चाहिये । मैं सरकार की इस सम्भावना को नहीं ठुकराता कि यदि वह ठीक समझे तो एक आयोग नियुक्त किया जाये । मैं तो यह कहता हूं कि हमें आयोग केवल इसलिये नियुक्त नहीं करना चाहिये कि अमरीका ने एक आयोग बनाया था ।

श्री मात्तन : मैं ने यह नहीं कहा था ।

श्री रघुरामैया : आपने नहीं कहा है । मैं ने भी ऐसा नहीं कहा है कि आपने कहा था । फिर, आप झगड़ते क्यों हैं ? मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं और स्वयं उसका उत्तर दे रहा हूं । इस देश में मैं ने देखा है कि जहां तक नीति सम्बन्धी मामले का सम्बन्ध है, उसका कार्य विभिन्न तदर्थ समितियां कर रही हैं । सम्भव है कि कुछ समय पश्चात् मंत्रालय यह सोचे कि स्थायी संस्था बनाना अधिक उपयुक्त होगा । हमें अपनी बुद्धि और आवश्यकताओं के आधार पर व्यवस्था करनी होगी जिसके द्वारा हमें अपने लक्ष्य प्राप्त करने हैं । और लक्ष्य के बारे में कोई सन्देह नहीं हो सकता । अब तक सरकार ने जो कार्य किया है उसकी सराहना करते हुये मैं सरकार से सानुरोध निवेदन करता हूं कि कुछ और कार्य किया जाना चाहिये । द्वितीय पंच वर्षीय योजना में हमें अपना लक्ष्य बढ़ाना चाहिये । वे केवल ७३ या ७२ पोतों से सन्तुष्ट न हों, वे १०० तक होने चाहियें और पूंजी ८० करोड़ से बढ़ा कर १०० करोड़ होनी चाहिये ।

वास्तव में, मेरा संशोधन मूल संकल्प से थोड़ा आगे और जाता है । हम जानते हैं कि समस्या क्या है । हम प्रवर्त-धारिता चाहते हैं । हम सीधे ही इसे प्राप्त क्यों न करें ? अतः श्री रघुनाथ सिंह के मूल संकल्प को मानते हुए मैं निवेदन करता हूं कि मेरा संकल्प केवल उस बात को क्रिया रूप देता है जो संकल्प का, अर्थात्, इस सिफारिश कि प्रवर्त-धारिता में वृद्धि हो, स्वभाविक परिणाम होगा । मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि मंत्रालय सभा को यह आश्वासन देगा कि वे इस सम्बन्ध में भरसक प्रयत्न करेंगे ।

श्री अलगेशन : सरकार को नौवहन के बारे में अपनी नीति को बहुत स्पष्ट शब्दों में बताने का जो यह अवसर दिया गया है, मैं इस का स्वागत करता हूं । संकल्प के प्रस्तावक को इस के लिये मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इस सभा का और देश का ध्यान नौवहन तथा सम्बद्ध समस्याओं की ओर आकर्षित किया है, जो हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है । यद्यपि मैं उनके हिन्दी में बोलने के कारण पूरी बात नहीं समझ सका हूं, फिर भी मैं इस बात से प्रभावित था कि उन्होंने भाषण में कविता का पर्याप्त प्रयोग किया था । परन्तु यह अच्छा है कि उन्होंने, जो इस देश में नौवहन के विकास के बड़े उत्साही समर्थक थे, यह अवसर प्राप्त किया और सरकार को भी अवसर दिया कि वह अपनी नीति पुनः स्पष्ट शब्दों में रखे ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार यदि सभा के समस्त क्षेत्रों से अधिक नहीं तो उतनी ही इस बात में अभिरुचि रखती है कि हमारे पास हमारे कार्य के लिये काफी वाणिज्य पोत हों । उद्देश्य के बारे में नाममात्र को भी झगड़ा नहीं है, परन्तु फिर भी मैं सभा के समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहता हूं जिन से यह स्पष्ट हो जायेगा कि हम इस मामले में कैसे आगे बढ़ रहे हैं और हमें किन किन बाधाओं का सामना करना है ।

फिर, सरकार की ऋण नीति पर बहुत चर्चा हुई थी और बहुत से सुझाव दिये गये थे । मैं यह कहना चाहता हूं कि हालांकि यह ऋण नीति बहुत पहिले घोषित कर दी गई थी, परन्तु नौवहन उपक्रम इस नीति से लाभ उठाने के लिये आगे न आये । नौवहन उद्योग में एक सुविख्यात व्यक्ति, श्री मास्टर, ने हाल में एक लेख में इस बात का उल्लेख किया था । उन्होंने कहा था कि अधिक प्रवर्तधारिता प्राप्त करने में देर का एक कारण नौवहन उपक्रमों की उन ऋणों से जो सरकार ने देने स्वीकार किये थे, लाभ उठाने के लिये आगे बढ़ने में हिचकिचाहट थी । वास्तव में, नवम्बर, १९५३ में, अर्थात् दो वर्ष से कुछ पहिले माननीय परिवहन मंत्री को तो पोतस्वामी परामर्शदात्री समिति में एकत्र हुये पोत-स्वामियों से जोरदार प्रार्थना करनी पड़ी थी कि वे अपनी योजनाओं सहित आगे आयें और उन ऋणों से लाभ उठायें जो सरकार देने को तैयार थी । अब एक प्रगतिशील पोत-स्वामी श्री रामास्वामी मुदालियर ने स्वयं यह स्वीकार कर लिया है । वस्तुतः अपनी व्यक्तिगत विशेषतापूर्ण ढंग से उन्होंने कहा था कि माननीय मंत्री की वह प्रार्थना भारतीय नौवहन के विकास में एक निर्णायक बात सिद्ध हुई । मैं उन्हीं शब्दों का उच्चारण कर रहा हूं । और फिर पोत मालिकों ने उत्सुकता दिखाई, और तब ये ऋण चालू हुये ।

हमारे सामने ऋण को उदार बनाने का प्रश्न था । सभा में बहुत से पक्षों ने ऋणों को और भी उदार बनाने के प्रस्ताव रखे हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि ऋण पहिले से ही उदार हैं । शर्तें बहुत उदार हैं । वास्तव में मैंने देखा है कि नौवहन नीति समिति के प्रतिवेदन में, जो कुछ माननीय सदस्यों के लिये एक बाईबिल बन गई है, स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि तटीय नौवहन के विकास के सम्बन्ध में तटीय समवायों को कोई ऋण देने की आवश्यकता नहीं है । उन्होंने कहा है कि उन्हें तटीय व्यापार के रक्षण से सन्तुष्ट हो जाना चाहिये और सरकार के लिये आवश्यक है कि वह केवल समुद्र पार नौवहन को ही सहायता दे और तटीय नौवहन को नहीं । परन्तु, इतने पर भी हम तटीय नौवहन को ऋण द्वारा सहायता

[श्री अलगेशन]

दे रहे हैं, और ब्याज की दर अगर वह चार वर्षों में लौटा दिये जायें तो ४ प्रतिशत है। और यदि वे चार वर्ष से अधिक समय में वापस किय जायें तो ब्याज दर ४½ प्रतिशत ह । ये शर्तें थीं। और समुद्रपार ऋणों के लिय यह २½ प्रतिशत है। वास्तव में, मैं सभा को यह भेद की बात बता सकता हूं कि बहुत से पोत-मालिकों को यह आशा न थी कि उन्हें ब्याज भी इतनी उदार दर पर मिलेगी । हम यह देखना चाहते हैं कि हम अन्य लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं । उदाहरण दिये गये थे । मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । यह देख कर मुझे आश्चर्य हुआ कि श्री मुकर्जी जो दुर्भाग्यवश यहां नहीं हैं— मेरे प्रति वह सदैव ही दयाहीन रहे हैं ; वह भाषण देते हैं और चले जाते हैं और वह यहां नहीं हैं जो कि मैं उनसे और निश्चय ही सभा से बात कर सकूं, —गैर-सरकारी उपक्रमों की बात अपना रहे हैं शायद प्रायश्चित के रूप में । जब इस सभा में समवाय निधेयक विचाराधीन था, वह गैर-सरकारी क्षेत्र का घोर विरोध कर रहे थे, और अब यह सुझाव देते हैं कि बिना ब्याज के ऋणों पर विचार किया जाये और आर्थिक सहायता भी दी जा सकती है । नौवहन उपक्रम, निश्चय ही, एक बड़े ही अनौखे साधन से सहायता पाने पर बहुत परेशान होंगे । कदाचित वे यह संदेह कर सकते हैं कि यह अन्त में राष्ट्रीयकरण करने की दृष्टि से किया जा रहा है ।

उदार बनाने के इस प्रश्न का उल्लेख किया गया है । स्वयं पोत-स्वामियों को यह आशा न थी कि सरकार इतनी उदार होगी । हम औरों से ब्याज की क्या दर ले रहे हैं ? बड़े पतनों को, जो स्वतःशासित संस्थायें हैं और जो लाभ-न-करण संघ है हम ४½ प्रतिशत ब्याज पर ऋण देते हैं । यह ठीक है कि प्रथम सात वर्षों में ब्याज नहीं लिया जाता परन्तु बाद में उन्हें ४½ प्रतिशत देना पड़ता है । फिर, सभा जानती है कि रेलवे ४ प्रतिशत लाभांश दे रही है । और भी अधिक उदारीकरण का मामला बनाया जा सकता है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु यह स्वीकार किया जाना चाहिये कि स्वयं नौवहन उपक्रमों को इसके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है ।

इसके पश्चात्, ऋणों से प्रतिशत के बारे में, आरम्भ में यह विचार था कि तटीय ऋणों को केवल ६६⅔ प्रतिशत और समुद्रपार ऋणों को ७५ प्रतिशत दिया जाये, परन्तु इस प्रतिशत में वृद्धि हो गई है । तटीय ऋणों के कुछ मामलों में यह ८५ प्रतिशत तक पहुंच गई है, और समुद्रपार के ऋणों के बारे में ९५ प्रतिशत तक पहुंच गई है । हम १०० प्रतिशत तक भी जाने को और प्रत्येक मामले पर उस की विशेषताओं के अनुसार विचार करने के लिये तैयार हैं । अतः ऋण चुकाने का काल १२ वर्ष या पोत की विशेष कार्यावधि का दो तिहाई काल---- इसका एक सिद्धान्त है—जो भी कम हो रखा गया था, परन्तु वहां भी एक मामले में हमने १५ वर्ष रखे हैं । और इसलिये, इन सारी समस्याओं पर विचार किया जा सकता है । अध्ययन मंडल ने भी, जिसने इस प्रश्न की बड़ी सावधानीपूर्ण जांच की थी, साधारणतया शर्तों को उदार बनाने की सिफारिश की थी । उन्होंने कोई विशेष सिफारिशें नहीं की हैं, परन्तु उन्होंने एक साधारण सिफारिश की है कि शर्तें और भी उदार बनाई जा सकती हैं । मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि हम इस पर नौवहन उपक्रमों से बैठ कर बात करने को और देखने को तैयार हैं कि

क्या इस मामले में कुछ और उदारता की जा सकती है या नहीं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : इन नौवहन उपक्रमों ने आप से ऋण क्यों नहीं लिया जब कि आप इतनी अच्छी शर्तों पर दे रहे हैं ?

श्री अलगेशन : उनकी ओर से एक प्रारम्भिक हिचकिचाहट थी, और हम प्राविधिक रूप में लक्ष्य पंच वर्षीय योजना काल समाप्त होने से पहिले प्राप्त न कर सके उसका एक कारण यह भी था । इससे प्रकट होता है कि व्यापार ही ऐसा है और उनके साथ इसके कारण भी है । यह बताना मेरा काम नहीं है कि इतनी आसान शर्तों पर धन के प्राप्त होने पर भी वे क्यों आगे आकर धन का प्रयोग नहीं करते । मगर फिर भी वास्तविकता यह है कि इसमें प्रारम्भिक हिचकिचाहट थी । परन्तु नवम्बर १९५३ की बैठक के पश्चात् वे आगे आये और अब वे प्रयोग कर रहे हैं, और मैं सभा को सूचित कर सकता हूं कि ऋण देने के लिये जो २३ करोड़ रुपये नियत किये गये थे उनसे अधिक धन के ऋण दिये जा चुके हैं । सम्भवतः हम २६ या २७ करोड़ तक पहुंच सकते हैं । हालांकि प्रवर्त-धारिता योजना काल में न दी जा सके, वास्तविक ऋण व्यवस्था से अधिक ऋण दिये जा चुके हैं । यहां तक कि पिछले ही दिनों एक समुद्रपार समवाय हमारे पास ऋण के लिय आया था ।

सब के दिमागों में २० लाख टन-धारिता का विचार घर कर गया है और यह बार बार व्यक्त किया गया है । मेरे माननीय मित्र श्री रघुरामैया ने तटीय रक्षण के संघर्ष का उल्लेख किया था । पुराने अनुभवी लोग, जिन्होंने चौथाई शताब्दी से भी अधिक काल तक तटीय रक्षण का संघष किया यह महसूस करेंगे कि अब तटीय व्यापार के पूर्णतया भारतीय नौवहन के लिय रक्षित हो जाने से उनके लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है । योजना के आरम्भ में, या जब उस समिति का प्रतिवेदन लिखा जा रहा था, ५० प्रतिशत तटीय व्यापार भी भारतीय पोतों द्वारा नहीं होता था । परन्तु अब उन्हें शत प्रतिशत रक्षण प्राप्त है, और कदाचित इसने कुछ को थोड़ा सा शिथिल भी बना दिया है । अब एक दो समवायों ने प्रार्थना की है कि उन्हें अपने तटीय पोतों को अधिकृत करने की अनुमति दी जाये ; अर्थात्, वे तटीय व्यापार में अन्य देशों के पोतों को अधिकृत करना चाहते हैं, और स्वयं अपने पोतों को विदेशी उपक्रमों को देना चाहते हैं । निश्चय ही यह अच्छी बात नहीं है, और इस लिये हम उन्हें अनुमति न दे सके । इसके अतिरिक्त, यह एक प्रकार का किराये पर प्राप्त वस्तु को आगे किराये पर उठाना था । क्योंकि रक्षण किया गया है और वहां एकाधिकार है ; इसलिये ये लोग एकाधिकार को आगे किराये पर उठाना चाहते हैं । इसलिये, हम इससे सहमत न हो सके ।

अतः माननीय सदस्य यह महसूस करेंगे कि समिति की एक सिफारिश, अर्थात्, भारतीय जलयानों के लिये तटीय नौवहन का शत प्रतिशत रक्षण कर दिया गया है जिससे समस्त सम्बद्ध लोगों को पूर्ण सन्तोष है ।

फिर उन्होंने सिफारिश की है कि ७५ प्रतिशत आसन्न व्यापार, अर्थात्, बर्मा और श्री लंका के साथ व्यापार, हमारे अपने पोतों द्वारा होना चाहिये । इस विषय में मेरी सूचना है कि इस समय इस व्यापार का ४० प्रतिशत भाग भारतीय पोतों द्वारा होता है । मेरा यह भी ख्याल है कि हमारे ये पड़ौसी और मित्र देश, अर्थात् बर्मा और श्री लंका, स्वयं अपने राष्ट्रीय वाणिज्यिक

[श्री अलगेशन]

पोत-वर्ग को बढ़ाने की आकांक्षायें रखते हैं। निश्चय हमें उनके उद्यम का स्वागत करना चाहिये, और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि उनके राष्ट्रीय वाणिज्यिक-वर्ग भी बढ़ते हैं ताकि वे हमारे लिये दल का एक साधन बन सकें। अतः, अब विचार यह है कि हम इस व्यापार में से ५० प्रतिशत व्यापार से सन्तुष्ट होंगे।

हम समुद्रपार का जो व्यापार कर रहे हैं केवल उसकी मात्रा के बारे में अड़चन पेश आती है। अनेकों सदस्यों ने यह कहा था कि हमारे पास संसार की टन-धारिता का केवल ०.५ प्रतिशत है, और हम अपने देश के समुद्रपार व्यापार का केवल ५ प्रतिशत लदान करते हैं। यह सच है, और यह एक तथ्य है। परन्तु यह याद रखना होगा कि हमने कहां से आरम्भ किया था। फिर यह भी स्मरण रखना होगा कि वास्तविक बाधा क्या है।

मेरे माननीय मित्र श्री मात्तन कहते हैं कि वह जर्मनी गये थे और वहां उन्होंने जर्मन यार्डों में काम होते देखा था। अब वह यहां आकर हम से कहते हैं, आह, जर्मनी को देखो, इटली को देखो, जापान को देखो, ये देश युद्धकाल में बरबाद हो गये थे उनका कुछ भी शेष न था, परन्तु अब वे २० लाख टन, ३० लाख टन, ४० लाख टन आदि तक आ गये हैं। हम यह क्यों नहीं कर सकते। जब उन्होंने यह प्रश्न किया, वह वास्तव में नाटकीय था। परन्तु मैं चाहता हूं कि वह प्रस्तावना के क्रियात्मक रूप पर विचार करें। कहां जर्मनी, कहां इटली, कहां जापान, और कहां मैं? ऊंट और बकरी की क्या तुलना? मैं अभी आरम्भ कर रहा हूं, मैं अभी बालक हूं, और मैं बढ़ना चाहता हूं। निश्चय ही आपको चाहिये कि आप मुझे समय दें और प्रगति को निरुत्साहित न करें। आपको चाहिये कि आप मुझे बढ़ायें और मेरी यथा-सम्भव सहायता करें। मैं बहुत से मामलों में अग्रभाग में स्थान ग्रहण नहीं कर सकता। मुझे अन्य देशों के स्तर तक आने के लिये धीरे धीरे व निरन्तर प्रगति करनी है।

समुद्रपार व्यापार के लदान के बारे में मैं ने कुछ गणना की है। यदि हम अपने ५० प्रतिशत समुद्रपार व्यापार का लदान करते हैं तो इसके लिये हमारे पास १५ लाख टन के १८० पोत होने चाहियें जिनका मूल्य लगभग २२५ करोड़ रुपये होगा। यदि यह संसद् या योजना आयोग, या जो भी अधिकरण हो, यह धनराशि दे सके, तो कदाचित हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। परन्तु फिर भी सभा को स्मरण रखना चाहिये कि माननीय सदस्य इस बात की शिकायत करते रहे हैं कि हम भारतीय जनों को सम्मान्यपूर्ण संख्या में रोजगार नहीं दे सके हैं। अतः ये सारी बातें हैं। फिर, हमारी जो भी टन-धारिता है उसके लिये भी हम लदान प्राप्त करने में असफल रहे हैं। मेरे माननीय मित्र श्री बी० के० दास ने यही कहा था। अतः, जब कि हमें कर्मचारी चाहियें और लादने के लिये माल चाहिये तो हम साधारण रूप से अधिक टन-धारिता प्राप्त नहीं कर सकते। और वह भी, हमें किस से लेनी है? निश्चय ही यह हमें अपने यार्डों से प्राप्त नहीं करनी है; यहां तक कि दूसरा यार्ड भी, जो कदाचित द्वितीय योजना काल के बीच में चालू होगा, हमारे लिये १८० पोत न बना सकेगा। इसलिये, हमें विदेशी यार्डों, कदाचित जर्मन यार्डों से पोत प्राप्त करने होंगे।

अभी मैं ने यह सुना था कि पहिले जर्मनी केवल एक वर्ष में पोत बना सका था। परन्तु अब उन्हें दो वर्ष लगते हैं।

इसका कारण यह है कि उन्हें उत्तरोत्तर अधिक क्रयादेश मिल रहे हैं, और स्वभावतः उन्हें अधिक समय लगता है। कदाचित यदि वे अन्य देशों के लिये निर्माण कार्य बन्द कर दें और वे केवल उन्हीं पोतों को बनायें जिनके लिये हम क्रयादेश दें, तो कदाचित वे तीन मास से भी कम समय में पोतों का सम्भरण कर सकें।

श्री मात्तन : कुछ अन्य देश हमें पोत दे सकते हैं।

श्री अलगेशन : जहां तक कि १०० करोड़ रुपये का लक्ष्य भी, जिसका मेरे माननीय मित्र श्री रघुनाथ सिंह बड़े ज़ोर शोर से समर्थन कर रहे हैं, कोई लीला न खेल सके और हमें अपने प्रतिशत समुद्रपार व्यापार को लदान करने योग्य न बना सके।

अतः, ये क्रियात्मक रुकावटें हैं जो परेशान करती हैं। क्रियात्मक व्यक्ति के रूप में, हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते चाहे हम भारतीय टन-धारिता में वृद्धि करने के लिये कितने ही अधिक इच्छुक हों।

फिर, अधिक नौवहन निगमों के स्थापन के बारे में कुछ कहा गया था। हम अधिक नौवहन निगम स्थापित करना चाहते हैं। वास्तव में हमारा विचार 'ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन' के नमूने पर, अर्थात, एक प्रकार के सरकारी सहित ग़ैर-सरकारी उद्यम, निगम बनाने का था। हमने समुद्रपार व्यापार में लगे हुये कुछ समवायों को कहा परन्तु विद्यमान परिस्थितियों में वे प्रस्ताव के बारे में उत्सुक नहीं होते। प्रबन्ध अभिकरण व्यवस्था का भविष्य डावांडोल है। वे नहीं जानते कि इसका क्या होगा। मैं स्वयं नहीं जानता कि उस व्यवस्था का क्या होगा ?

इन परिस्थितियों में ये समवाय और निगमों के लिये हमारे साथ धनोपार्जन करने के लिये उत्सुक नहीं है। परन्तु, फिर, स्थिति क्या है? मैं माननीय प्रस्तावक को पुनः स्मरण कराना चाहता हूं और उस प्रतिवेदन की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसके अनुसार वह इतनी शपथ लेते हैं। उस प्रतिवेदन में कहा गया है कि भारतीय समवायों को ३० लाख यात्री ले जाने की योजना बनानी चाहिये। परन्तु तथ्य यह है कि एक समवाय को जो भारत और इंगलिस्तान के बीच यात्री सेवा चला रही थी, उसको सेवा बन्द करनी पड़ी क्योंकि इससे उसे कोई लाभ न होता था। वहां तक भारत-बर्मा सेवा भी जो वह चला रही थी, एक दम बन्द कर दी गई और हमें समवाय को एक पोत चलाने के लिये बाध्य करना पड़ा। एक कमज़ोर पोत समुद्रयात्रा पर लगाया गया है और मुझे बताया गया है कि पोत में जाने में यात्रियों को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना होता है।

प्रस्तावक ने भारत-बर्मा व्यवस्था, अंडमान की भी व्यवस्था और हज व्यवस्था का उल्लेख किया था। हो सकता है कि इन से लाभ न होता हो। हज व्यवस्था एक ऋतु-कालीन व्यवस्था है। यदि कोई इन अलाभकारी मार्गों को लेने को तैयार नहीं है, तो कदाचित सरकार को लेने पड़ेंगे और यह ध्यान देना होगा कि हमें पूर्णतया हानि नहीं होनी है। हम अनियमित व्यापार या नियमित व्यापार का जोखिम उठा सकते हैं या नहीं, इन सब बातों पर विचार करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प के प्रस्तावक को कुछ समय देना होगा।

श्री अलगेशन : आपको स्मरण होगा कि श्री मात्तन को २५ मिनट दिये गये थे। मेरा विचार था कि यह पढ़ा हुआ माना जा सकता था परन्तु आपने उन्हें अनु-

[श्री अलगेशन]

मति दे दी। यदि आप चाहते हैं कि मैं रुक जाऊं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे ठीक ४-१० पर कहा गया था। मैं ने अभी केवल २० मिनट लिये हैं और अभी मैं आधी बातो का भी उत्तर नहीं दे सका हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : तो हम एक बात कर सकते ह। उत्तर देने की आवश्यकता नहीं हैं। माननीय मंत्री सब पर भाषण देंगे।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : प्रस्तावक उत्तर में बोलना नहीं चाहते।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें यही सुझाव दे रहा हूं। मंत्री महोदय सब का उत्तर दे रहे हैं।

श्री अलगेशन : टैंकरों का प्रश्न उठाया गया था। यह एक महत्वपूर्ण बात है। हमारे नौवहन में यह एक भारी कमी है कि हमारे पास कोई टैंकर नहीं है। तेल शोधक कारखानों के साथ करार करने पर सरकार की आलोचना की गई थी। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि यदि हम टैंकर बना सकें और उन्हें चला सकें, तो करार इसमें कोई बाधा न होगा। हम तेल ले जा सकेंगे। हमने पहिले ही दो टैंकर प्राप्त करने का—मैं इसका शोधन करता हूं और कहता हूं तीन टैंकरों का—अर्जन करने का फैसला कर लिया है। अब हम कुछ बातों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बीच में, कुछ भारतीय समवायों ने इच्छा प्रकट की थी कि वे स्वयं तेल शोधक कारखानों के साथ सहयोग करेंगे और उन्होंने कहा था कि वे परिस्थिति में हाथ बटायेंगे और टैंक चलायेंगे। परन्तु मैं नहीं जानता कि वे वार्ता वास्तव में हो रही है या नहीं। मैं आशा करता हूं कि वह इस बड़े महत्वपूर्ण मामले पर शीघ्र ही निश्चय कर लेंगे और सरकार आशा करती है कि वे चाहे निश्चय कर सकें या न कर सकें, वह ये तीन टैंकर लेगी। कदाचित वह समय दूर नहीं है जब स्वयं हमारे टैंकर हमारी ही ध्वजा को फहराते हुये भारत के तटों के साथ साथ चलेंगे और विभिन्न संभरण केन्द्रों को तेल देंगे।

मेरे माननीय मित्र श्री बी० के० दास ने नौभार का प्रश्न उठाया था। मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि एक माननीय सदस्य ने आपवाद किया था कि नौवहन गैर-सरकारी क्षेत्र में है। बात यही है। यदि सारा धन सरकार को ही जुटाना है, तो मैं सभा को बता सकता हूं कि हमने एक समवाय को उसकी प्रार्थित पूंजी का १०० प्रतिशत, दूसरे समवाय को उसकी प्रार्थित पूंजी का लगभग २५० प्रतिशत और तीसरे समवाय को उसकी प्रार्थित पूंजी का ४०० प्रतिशत ऋण दिया है। मैं नहीं जानता कि कोई अन्य संस्था ऋणों के मामले में इससे अधिक उदार रही है। ईश्वर न करे यदि कोई बुरी घटना हो जाती है, यदि कुछ हानि होती है और हम ऋणों को वापस नहीं ले पाते हैं, तो यही सभा, इस सभा के सारे माननीय सदस्य मेरी तुरन्त आलोचन करना आरम्भ कर देंगे।

श्री **मात्तन** : मेरा ख्याल है कि ऋण समवाय की पूंजी पर नहीं अपितु पोतों के सम्बन्ध में दिये जाते हैं।

श्री अलगेशन : विचारणीय बात यह है कि सरकार को नौवहन की जांच करने के लिये, गैर-सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा कहीं अधिक धन लगाना पड़ेगा।

यदि सरकार को पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ती है, याद सरकार को नौभार

प्राप्त करना पड़ता है, तो ग़ैर-सरकारी क्षेत्र इस तस्वीर में कहां आता है ? इसके होते हुये भी, यह देखने के लिये हम समस्त आवश्यक कार्यवाही करते रहे हैं कि सरकारी नौभार भारतीय पोतों को प्राप्त होता है । लन्दन में आई० एस० डी० और वाशिंगटन में आई० एस० एम० को अनुदेश दे दिये जाते हैं कि वे सरकारी नौभार को हमारे पोतों से भेजें । नौवहन समवायों के प्रवक्ताओं ने स्वीकार किया है कि नौभार की कोई कठिनाई नहीं है ।

अभी हाल में, नौवहन हितों के एक प्रवक्ता ने कहा था कि उनके पोत पूर्णतः लदे हुये हैं । हाल में ही, सरकार यह कर सकी है कि कुल चाय निर्यात का २५ प्रतिशत भारतीयों पोतों के लिये रक्षित रहता है ।

टी० सी० ए० नौभार के बारे में अमरीका सरकार ने अभी सम्बन्धित किया है कि ५० प्रतिशत नौभार उनके पोतों में जायेगा और शेष नौभार प्राप्त करने वाले देश के अतिरिक्त अन्य देशों के पोतों से जायेगा । और यदि वह देश जिसकों नौभार जाता है या जाना है, नौभार ले जाने के लिये पोत देता है, तो उन्हें भाड़े का भुगतान करना चाहिये । हमने उस नौभार के लिये भी रुपयों में भाड़ा देने का निश्चय कर लिया है ताकि हमारे नौवहन को लाभ हो सके ।

मैं एक बात पूछना चाहता हूं । ग़ैर-सरकारी क्षेत्र क्या कर रहा है ? क्या हमारे निर्यातकर्ताओं और आयातकर्ताओं का यह स्वदेशाभिमानी कर्तव्य नहीं है कि वे भारतीय पोतों को उत्साहित करें ? मैं भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल के फेडरेशन के संकल्पों को पढ़ रहा था । हाल में ही इसका वार्षिक सत्र हुआ था और मैं उसमें पारित संकल्पों को पढ़ रहा था । उनमें एक संकल्प समवाय विधि पर है, सारी कठिनाइयों का उल्लेख है और भारतीय नौवहन के बारे में भी उसमें सरकार के लिये एक लम्बी सूची है । मुझे आश्चर्य हुआ कि भारतीय नौवहन को उत्साहित करने के लिये भारतीय निर्यातकर्ताओं और आयातकर्ताओं से कोई अपील नहीं की गई थी । और न ही नौवहन समवाय ने, जो इस बहुत महत्वपूर्ण संस्था के अंग हैं, ऐसा संकल्प स्वीकार कराने के लिये कोई कार्यवाही की प्रतीत होती है । वह सरकार को यह करने वह करने के लिये उकसाते रहते हैं । मैं नहीं जानता कि उन्होंने ऐसा संकल्प स्वीकृत कराने के लिये क्या पग उठाये हैं जिसमें भारतीय पोतिकों से भारतीय नौवहन को उत्साहित करने की प्रार्थना की गई है । इस देश में लोग आशा करते हैं कि सरकार ही सब कुछ करे, सरकार ही देशभक्त हो । कुछ ऐसे भी लोग हैं जो, यदि देशभक्त होने से मना करने में लाभ हो तो, देशभक्त होने से भी मना कर देंगे ।

श्री सोमानी रेल के भाड़े में और पोतों के भाड़े में समन्वय के सम्बन्ध में सुझाव दे रहे थे । उन्हें यह विदित होना चाहिये कि इस काम के लिये, अर्थात्, रेल और समुद्र परिवहन का समन्वय, पहिले से ही एक समिति बैठ रही है । वे समन्वय और रेलों द्वारा भार ले जाने तथा तटीय नौवहन के वैज्ञानिकन के प्रश्न की जांच कर रहे हैं । हम उनका प्रतिवेदन प्राप्त करने और फिर उस पर आवश्यक कार्यवाही करने की आशा करते हैं ।

मैं बहुत सी बातों को छोड़ूंगा, परन्तु मैं एक बात का, अर्थात् समुद्र आयोग के विचार का जो संकल्प के प्रस्तावक ने रखा है, उल्लेख करना चाहता हूं । मेरा ख्याल है कि इस मामले में काफी भ्रम है । उनके संकल्प में उल्लेख है कि भारतीय नौवहन का विकास करने के उपाय खोजने के लिये एक आयोग होना चाहिये और जब उन्होंने

[श्री अलगेशन]

अपना भाषण दिया था उस समय उन्होंने कहा था कि यह आयोग अमरीका के नमूने पर होना चाहिये—वह अमरीका के प्रति बहुत आकर्षित प्रतीत होते हैं। फिर, विचार का आगे स्पष्टीकरण करते गये उन्होंने कहा था कि यह पूर्णतया सरकारी हो—सरकार के सारे सचिव एक कक्ष में बैठ कर निश्चय कर लेंगे। उन्होंने यही कहा था। स्वभावतः यही भ्रम मेरे माननीय मित्र श्री मुकर्जी को हो गया है और उन्होंने इसे नौवहन सम्बन्धी समस्त प्रश्नों की जांच करने वाली जांच समिति कहा। मेरे माननीय मित्र श्री रघुरामैया ने सारी स्थिति का स्पष्टीकरण करके मेरा काम सरल बना दिया है। मेरे मित्र, प्रस्तावक, कुछ बीते समय में रहे। वह १९३६ तक आये परन्तु १९५० तक न आये।

मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि हम अन्य देशों की नकल करने से आकर्षित नहीं है, परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि इंगलिस्तान जिसकी ओर हम सब देखते हैं हालांकि हम उसकी नकल नहीं करते, युद्धारम्भ तक नौवहन में गौरवपूर्ण स्थान रखता था उसकी टन-धारिता संसार की टन-धारिता, की आधी से अधिक थी। वहां हमें समुद्र आयोग या बोर्ड या ऐसी कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। वहां हमारे यहां की भांति एक परिवहन मंत्रालय है, जो नौवहन की व्यवस्था करता है और कोई नहीं कह सकता है कि नौवहन में इंगलिस्तान का रिकार्ड अच्छा नहीं है।

मैं श्री रघुरामैया के संशोधन को स्वीकार करने को तैयार हूं, परन्तु ऐसा करने में यह बात पूर्णतया स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि संशोधन में प्रयुक्त शब्द "टन-धारिता" और हमारे मस्तिष्क के शब्द "नौवहन" में कोई अन्तर नहीं है। इस भ्रम को दूर हो जाने पर, मैं नहीं समझता कि सभा के किसी भी अंग से कोई आपत्ति होनी चाहिये और मैं आशा करता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं, वे अपने प्रस्तावों को सहर्ष वापस ले लेंगे और सरकार के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

श्री मात्तन : १९४७ में नीति आयोग की सिफ़ारिश के अनुसार सरकार एक बोर्ड के लिये उपार्चित थी। संकल्प में केवल यह कहा गया है कि सरकार इस सिफ़ारिश को कार्यान्वित करे। इसके बारे में माननीय मंत्री ने एक भी शब्द नहीं कहा है।

श्री अलगेशन : मेरा उत्तर बहुत साधारण है। हमने नौवहन का एक महानिदेशक कार्यालय खोला है। कदाचित यह निदेशक कार्यालय अधिक कुशलतापूर्ण कार्य कर रहा है। यदि सारा बोर्ड बैठता है, तो यह तीन मास में केवल एक बार बैठक कर सकता है। आजकल, सारी समस्याओं पर एक प्रकार से निरन्तर ध्यान दिया जा रहा है, वह संस्था सारे ऋण प्रस्तावों पर विचार कर रही है। प्रायः हम बहुत अधिक प्रशासकीय अनुभव के अधिकारी को नौवहन का महानिदेशक बनाते हैं, और उन्हें प्राविधिक अधिकारियों से सहायता मिलती है—अर्थात्, भारत सरकार के मुख्य भूपरिमापक और भारत सरकार के मुख्य नावीय मन्त्रणादाता से प्राविधिक और प्रशासकीय दोनों प्रकार की बातों का ध्यान रखा जाता है और इन सब बातों पर विचार करने के लिये मंत्रालय है। एक बड़ी कठिन समस्या—अधिभार समस्या—जो कुछ मास पूर्व सामने आई थी, बड़ी कुशलता से सुलझाई गई। सम्बद्ध मंत्री महोदय और अधिकारियों ने बड़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। इसकी कोई शेखी न थी—शेखी केवल मेरे ख्याल

म झूठे लोगों को प्रभावित करती है । हम खतरा हटान में समर्थ रहे, अन्यथा यदि अधिभार लगाया जाता तो इससे राष्ट्रीय हितों को बड़ी हानि होती । मैं नहीं समझता कि कोई और व्यवस्था यह काम कर पाती । ऐसी संस्थाओं से मेरा माननीय मित्र का कुछ लगाव है क्योंकि और स्थानों में कुछ ऐसा ही किया जा रहा है ।

श्री जोकीम अलवा : मैं दो प्रश्न करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देखता हूं कि इस मामले में अनकों माननीय सदस्य रूचि ले रहे हैं । परन्तु केवल १५ मिनट शेष है और बहुत से संशोधन हैं और कुछ समय अन्य संकल्पों को प्रस्तुत करने के लिये भी देना है । अतः मुझे खद है कि मैं और प्रश्नों की अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री रघुनाथ सिंह : मुझे उत्तर देने का अधिकार प्राप्त है ।

मैं माननीय सर्व श्री अलगेशन जी और सतीश जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होने बड़े सौजन्य से इस हाउस को इस बात का आश्वासन दिया है कि जहाजरानी की उन्नति की जाएगी । साथ ही साथ मैं इस सभा के सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़ी शान्ति के साथ इस विषय का अध्ययन किया और हमारी बातों को सुना ।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सेंट्रल रेवेन्यूज में से कम से कम एक रुपये में एक आना शिपिंग के फण्ड में जाना चाहिये अर्थात् हमारी जितनी आमदनी है, उस में से चोंतीस करोड़ रुपया सरकार के द्वारा शिपिंग के लिये व्यय किया जाना चाहिये । इस हिसाब से आप को फाइव ईअर प्लान में जो कि आप ड्राफ्ट करने जा रहे हैं, इसके लिये १७० करोड़ रुपये देने चाहियें । हमारे शास्त्री जी बहुत ही सीधे आदमी हैं । उनके सीधेपन का फायदा उठा कर फाइव ईअर प्लान में सिर्फ ८० करोड़ रुपये रखे गये हैं । मैं प्लानिंग कमीशन से कहता हूं कि अगर उस ने शिपिंग की उन्नति के लिये १७० करोड़ रुपये न दिये, तो हम उस प्रस्ताव को इस हाउस में लायेंगे और यह हाउस उस को पास करेगा और अगर वह पास नहीं करेगा, तो हम जनता से कहेंगे कि वह हाउस को कैम्पैल करे कि १७० करोड़ रुपये शास्त्री जी के पाकट में दिये जायें ।

श्री आलगू राय शास्त्री : सीधे आदमी को जेब में इतना रुपया डाल कर क्या लाभ होगा ?

श्री रघुनाथ सिंह : दूसरी बात यह है कि हमारे माननीय अलगेशन जी को हतोत्साहित नहीं होना चाहिये । उनके उत्साह को बढ़ाने के लिये ही हमने इस प्रस्ताव को यहां पर पेश किया है ताकि सारे देश का ध्यान जहाजरानी की ओर आकर्षित हो और सब लोग समझें और जानें कि इस शस्त्रीय एज (युग) में भारत सरकार जहाजरानी की उन्नति के लिये क्या करने जा रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि मूल संकल्प के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"भारतीय नौवहन के विकास के लिये भारत सरकार ने अब तक जो कार्यवाही की है उसकी प्रशंसा करते हुये यह सभा सुझाव देती है कि तटीय और विदेशी व्यापार के हेतु टन भार को शीघ्र बढ़ाने के लिये और उपयुक्त उपाय किये जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य सब संशोधन नहीं रखे जा सकते । अतः मूल संकल्प के स्थान पर यह संकल्प रखा जाता है ।

रेलवे पुनर्वर्गीकरण के बारे में संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री राजा राम शास्त्री के दूसरे संकल्प पर विचार करेगी ।

श्री आर० आर० शास्त्री (जिला कानपुर--मध्य) : मैं जो प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं वह इस प्रकार है :

> "इस सभा की यह राय है कि संसद् सदस्यों और विशेषज्ञों की एक समिति निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये शीघ्र नियुक्त की जाये :
>
> १. रेलों के पुनर्संमूहीकरण के सम्पूर्ण प्रश्न को जांचने और रेलों की प्रशासनिक क्षमता में सुधार करने के लिये सरकार को उपायों का सुझाव देने के लिये, और
>
> २. द्वितीय पंच वर्षीय योजना में रेल यातायात की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिये उसके विस्तार करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिये ।"

मेरे इस प्रस्ताव के तीन उद्देश्य हैं । एक तो यह है कि अभी तक जो रेलों का पुनर्संमूहीकरण किया गया है उस की जांच की जाय, और उसमें क्या क्या सुधार किये जा सकते हैं इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एक विशेष समिति बनायी जाये जो इन तमाम मामलों की जांच करे और अपनी सिफारिशें पेश करे । दूसरा उद्देश्य यह है कि अगर हमें रेलों के अन्दर प्रशासनिक क्षमता के सम्बन्ध में कुछ सुधार करना हो तो उस सम्बन्ध में भी विचार किया जाय, क्योंकि प्रशासनिक क्षमता के ऊपर ही यह निर्भर करता है कि यह विभाग कितनी सफलता के साथ चलता है । साथ ही साथ दूसरी पंच वर्षीय योजना हमारे सामने है और इस योजना में विशेष जोर व्यवसायों पर दिया गया है ऐसी स्थिति में यह मानी हुई बात है कि रेलवे विभाग के महत्व बहुत कुछ हमारे सामने आता है । तो इस सम्बन्ध में जो कमेटी बनेगी वह इस मासले पर भी विचार करेगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है ।

इस सम्बन्ध में यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि बार बार हर मसले पर विचार करने के लिये कमेटी की व्यवस्था क्यों की जाती है । कहीं यह न कहा जाये कि यह एक ऐसी लग्जरी है कि जब किसी महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान दिलाया जाता है तो यह कमेटी नियुक्त करने का हजारों रुपयों का खर्चा और हमारे सामने रख दिया जाता है । इस सम्बन्ध में मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अगर हम रेलवे विभाग का पिछले २५ या ३० वर्ष का इतिहास देखें तो हम को मालूम होगा कि समय-समय पर रेलवे से संबन्धित विभिन्न प्रश्नों पर विचार करने के लिये कमेटियां बनती रही हैं और उन्होंने समय-समय पर अपने सुझाव पेश किये हैं । अगर हम रेलवे विभाग का पिछले २५,३० वर्ष का इतिहास देखें तो हम को मालूम होगा कि सन् १९२०-२१ में आकवर्थ कमेटी बनायी गयी, सन् २२-२३ में इंचकेप कमेटी बनी, सन् ३३-३४ में पोप कमेटी बनी सन् ३७-३८ में वेजवुड कमेटी बनायी और सन् ४७ में कुंजरू कमेटी बनी, और अन्त में अभी हाल में रेलवे विभाग में भ्रष्टाचार के मसले पर विचार करने के लिये रेलवे करप्शन एन्क्वारी कमेटी बनी जिसके चेयरमैन माननीय सदस्य श्री जे० बी० कृपलानी जी थे । इस आखिरी कमेटी की रिपोर्ट अभी हाल में प्रकाशित हुई है । इस तरह से हम देखते हैं कि लगातार कमेटियों को बना कर सम्पूर्ण मसले पर विचार किया जाता रहा

है, और इस से यह प्रकट होता है कि हम इस विभाग में अधिक से अधिक सुधार करने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन सवाल हो सकता है कि जब इतनी दफा रेलवे के मसलों पर विचार किया जा चुका है और जब कि अ ी थोड़े ही दिन हुये कि रिग्रुपिंग किया गया है तो फिर ऐसी क्या आवश्यकता पैदा हो गई कि रिग्रूपिग के मसले पर विचार करने के लिये फिर से कमेटी बनायी जाये ।

मैं इस बात को शुरू में ही साफ कर देना चाहता हूं कि मेरे प्रस्ताव का यह उद्देश्य हरगिज़ नहीं है कि अभी जो पुनर्संमूहीकरण किया गया है इसका अन्त कर दिया जाये। मेरा विश्वास है कि आजकल समूहीकरण करना आवश्यक है । आप किसी भी बड़े देश को देखें आप इसी नतीजे पर पहुचेंगे कि आजकल रेलवेज़ का पुनर्संमूहीकरण एक ख़ास उद्देश्य से किया जाता है, और वह उद्देश्य यह है कि छोटे छोटे यूनिट्स को खत्म करके बड़े यूनिट्स बनाये जायें ताकि इसमें कुछ इकानामी भी हो और काम में एफीशेंसी भी आवे । हम देखते हैं कि इसी उद्देश्य को लेकर,अमरीका इंगलड, जर्मनी, कनाडा आदि देशों में रेलों का पुनर्संमूहीकरण किया जाता है। अपने देश के इतिहास को देखने से भी हमको यही पता चलता है कि हम धीरे धीरे इस निर्णय पर पहुंचे कि अगर हमको इस विभाग में इकानामी करनी है और काम को एफी-शेंसी के साथ चलाना है तो हमको पुनर्संमूही-करण करना चाहिये । जो इतनी मेहनत के बाद हाल ही में पुनर्संमूहीकरण किया गया है उसको खत्म कर दिया जाये, यह मेरा उद्देश्य नहीं है । लेकिन मैं यह चाहता हूं कि हम यह सोच कर न बैठ जायें कि यह इस विषय पर अन्तिम निर्णय है और अब आगे इसमें किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है और यह कि जो व्यवस्था हो गयी है वह सम्पूर्ण है । मैं समझता हूं कि इस व्यवस्था में कुछ कमियां हैं और मेरे प्रस्ताव का यही उद्देश्य है कि उन पर विचार किया जाये । इसलिये मैं चाहता हूं कि मेरे विरोध में कोई यह दलील न पेश कर दे कि मैं इस व्यवस्था का अन्त कर देना चाहता हूं । मैं यह चाहता हूं कि जो कमेटी बने वह इस प्रश्न पर विचार करे कि जो व्यवस्था की गयी है वह अच्छी तरह से चल रही है या नहीं, या इसमें किसी तरीके के सुधार की आवश्यकता है या नहीं । यह ऐसे प्रश्न हैं कि इनमें ऐसा नहीं होना चाहिये कि जब कोई समस्या सामने आ जाये उसी वक्त उस पर सुधार करने के लिये विचार किया जाय । मैं चाहता हूं कि जब हमारे देश में योजना के साथ काम होता है तो इस विषय पर विशेषज्ञों को नियुक्त करके दूरन्देशी से अच्छी तरह विचार कर लिया जाय ताकि ऐसा न हो कि जल्दी में कोई काम कर लिया और फिर कुछ दिनों बाद कोई समस्या सामने आगयी तो उसमें फिर उलटफेर किया । यह तरीका ठीक नहीं है क्योंकि अगर हम बार बार किसी चीज़ में उलटफेर करते हैं तो उसमें बहुत असुविधा होती है । मेरे विचार में यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर बहुत कुछ हमारा भविष्य निर्भर करता है, इसलिये मेरा विचार है इस विषय पर हम अच्छी तरह से विचार कर लें । मैं यह नहीं मानता कि जो हाल में रिग्रूपिंग किया गया है वह सम्पूर्ण कहा जा सकता है । वह काम भी जल्दी में किया गया था । उसके हर पहलू पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिये था उतना ध्यान नहीं दिया गया । इसलिये हम मंत्री महोदय से यह चाहेंगे कि वे इस मामले में अपना दिमाग खुला रखें । ऐसी बात नहीं होनी चाहिये कि वे वह सोचें

[श्री आर० आर० शास्त्री]

कि हमने अभी थोड़े ही दिन हुये कि यह नयी व्यवस्था की है, इसको हमें बदलना नहीं है। मेरा कहना है कि देश में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गयी हैं कि वे स्वयं इस प्रश्न पर विचार करें। हमारा ख्याल है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जायेंगी कि उनको इस विषय पर विचार करना पड़ेगा। यह कोई अनहोनी बात भी नहीं है। इस पुनर्संमूहीकरण के थोड़े ही समय बाद यह अनुभव किया जाने लगा कि पूर्वी रेलवे पर वर्क लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उसको दो हिस्सों में विभक्त किया जाये। यही हाल साउथ ईस्ट रेलवे का भी है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस व्यवस्था के चालू होने के थोड़े ही दिन बाद तजुर्बे ने यह बतलाया कि इसमें परिवर्तन होना चाहिये। ऐसा दूसरी रेलवेज़ के बारे में भी हो सकता है। इस लिये मैं चाहता हूं कि एक विशेषज्ञों की कमेटी बैठे जो कि इस सम्पूर्ण व्यवस्था पर विचार करे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब पांच बज गये हैं। माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रखें।

इस के पश्चात् लोक-सभा शनिवार २४ सितम्बर, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।